रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED No. DL—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 1997 (माघ 5, 1918)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 1997 (MAGHA 5, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सकेगा ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ।]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

मुम्बई-400 001, दिनांक 6 सितम्बर 1996

सं. औनिऋवि. 14/08.15.01/96-97—जबकि, यह मानते हुए कि सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 मई 1994 के परिपत्र सं. सीपीसी. डीसी. 136/07.01.279/93-94 द्वारा, प्राथमिक व्यापारियों की सूचीकरण की प्रणाली आरम्भ की थी, जिसके उद्देश्य थे (क) सरकारी प्रतिभूति बाजार को स्पंदनशील, तरल और मजबूत आधार प्रदान बनाने के लिए आधारिक संरचना को दृढ़ करना, (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से बाहर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार-निर्माण-क्षमताओं तथा हामीदारी का विकास सुनिश्चित करना, (ग) एक ऐसी द्वितीयक बाजार व्यापार प्रणाली का सुधार करना, जो बदले में, मूल्य-खोज में, तरलता बढ़ाने में और व्यापकतर निवेशक-आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक धारिता को प्रोत्साहित करने में सहायक हो, और (घ) खुले बाजार के कार्यों को चलाने में प्राथमिक व्यापारियों का उपयोग सशक्त माध्यमों के रूप में करना और जबकि, समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 29 मार्च 1995 के, "सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के लिए दिशा-निर्देश" प्राथमिक व्यापारियों के कार्यकलापों को उक्त उद्देश्यों के दायरे में नियमित करने के लिए उनकी पात्रता की शर्तों, दायित्वों, पूंजी पर्याप्तता मानदंडों, प्राधिकरण-संबंधी प्रक्रिया, विनियमों तथा अन्य मानदंडों को निर्धारित करते हैं ।

और जबकि, प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के जरिए वित्त जुटाने की अनुमति देना वांछित समझा गया है।

अतः अब भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे विनिर्दिष्ट निदेश देता है।

भाग 1 : प्रारंभिक

1. निदेशावली का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

यह निदेशावली "प्राथमिक व्यापारी (वाणिज्यिक पत्र के जरिए जमाराशियों का स्वीकरण) निदेशावली, 1996" कहलाएगी। यह 6 सितम्बर 1996 से अमल में आएगी और इस निदेशावली में इसके प्रारंभ होने के दिनांक का उल्लेख होने पर इसका संबंध उक्त दिनांक से माना जाएगा।

भाग 2 : निदेशावली का प्रभाव-क्षेत्र

2. वाणिज्यिक पत्र पर निदेशावली की प्रयोज्यता

ये निदेश वाणिज्यिक पत्र के जरिए जमाराशियां जुटानेवाले प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

इन निदेशों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "प्राथमिक व्यापारी" से अभिप्रेत है ऐसी वित्तीय संस्था, जिसके पास, समय-समय पर यथा-संशोधित, दिनांक 29 मार्च 1995 के "सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के लिए दिशा-निर्देश" के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, उसे प्राथमिक व्यापारी के रूप में जारी वैध प्राधिकरण-पत्र हो।

(ख) इसमें जो शब्द और अभिव्यक्तियां प्रयुक्त हैं, परन्तु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परि-भाषित हैं, उनका अर्थ वही होगा जो उनके लिए उस अधिनियम में निर्धारित है। यदि कोई अन्य शब्द या अभिव्यक्तियां इसमें अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित नहीं हैं तो उनका अर्थ वही होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उनके लिए निर्धारित है।

4. वाणिज्यिक पत्र जारी करने की पात्रता

निम्नलिखित अपेक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी वाणिज्यिक पत्र जारी करने का पात्र होगा, बशर्ते वह इन निदेशों में दी गई शर्तें भी पूरी करता हो :

प्राथमिक व्यापारी ने वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए किसी ऐसी साख निर्धारण एजेंसी से, विनिर्दिष्ट न्यूनतम साख निर्धारण-क्रम प्राप्त कर रखा है जिसके द्वारा किए गए साख-निर्धारण को भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है। प्राथमिक व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाणिज्यिक पत्र जारी करते समय उसके द्वारा प्राप्त साख-निर्धारण प्रचलन में है और उसे प्राप्त किए दो माह से अधिक समय नहीं हुआ है। भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल) द्वारा प्रदत्त क्रम पी-2, अथवा भारतीय साख निर्धारण एजेंसी (इकरा) द्वारा प्रदत्त क्रम ए-2, अथवा साख निर्धारण तथा अनुसंधान लिमिटेड (केयर) द्वारा प्रदत्त पीआर-2 अथवा डफ एंड फेल्प्स रेटिंग इंडिया प्रायवेट लिमिटेड (डीसीआर इंडिया) द्वारा प्रदत्त क्रम डी-2 अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर निर्धारित क्रम को ही न्यूनतम विनिर्दिष्ट साख निर्धारण क्रम माना जाएगा।

5. वाणिज्यिक पत्र की न्यूनतम और अधिकतम अवधि

(क) वाणिज्यिक पत्र निर्गम की तारीख से 3 माह और एक वर्ष से कम के बीच परिपक्वता-अवधियों के लिए जारी किया जाएगा।

(ख) वाणिज्यिक पत्र के भुगतान के लिए कोई छूट अवधि नहीं होगी। यदि अवधि-समाप्ति की तारीख को छुट्टी पड़ती हो तो प्राथमिक व्यापारी तत्काल पूर्वगामी कार्य दिवस को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

(ग) वाणिज्यिक पत्र के प्रत्येक निर्गम (पुनर्निर्गम सहित) को नया निर्गम माना जाएगा।

स्पष्टीकरण

जहां नीचे पैरा 6(ख) में उल्लिखित अपेक्षाओं के पालन के फलस्वरूप वाणिज्यिक पत्र की अवधि तीन माह से कम होगी वहां इन निदेशों के प्रयोजनार्थ उसे तीन माह से अन्यून अवधि का माना जाएगा।

6. वाणिज्यिक पत्र का मूल्यवर्ग और न्यूनतम आकार

(क) वाणिज्यिक पत्र 5 लाख रुपये के गुणजों में जारी किया जा सकता है किन्तु किसी भी एक निवेशकर्ता द्वारा निवेश की गई राशि 25 लाख रुपये (अंकित मूल्य) से कम नहीं होगी बशर्ते द्वितीयक (गौण) बाजार के लेन देन 5 लाख रुपये अथवा उसके गुणजों में हों।

(ख) जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र की कुल राशि, इन निदेशों में दिए गए अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जुटाई जाएगी तथा वाणिज्यिक पत्र को एक ही तारीख को अथवा अंशों में अलग-अलग तारीखों को जारी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह होगी कि अंशों में अलग-अलग तारीखों को जारी किए जाने की स्थिति में उस वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता की तारीख एक ही होगी।

7. वाणिज्यिक पत्र के निर्गम की राशि की उच्चतम सीमा

वाणिज्यिक पत्र जारी करके प्राथमिक व्यापारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुल राशि उसके निमित्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी।

8. जारी करने का तरीका और बट्टा-दर

वाणिज्यिक पत्र इससे संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट फार्म के अनुसार पृष्ठांकन और हस्तांतरण द्वारा परक्राम्य मीयादी वचन-पत्र के रूप में होगा तथा उसे अंकित मूल्य पर जारी किया जाएगा और वाणिज्यिक पत्र जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारी द्वारा निर्धारित बट्टा-दर लगाई जाएगी ।

9. निर्गम व्यय

वाणिज्यिक पत्र जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारी उक्त निर्गम के व्यय वहन करेगा, जिनमें व्यापारियों का शुल्क, निर्धारण (रेटिंग) एजेन्सी का शुल्क आदि शामिल है ।

10. वाणिज्यिक पत्र के निवेशकर्ता और पृष्ठांकन

(क) वाणिज्यिक पत्र व्यक्तियों, बैंकों, कम्पनियों और भारत में पंजीकृत या निगमित अन्य कम्पनी निकायों और अनिगमित निकायों सहित किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है ।

बशर्ते कोई भी वाणिज्यिक पत्र अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को प्रत्यावर्तन के आधार से भिन्न किसी अन्य आधार पर और इस शर्त को छोड़कर कि वह हस्तांतरणीय नहीं होगा, किसी अन्य शर्त के अधीन नहीं जारी किया जाएगा ।

(ख) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र पर अप्रत्यावर्तनीयता और अहस्तांतरणीयता से संबंधित शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी ।

स्पष्टीकरण

उक्त अभिव्यक्ति "अनिवासी भारतीय" (नान-रेजिडेन्ट इण्डियन) का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 9 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई दिनांक 9 अक्तूबर 1989 की अधिसूचना सं फेरा 85/89-आरबी में उसके लिए निर्दिष्ट किया गया है ।

11. वाणिज्यिक पत्र जारी करने की कार्यविधि

(क) वाणिज्यिक पत्र जारी करने का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और अपना समस्त ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित, अनुसूची-2 के रूप में इस अधिसूचना से संलग्न फार्म में देगा ।

(ख) वाणिज्यिक पत्र जारी करने हेतु उक्त पैरा (क) में उल्लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के संबंध में निर्धारित पात्रता मानदण्ड तथा अन्य शर्तें पूरी हो गई हैं, प्राथमिक व्यापारी द्वारा वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के जरिए एकत्र की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा तथा प्राथमिक व्यापारी को इसकी सूचना देगा ।

(ग) उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी निजी तौर पर निर्गम को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि रिजर्व बैंक से सूचना मिलने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, वाणिज्यिक पत्र के जारी होने के प्रस्ताव का कार्य पूरा हो गया है ।

(घ) वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने वाला प्रारम्भिक निवेशकर्ता वाणिज्यिक पत्र के बट्टागत मूल्य का भुगतान जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारी के खाते में रेखित आदाता लेखा चैक द्वारा करेगा ।

(ङ) वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाला प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी निर्गम के पूरा होने की तारीख से तीन दिन के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक (औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई) को, वास्तव में जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र की राशि सूचित करेगा ।

12. वाणिज्यिक पत्र के निर्गम की हामीदारी या सह-स्वीकृति पर प्रतिबन्ध

किसी भी प्राथमिक व्यापारी को वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई हामीदारी अथवा सह-स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी ।

13. वाणिज्यिक पत्र का भुगतान

वाणिज्यिक पत्र के परिपक्व होने पर वाणिज्यिक पत्र का धारक जारी करने वाले प्राथमिक व्यापारी को भुगतान के लिए उक्त प्रपत्र प्रस्तुत करेगा ।

14. अतिरिक्त प्रलेखन

वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाला प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी समय-समय पर अपेक्षित सभी अतिरिक्त प्रलेख निष्पादित करेगा और सभी पूर्व-सावधानी बरतेगा ।

15. जहां तक इन निदेशों के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी करके जमाराशियां स्वीकार करने का संबंध है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1977 और गैर-बैंकिंग कम्पनी (वाणिज्यिक पत्र के निर्गम द्वारा जमाराशियों की स्वीकृति) निदेशावली, 1989 में निहित कोई भी बात किसी भी प्राथमिक व्यापारी पर लागू नहीं होगी ।

वि. सुब्रमण्यम
कार्यपालक निदेशक

अनुसूची - 1

परक्राम्य वाणिज्यिक पत्र

जारी करने वाले प्राथमिक व्यापारी का नाम

जिस राज्य में इसे जारी किया जाता है उस राज्य में लागू नियमों के अनुसार स्टाम्प-ड्यूटी लगायी जाये ।

क्रम संख्या

. . . . में जारी किया गया । जारी करने की
(स्थान)

तारीख . . . . .छूट के दिनों को छोड़कर अवधि-समाप्ति की तारीख . . . .(यदि उस तारीख को छुट्टी हो तो भुगतान तत्काल पूर्वगामी कार्यदिवस को किया जाएगा) ।

. . . . एतद्द्वारा प्राप्त मूल्य के
(जारी करने वाले प्राथमिक व्यापारी का नाम)
लिए . . . . को अथवा आदेश पर
(निवेशकर्ता का नाम)

ऊपर यथानिर्दिष्ट अवधि-समाप्ति की तारीख को यह वाणिज्यिक पत्र . . . . को प्रस्तुत और

(निगमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट का नाम)
अभ्यर्पित करने पर रु. . . . .
(शब्दों में) राशि अदा करने का वचन देते हैं ।

. . . . के लिए उनकी
(जारी करने वाले प्राथमिक व्यापारी का नाम)
ओर से ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इस वाणिज्यिक पत्र पर सभी पृष्ठांकन स्पष्ट तथा सुव्यक्त होने चाहिए । प्रत्येक पृष्ठांकन निर्धारित स्थान पर ही लिखा जाए ।

1. . . . . को अथवा आदेश

(हस्तांतरी का नाम)

पर इसमें उल्लिखित राशि अदा करें ।

. . . . के लिए और उसकी ओर से

(हस्तांतरणकर्ता का नाम)

2. ''
3. ''
4. ''
5. ''
6. ''
7. ''
8. ''

अनुसूची 2

गोपनीय

वाणिज्यिक पत्र के निर्गम हेतु जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन का प्रोफार्मा

सेवा में,
मुख्य महा प्रबन्धक
भारतीय रिजर्व बैंक
औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुम्बई-400001 ।

प्रिय महोदय

वाणिज्यिक पत्र—जारी करने का कार्यक्रम

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 6 सितम्बर 1996 को जारी की गई, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. आई ईसीडी. 14/08.15.01/96-97 के निदेशों के अनुसार हम नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी करने का प्रस्ताव करते हैं ।

1. जारीकर्ता का नाम
2. पंजीकृत कार्यालय और पता
3. व्यावसायिक गतिविधियां
4. (क) जारी करने के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र की राशि (अंकित मूल्य)

(ख) निर्गम की अवधि

5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित साख निर्धारण एजेन्सी से प्राप्त निर्धारण (रेटिंग) 1 (निर्धारण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाए)

(जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारी का नाम)
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मुम्बई, दिनांक 4 नवम्बर 1996

सं. औनिऋवि. 15/08.15.01/96-97—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात से प्रति संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निदेश जारी करता है कि "गैर-बैंकिंग कम्पनी (वाणिज्यिक पत्र के जरिए जमाराशियों की स्वीकृति) निदेशावली, 1989" (यथासंशोधित) को तात्कालिक प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :—

1. पैरा 4 में उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कम्पनी की कार्यशील पूंजी (निधि आधारित) सीमा चार करोड़ रुपये से कम नहीं है ।"

2. पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"वाणिज्यिक पत्र जारी करके उगाही जाने वाली कुल राशि बैंक/बैंकों द्वारा जारीकर्ता कम्पनी को स्वीकृत कार्यशील पूंजी (निधि आधारित) सीमा से अधिक नहीं होगी ।"

3. पैरा 10 के स्पष्टीकरण में "दिनांक 9 अक्तूबर 1989 की अधिसूचना संख्या फेरा 85/89 आर बी" शब्दों के बाद "समय समय पर यथासंशोधित" शब्द जोड़े जाएंगे ।

4. पैरा 11 में उप पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

वाणिज्यिक पत्र के जारी होते ही वित्त पोषक बैंकिंग कम्पनी द्वारा, वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाली प्रत्येक कम्पनी की कार्यशील पूंजी (निधि आधारित) सीमा में तदनुरूपी कटौती की जाएगी और वित्त-पोषक बैंकिंग कम्पनी उस कम्पनी के क्रमशः बैंकिंग कम्पनी/अन्य सदस्य बैंकिंग कम्पनियों के यहां खुले-

खाते में आवश्यक समायोजन करेगी। चूंकि उक्त कम्पनी द्वारा संबंधित बैंकिंग कम्पनियों के यहां रखी कार्यशील पूंजी (निधि आधारित) सीमाओं में से ही वाणिज्यिक पत्र की व्यवस्था (कार्विग) की जानी है, अत: वाणिज्यिक पत्र जारी करने से उसकी समग्र अल्पावधि उधार सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं होगी।''

वि. सुब्रमण्यम
कार्यपालक निदेशक

वित्तीय कम्पनी विभाग
केन्द्रीय कार्यालय

कलकत्ता-700001, दिनांक 24 जुलाई 1996

सं. 86 ई डी (जे आर पी)/96—भारतीय रिजर्व बैंक, यह आवश्यक समझते हुए कि ऐसा करना लोक हित में है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऋण प्रणाली को देश के लाभ के प्रयोजन के लिए विनियमित करने हेतु बैंक को सक्षम बनाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1977 को संशोधित करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45 ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 20 जून, 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी 38/डी जी (एच)-77 में समाविष्ट उक्त निदेशों को, तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, अर्थात्,

1. पैराग्राफ 3 में,—

(क) उप पैराग्राफ (3) में,

''गुजरात इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड''

शब्दों के पश्चात् और

''अथवा अन्य कोई वित्तीय संस्था''

शब्दों के पहले

निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए —

''एशियन डेवेलमेंट बैंक, अथवा इंटरनेशनल फाइनांस कारपोरेशन''

(ख) उप-पैराग्राफ (9) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

''(9) इक्विटी शेयर कैपिटल में उक्त डिबेंचरों अथवा बांडों को परिवर्तित करने के लिए जारीकर्ता अथवा धारक को किसी भी प्रकार का विकल्प दिये बिना परिवर्तन की पूर्व निर्धारित शर्तों सहित डिबेंचरों अथवा बांडों को जारी कर जुटायी गयी कोई भी राशि।''

2. पैराग्राफ 4, उप पैराग्राफ (1क) में,

''10क (ख)'' शब्दों और अंक को ''10क (1) (ख)'' शब्दों और अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा।''

3. पैराग्राफ 5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा—

5. गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार करना

(1) जमा राशियों की अवधि

25 जुलाई 1996 को और उसके बाद,

कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी निम्न प्रकार की कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी न ही 25 जुलाई 1996 के पहले स्वीकार की गयी उस जमाराशि का नवीकरण करेगी,—

(1) जो मांग अथवा सूचना पर प्रतिदेय हो, अथवा

(2) जब तक ऐसी जमाराशि, स्वीकृत किये जाने अथवा ऐसी राशि का नवीकरण किये जाने की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद परन्तु साठ महीने की अवधि तक प्रतिदेय न हो;

शर्त यह है कि डिबेंचरों और बांडों के निर्गम द्वारा जुटाये गये धन पर इस खंड में उल्लिखित प्रावधान लागू नहीं होंगे।

शर्त यह भी है कि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी बारह महीने से अनधिक अवधि के भीतर प्रतिदेय कोई जमाराशि स्वीकार कर सकती है या उसका नवीकरण कर सकती है यदि,

(1) वह जमाराशि किसी ऐसी अन्य कम्पनी से प्राप्त की जाती है, जो भारत के बाहर निगमित कम्पनी न हो; और

(2) ऐसी जमाराशि, कुल मिलाकर किसी उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या किराया खरीद वित्त कम्पनी या ऋण कम्पनी या निवेश कम्पनी के मामले में,

(क) यदि वह कम्पनी पंजीकृत है तो उसकी निवल स्वाधिकृत निधि से दुगुनी राशि से अधिक न हो, और

(ख) यदि वह कम्पनी पंजीकृत नहीं है तो उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के बराबर की राशि से अधिक न हो।

(2) निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक की जमाराशियां स्वीकार करने या उनके नवीकरण पर प्रतिबंध और पहले स्वीकार की गयी उच्चतम सीमा से अधिक रखी गयी जमाराशियों का विनियमन

(क) उपस्कर पट्टादायी कम्पनियां और किराया खरीद कम्पनियां दिनांक 25 जुलाई 1996 को और उसके बाद,

(1) कोई भी उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या किराया खरीद वित्त कम्पनी ऐसी जमाराशि प्राप्त करने या उसका नवीकरण करने के लिए पात्र होगी, जिसकी कुल राशि, पहले ही प्राप्त राशियों और दिनांक 25 जुलाई 1996 को कारोबार शुरू होने के समय कम्पनी की बहियों में बकाया राशियों तथा निदेशावली क के पैरा 3 के खंड (2), (3) और (9) में उल्लि-

खित प्रकार से यदि कोई राशियां हों तो उन सबको मिलाकर, कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि के पांच गुना की राशि से अधिक नहीं हो ।

शर्त यह है कि जमाराशियां यदि किसी अन्य कम्पनी, जो भारत से बाहर निगमित कम्पनी न हो, से प्राप्त जमाराशियां बारह महीने से अनधिक अवधि के लिए हों तो वे कुल मिलाकर, कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि से अधिक न हों ।

तथापि, शर्त यह है कि,

(क) कोई उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या कोई किराया खरीद वित्त कम्पनी, जो पंजीकृत है, जमाराशियां स्वीकार करने के लिए पात्र होगी जिसकी कुल राशि, पहले से हो प्राप्त राशियों और दिनांक 25 जुलाई 1996 को कारोबार शुरु होने के समय कम्पनी की बहियों में बकाया राशियां तथा निदेशावली के पैरा 3 के खंड (2), (3) और (4) में उल्लिखित प्रकार से यदि कोई राशियां हों तो वे सभी राशियां उस कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि के सात गुना राशि से अधिक न हों ।

(ख) कोई उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या कोई किराया खरीद वित्त कम्पनी, जो पंजीकृत है और रिजर्व बैंक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करती है कि वह निदेशावली के पैरा 5 क में निहित ऋण निर्धारण अपेक्षा या विवेकशील मानदंडों की पूर्ति करती है, ऐसी जमाराशि स्वीकार करने या उसका नवीकरण करने के लिए पात्र होगी, जिसकी कुल राशि, पहले से प्राप्त राशि और दिनांक 25 जुलाई 1996 को कारोबार शुरु होने के समय कम्पनी की बहियों में बकाया राशि तथा निदेशावली के पैरा 3 के खंड (2), 3) और (9) में उल्लिखित प्रकार से यदि कोई राशियां हों तो वे सभी राशियां, उस कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि की दस गुना राशि से अधिक न हों ।

(ग) कोई उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या कोई किराया खरीद वित्त कम्पनी, जो पंजीकृत है और रिजर्व बैंक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करती है कि वह निदेशावली के पैरा 5 क में निर्दिष्ट ऋण निर्धारण अपेक्षा तथा विवेकशील मानदंडों की भी पूर्ति करती है, किसी भी मात्रा में जमाराशि स्वीकार करने के लिए पात्र होगी;

शर्त यह भी है कि

(1) किसी उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या किसी किराया खरीद वित्त कम्पनी, जो पंजीकृत है, के मामले में किसी अन्य ऐसी कम्पनी से जो भारत से बाहर पंजीकृत न हो, 12 महीने से अनधिक अवधि के लिए प्राप्त की हुई जमाराशियां कुल मिलाकर ऐसी कम्पनी की स्वाधिकृत निधि से दुगनी राशि से अधिक न हों ।

(2) जब किसी उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या किसी किराया खरीद वित्त कम्पनी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है या वह निदेशावली के पैरा 5 क में निर्दिष्ट ऋण निर्धारण अपेक्षा या विवेकशील मानदण्ड या उक्त दोनों का अनुपालन, इनमें से जो भी लागू हो, बंद कर देती है, तो वह,

(क) इस प्रकार पंजीकरण रद्द होने या अनुपालन करना बंद कर देने के दिन से पंद्रह दिन के भीतर कम्पनी, इसकी द्वितीय अनुसूची में यथानिर्दिष्ट रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, समय-समय पर निर्दिष्ट फार्म में सभी प्रकार के ब्यौरे लिखित रूप में सूचित करेगी;

(ख) यदि उप पैरा (2) (क) (1) के द्वितीय परन्तुक के खंड (क) या (ख), जो भी लागू हो के दायरे के भीतर आने वाली कम्पनी हो और वह उसे उपलब्ध अधिकतम अनुमत सीमा पर पहले पहुंच गयी हो या यदि वह उप पैरा (2) (क) (1) द्वितीय परन्तुक के खंड (ग) के दायरे के भीतर आने वाली कोई कम्पनी हो तो तत्काल प्रभाव से नयी जमाराशियां स्वीकार करना या मौजूदा जमाराशियों का नवीकरण बंद कर दे; और

(ग) छः महीने की अवधि के भीतर या रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ायी जाने वाली ऐसी अवधि के भीतर अतिरिक्त जमाराशियां, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह उप पैरा 2 (क) (1) के द्वितीय परन्तुक के खंड (क) या (ख) या (ग), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने के लिए पात्र थी, ऐसे उचित स्तर तक कम करे जिसके लिए वह उसके बाद जमाराशियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगी ।

(3) जहां किसी उपस्कर पट्टादायी अथवा किराया खरीद वित्त कम्पनी की उप पैरा (2) (क) (1) के द्वितीय परन्तुक के खंड (2) (ख) के अंतर्गत नयी जमाराशियां स्वीकार करने या वर्तमान जमाराशियों को नवीकृत करने की पात्रता समाप्त हो जाती हो, कम्पनी को उक्त उप पैरा के द्वितीय परन्तुक के खंड (ख) या (ग) के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र अप्रभावी हो जाएगा और कम्पनी उसे निरसन के लिए रिजर्व बैंक के पास तत्काल लौटाएगी ।

(4) जहां किसी उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या किसी किराया खरीद वित्त कम्पनी के पास दिनांक 25 जुलाई, 1996 को कारोबार की शुरूआत करते समय इस पर लागू तथा उप-पैरा (2) (क) (1) अथवा उप-पैरा (2) (क) (1) के द्वितीय परन्तुक के खंड (क) या (ख), जैसी भी स्थिति हो, में यथानिर्दिष्ट उपयुक्त सीमा से अधिक जमाराशियां हों तो वहां ऐसी कम्पनी 25 जनवरी, 1997 तक इस प्रकार की अतिरिक्त जमाराशियां चुकौती द्वारा या अन्यथा कम करेगी ।

(ख) ऋण कम्पनियां और निवेश कम्पनियां

25 जुलाई, 1996 को और उसके बाद से,

(1) किसी उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या किराया खरीद वित्त कम्पनी के अतिरिक्त कोई गैर बैंकिंग कम्पनी निम्नलिखित जमाराशि को प्राप्त करने या नवीकृत करने की पात्र होगी :—

(क) शेयरधारकों से जमाराशियां अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गारण्टीकृत कोई जमाराशि अथवा किसी ऐसे

व्यक्ति द्वारा गारण्टीकृत कोई जमाराशि जो गारण्टी देते समय कम्पनी का निदेशक था अथवा है बशर्ते इस प्रकार की कुल जमाराशि इस उप खंड में विनिर्दिष्ट ऐसी किसी अन्य जमाराशि तथा इस प्रकार की जमाराशियों की प्राप्ति और नवीकरण की तारीख को कम्पनी की बहियों में बकाया राशि सहित कम्पनी निवल स्वाधिकृत निधि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो;

(ख) कोई अन्य जमाराशि, इस प्रकार की किसी अन्य जमाराशि सहित, जो इस खंड के उप खंड (क) में विनिर्दिष्ट जमाराशि न हो और प्राप्ति या नवीकरण की तारीख को कम्पनी की बहियों में प्राप्त या बकाया जमाराशि को मिलाकर कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो; और

(ग) किसी अन्य कम्पनी से, जो भारत से बाहर कोई निगमित कम्पनी न हो, बारह महीने से अनधिक अवधि के लिए प्राप्त जमाराशियां, जिसकी कुल राशि कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि से अधिक न हो।

(2) कोई ऋण कम्पनी या निवेश कम्पनी जो पंजीकृत हो, उपर्युक्त खंड (1) उपखंड (क) और (ख) में यथा विनिर्दिष्ट जमाराशियों के अतिरिक्त किसी अन्य ऐसी कम्पनी से जो भारत के बाहर निगमित न हो, बारह महीने से अनधिक अवधि के लिए कुल उसकी ही राशि जो उसकी निवल स्वाधिकृत निधि से दुगनी से अधिक न हो, प्राप्त करने या नवीकृत करने की पात्र है।

(3) कोई ऋण कम्पनी या निवेश कम्पनी जो पंजीकृत है और जिसके पास रिज़र्व बैंक से इस आशय का प्रमाणपत्र हो कि वह निदेशों के पैरा 5 क में यथा विनिर्दिष्ट ऋण-पात्रता मूल्यांकन अपेक्षाओं या विवेकपूर्ण मानदण्डों की पूर्ति करती हो, निम्नलिखित को प्राप्त करने या नवीकृत करने की पात्र है :

(क) शेयर धारक से जमाराशि अथवा किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी गारण्टी देने के समय कम्पनी का निदेशक था या है, द्वारा गारण्टीकृत कोई जमाराशि बशर्ते इस उप खंड में विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य प्रकार की सभी जमाराशियां या कोई जमाराशि सहित इस प्रकार की कोई जमा राशि; और

(ख) कोई अन्य जमाराशि इस प्रकार की किसी अन्य जमाराशि सहित, जो इस खंड के उप खंड (क) में विनिर्दिष्ट जमाराशि न हो और प्राप्ति या नवीकरण की तारीख को कम्पनी की बहियों में प्राप्त या बकाया जमाराशि को मिलाकर कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो; और

(ग) किसी अन्य कम्पनी से, जो भारत से बाहर कोई निगमित कम्पनी न हो, बारह महीने से अनधिक अवधि के लिए प्राप्त जमाराशियां, जिसकी कुल राशि उसकी निवल स्वाधिकृत निधि से अधिक न हो।

(4) कोई ऋण कम्पनी अथवा कोई निवेश कम्पनी जो पंजीकृत हो और रिज़र्व बैंक से आशय का प्रमाणपत्र उसे प्राप्त हो कि वह निदेशों के पैरा 5 क में यथा विनिर्दिष्ट ऋण पात्रता मूल्यांकन अपेक्षाओं तथा विवेकपूर्ण मानदण्डों की पूर्ति करती है निम्नलिखित राशि प्राप्त करने या नवीकृत करने की पात्र होगी :

(क) शेयर धारक से जमाराशि अथवा किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी गारण्टी देने के समय कम्पनी का निदेशक था या है, द्वारा गारण्टीकृत कोई जमाराशि बशर्ते इस उप खंड में विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य प्रकार की सभी जमाराशियां या कोई जमाराशि सहित इस प्रकार की कोई जमा राशि; और

(ख) कोई अन्य जमाराशि, ऐसी जमाराशियों की कुल राशि, इस प्रकार की किसी जमाराशि सहित जो इस खंड के उप खंड (क) में विनिर्दिष्ट जमाराशि न हो, और प्राप्ति या नवीकरण की तारीख को कम्पनी की बहियों में प्राप्त या बकाया जमाराशि को मिलाकर कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि से अधिक न हो; और

(ग) किसी अन्य कम्पनी से, जो भारत के बाहर निगमित कम्पनी न हो, बारह महीने से अनधिक अवधि के लिए प्राप्त जमाराशियां जिसकी कुल राशि कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि से दुगनी न हो।

(5) जब किसी ऋण कम्पनी अथवा निवेश कम्पनी का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाए अथवा वह निदेशों के पैरा 5 क में यथाविनिर्दिष्ट ऋण-पात्रता मूल्यांकन अपेक्षाओं अथवा विवेकपूर्ण मानदण्डों अथवा दोनों, जैसा भी मामला हो, की पूर्ति नहीं करती हो तो, वह,—

(क) इस प्रकार पंजीकरण रद्द होने या अनुपालन करना बंद कर देने के पन्द्रह दिन के भीतर, रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस कम्पनी का कार्यालय जैसा कि इसकी द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, ऐसे फार्म में जो समय-समय पर विहित किया जाए, सभी प्रकार के विवरण देते हुए, लिखित रूप में, सूचित करेगी;

(ख) यदि वह कम्पनी खंड (2) अथवा (3) के अंतर्गत आती हो, जैसा भी मामला हो और उसे प्राप्त स्वीकार्य अधिकतम सीमा तक पहले ही पहुंच चुकी हो अथवा यदि वह कम्पनी इस उप पैरा के खंड (4) के अंतर्गत आती हो तो, वह तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार की नयी जमाराशियों को स्वीकार करना अथवा वर्तमान जमाराशियों को नवीकृत करना बंद कर दे; और

(ग) अतिरिक्त जमाराशियों की राशि जो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह उप-खंड (2) अथवा (3) अथवा (4), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत जमाराशियां प्राप्त करने की पात्र थी, जमाराशियों के उस उपयुक्त स्तर तक कम करेगी जिसे बाद में छह महीने की अवधि अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ायी गयी किसी अवधि के भीतर स्वीकार करने की वह पात्र होगी।

(6) जहां किसी ऋण कम्पनी अथवा निवेश कम्पनी की इस उप-पैरा के खंड (5) के अंतर्गत नयी जमाराशियां स्वीकार करने अथवा वर्तमान जमाराशियों को नवीकृत करने की पात्रता समाप्त हो जाती हो कम्पनी को इस उप-पैरा खंड (3) अथवा (4) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र अप्रभावी हो जाएगा और कम्पनी उसे निरसन के प्रयोजनार्थ रिज़र्व बैंक को तत्काल सुपुर्द कर देगी।

(7) जहां किसी ऋण कम्पनी अथवा निवेश कम्पनी के पास 25 जुलाई, 1996 को कारोबार की शुरूआत करते समय, उस पर लागू और खंड (1) अथवा खंड (2) अथवा (3), जैसी भी स्थिति हो, में इसके लिए विनिर्दिष्ट उपयुक्त सीमा से अधिक जमाराशियां हों तो ऐसी कम्पनी 25 जनवरी, 1997 तक इस [illegible]

स्पष्टीकरण :

1. इस पैरा और पैरा 5 क, 12 तथा 14 के प्रयोजनार्थ, 'पंजीकृत' से अभिप्रेत है रिजर्व बैंक के दिनांक 12 अप्रैल, 1993 के परिपत्र डीएफसी (सीओसी) सं. 828.174.92-93 की अपेक्षानुसार रिजर्व बैंक में पंजीकृत ।

2. इस पैरा के प्रयोजनार्थ, 'विवेकपूर्ण मानदण्ड' से अभिप्रेत है, आय निर्धारण, लेखांकन मानक, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानन, पूंजी पर्याप्तता तथा ऋण निवेशों के केन्द्रीकरण के संबंध में रिजर्व बैंक के दिनांक 13 जून, 1994 के परिपत्र डीएफसी (सीओ) सं. 1707.174.93-94 में उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथा संशोधित विवेकपूर्ण मानदण्ड ।

3. इस पैरा के प्रयोजनार्थ, 'निवल स्वाधिकृत निधि' से अभिप्रेत है, चुकता पूंजी की कुल राशि और कम्पनी के अद्यतन अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार निर्बंध आरक्षित निधियां जिन्हें हानि के संचयी शेष की राशि, आस्थगित राजस्व व्यय और अन्य अगोचर परिसम्पत्तियां घटाकर, यदि कोई हों, जैसाकि उक्त तुलन-पत्र में दर्शाया गया हो ।

तुलन-पत्र में दर्शाया गया हो ।

4. पैरा 10 का में,

वर्तमान उपबंध को उप-पैरा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और पुनः संख्यांकित उप-पैरा (1) के बाद नया उप-पैरा (2) को निम्नानुसार सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्

"(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के खंड (क) में निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी, जो पंजीकृत हो, उस तारीख से जिसको उसे रिजर्व बैंक से यह प्रमाणपत्र प्राप्त हो कि वह निदेशों के पैरा 5 क में विनिर्दिष्ट ऋण-पात्रता मूल्यांकन की अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदण्डों का भी पालन करती है, अपने द्वारा निर्धारित दर पर जमाराशियां आमंत्रित कर सकती है या उनका नवीकरण कर सकती है और दलाल को जमाराशि के लिए दलाली का, जो इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट से अधिक न हो, भुगतान भी कर सकती है ।

"परन्तु जब ऐसी कोई कंम्पनी पंजीकृत नहीं रहती या ऋण-पात्रता मूल्यांकन की आवश्यकता या विवेकपूर्ण मानदण्डों या दोनों जो भी हो, का पालन नहीं करती, वह तत्काल प्रभाव से इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट ब्याज की दर के सिवाय जमाराशियों को आमंत्रित करना या स्वीकार करना या उनका नवीकरण करना बंद कर देगी ।"

5. पैराग्राफ 12 के खंड (3) के उप-खंड (क) में निम्नलिखित उपबंध को जोड़ा जाए, अर्थात्—

"तथापि, शर्त यह है कि कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (क) जो पंजीकृत है और रिजर्व बैंक से प्रमाणपत्र प्राप्त करती है कि निदेशावली के पैराग्राफ 5 क में विनिर्दिष्ट किए अनुसार ऋण-पात्रता मूल्यांकन की आवश्यकता और विवेकपूर्ण मानदण्डों का भी पालन करती है, ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तारीख से उपर्युक्त उप-खंड 12 (3) (क) में किए उल्लेख अनुसार किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर भारत में राशि रखेगी जो उस दिन कम्पनी की बहियों में शेष जमाराशियों के साढ़े बारह प्रतिशत से कम राशि नहीं होनी चाहिए और इसमें से केन्द्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और/या सरकारी गारण्टी बाण्डों में किए गए निवेश किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर बकाया जमाराशियों के दस प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए; और

(ख) जब ऐसी कोई कम्पनी पंजीकृत नहीं रहती या ऋण-पात्रता मूल्यांकन आवश्यकता या विवेकपूर्ण मानदण्डों या दोनों, जो भी हो का पालन नहीं करती, वह तत्काल प्रभाव से, जैसाकि ऊपर उप खंड 12 (3) (क) में उल्लेख किया गया है, किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर उस दिन कम्पनी की बहियों में बकाया जमाराशियों के पन्द्रह प्रतिशत से कम राशि नहीं रखेगी ।

6. पैराग्राफ 15 और प्रथम अनुसूची में :

जहां-जहां "वित्तीय कम्पनी विभाग" शब्द हों,

वहां-वहां उन्हें निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात्,

"पर्यवेक्षण विभाग"

जे. आर. प्रभु
कार्यपालक निदेशक

अधिसूचना डी एफ सी (सी ओ सी) सं. 87 ई डी जे आर पी/96—भारतीय रिजर्व बैंक, यह विचार करने पर कि ऐसा करना लोक हित में है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऋण प्रणाली को देश के लाभ के प्रयोजन के लिए विनियमित करने हेतु बैंक को सक्षम बनाने के लिए विविध गैर बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1977 को संशोधित करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,

1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञ, 45ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 20 जून, 1977 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 39/डी जी (एच)-77 में समाविष्ट उक्त निदेशों को, तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, अर्थात्:--

1. पैराग्राफ 4 में,

(क) उप पैराग्राफ 4 में,

''गुजरात इंडस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमि.''

शब्दों के पश्चात और

''अथवा कोई वित्तीय संस्था''

शब्दों के पहले

निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए---

''एशियन डेवेलपमेंट बैंक अथवा इंटरनेशनल फाइनांस कारपोरेशन''

(ख) उप-पैराग्राफ (8) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, ''(3) इक्विटी शेयर कैपिटल में उक्त डिबेंचरों अथवा बांडों को परिवर्तित करने के लिए जारीकर्ता अथवा धारक को किसी भी प्रकार का विकल्प दिये बिना परिवर्तन की पूर्व निर्धारित शर्तों सहित डिबेंचरों अथवा बांडों को जारी कर जुटायी गयी कोई भी राशि'' ।

2. पैराग्राफ 12 और प्रथम अनुसूची में जहां-जहां ''वित्तीय कम्पनी विभाग'' शब्द हों वहां वहां उन्हें निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,

''पर्यवेक्षण विभाग''

जे. आर. प्रभु
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 24 जुलाई 1996

अधिसूचना डी एफ सी (सी ओ सी) सं. 88 ई डी जे आर पी/96---भारतीय रिजर्व बैंक, यह आवश्यक समझते हुए कि ऐसा करना लोक हित में है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऋण प्रणाली को देश के लाभ के प्रयोजन के लिए विनियमित करने हेतु बैंक को सक्षम बनाने के लिए अवशिष्ट गैर बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1977 को संशोधित करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45 ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 15 मई, 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 55/डी जी (ओ)-77 में समाविष्ट उक्त निदेशों को, तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, अर्थात्

1. पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (1) और उप पैराग्राफ (3) में भी ''30 जून और 31 दिसम्बर'' शब्दों और अंकों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्---

''31 मार्च और 30 सितम्बर''

2. पैराग्राफ 15, अनुसूची क और अनुसूची ग में, जहां-जहां

''वित्तीय कम्पनी विभाग''

शब्द हों, वहां-वहां उन्हें निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात,---

''पर्यवेक्षण विभाग''

जे. आर. प्रभु
कार्यपालक निदेशक

मुम्बई-400023, दिनांक 20 जून 1996

शुद्धि-पत्र

औद्योगिक. सं. 12/08.15.01/15-96---भारत राजपत्र भाग 3, खण्ड 4, सं. 29 पर दिनांक 20 जुलाई 1996 को प्रकाशित हिन्दी पाठ में पाई गई मुद्रण की त्रुटियां ।

पृष्ठ संख्या	पैरा	त्रुटी	सुधार
3539	1 सोलहवीं पंक्ति	प्रतिशत अधिक	प्रतिशत से अधिक

बैंक आफ इंडिया
औद्योगिक विधि प्रभाग
प्रधान कार्यालय

मुम्बई-400021, दिनांक 14 दिसम्बर 1996

सं. आईआरएल : 86-97---बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तान्तरण), 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व्वहीं स्वीकृति से बैंक आफ इंडिया का निदेशक मण्डल एतद्द्वारा बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों को बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम 1996 कहा जा सकेगा ।

(2) ये राजपत्रीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. खण्ड (बी) के बाद ''लघु शास्तियों'' शीर्षक के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1996 (इसमें इसके बाद प्रधान विनियम के रूप में कथित) के विनियम 4 में निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात :---

(ग) ''(सी) संचयी प्रभाव और उसके पेंशन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना 3 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए वेतन के समय-वेतनमान में निचले स्तर तक कमी करना ।''

(ख) ''बड़े दण्डों'' शीर्षक के अन्तर्गत खण्ड (ई), (एफ), (जी) और (एच) को खण्ड (जी), (एच), (आई) और (जे) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा ।

(ग) खण्ड (जी) को पुनः क्रमांकित करने के पहले निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

''(एफ) (ई) में दिए गए को यथावत रखते हुए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन के समय-वेतनमान में निचले स्तर तक की उपर्युक्त कमी, आगे निदेशों के साथ कि क्या अधिकारी ऐसी कमी की अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित करेगा या नहीं और ऐसी अवधि के समाप्त होने पर कमी का उसके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करने को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी ।''

(घ) पुनः क्रमांकित (जी) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जा सकेगा, अर्थात् :—

''(जी) निचले संवर्ग या पद तक कमी'' ।

3. प्रधान विनियमों के विनियम के उप विनियम (1) में विनियम 4 के शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए ''खण्ड (ई), (एफ), (जी) और (एच), विनियम 4 के शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए ''खण्ड (एफ), (जी), (एच), (आई) और (जे)'' प्रतिस्थापित किया जा सकेगा ।

4. प्रधान विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम (1) में विनियम 4 के शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए खण्ड (ए) से (डी), विनियम 4 के शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए खण्ड (ए) से (ई) प्रतिस्थापित किया जा सकेगा ।

5. प्रधान विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम (1) में विनियम 5 के शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए ''खण्ड (ई), (एफ), (जी) और (एच) विनियम 4 के शब्दों, कोष्ठकों अंकों के लिए ''खण्ड (एफ), (जी), (एच), (आई) और (जे)'' प्रतिस्थापित किया जा सकेगा ।

6. प्रधान विनियमों के प्रथम प्राविजो से विनियम 8 में विनियम 4 के शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए खण्ड (ई), (एफ), (जी) या (एच), विनियम 4 के शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए ''खण्ड (एफ), (जी), (एच), (आई), या (जे) प्रतिस्थापित किया जा सकेगा ।

नोट : बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम के पूर्ववर्ती संशोधन निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार भारत के गजट के अनुभाग 4 भाग 3 में प्रकाशित किए गए थे :

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1	43	22-10-1988

के. एम. मेहरोत्रा
महाप्रबंधक

इलाहाबाद बैंक

विधि विभाग

कलकत्ता-700001, दिनांक 14 दिसम्बर 1996

सं. एच ओ/विधि/0938—इलाहाबाद बैंक का निदेशक बोर्ड बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (क) के सभी पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. इस विनियम को इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1996 कहा जा सकेगा ।

2. यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।

3. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में विनियम 19 के उप विनियम (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात

''परन्तु बैंक, अपने विवेकानुसार, इसमें इसके पश्चात् उप विनियम (2) में यथा उपबंधित विशेष समिति/विशेष समितियों के पुनर्विलोकन पर, यदि यह अभिमत हो कि यह लोकहित में है, किसी अधिकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर या उसके पश्चात् किसी समय, अथवा 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात किसी समय, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा निवृत्त कर सकेगा ।''

आर. एल. वत्ता
मुख्य प्रबंधक (विधि)

इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करने संबंधी पिछली अधिसूचनाएं भारत सरकार के राजपत्र भाग-3 खंड-4 में निम्नलिखित तिथियों को प्रकाशित की गई :

1. 12-09-1987
2. 31-10-1987
3. 21-11-1987
4. 28-11-1987
5. 12-12-1987
6. 29-10-1988
7. 21-07-1990
8. 28-07-1990
9. 19-09-1992
10. 17-08-1993
11. 09-10-1993
12. 09-04-1994
13. 18-02-1995
14. 25-02-1995
15. 15-07-1995

आर. एल. वत्ता
मुख्य प्रबंधक (विधि)

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय

कार्मिक विभाग

कलकत्ता-700001, दिनांक 7 नवम्बर 1996

सं. ओ. एस. आर/1/96—बैंककारी कम्पनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की

उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूको बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्-द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) ये विनियम यूको बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 कहलाएंगे।

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधितानुसार, ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. यूको बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 4 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

4 (1) 01-11-1987 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान 7 रु. 6400-150-7000

वेतनमान 6 रु. 5950-150-6550

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 5 रु. 5350-150-5950

वेतनमान 4 रु. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 3 रु. 4020-120-4260-130-4910

वेतनमान 2 रु. 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :
वेतनमान 1 रु. 2100-120-4020

4 (2) 01-07-1993 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क) शीर्ष प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 7 रु. 12650-300-13250-350-13600-400-14000

वेतनमान 6 रु. 11450-300-12650

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 5 रु. 10450-250-11450

वेतनमान 4 रु. 8970-230-9200-250-10450

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान-3 रु. 8050-230-9200-250-9700

वेतनमान-2 रु. 6210-230-8740

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान-1 रु. 4250-230-4940-350-5290-230-8050

4(3) उप विनियम (1) और (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

3. मूल विनियमों में, विनियम 5 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् —

5(1) विनियम 4(2) के उपबंधों के अध्यधीन, दिनांक 01-11-1992 को या उसके बाद से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उपखंडों के अध्यधीन दी जाएंगी :

(क) विनियम 4 के उपदर्शित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी।

(ख) वेतनमान 1 तथा 2 के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष के पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि(यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे (ग) में निर्दिष्ट आधार पर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दी जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 2 तथा 3 के अधिकतम पर पहुंचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान 2 तथा 3 के अंतिम प्रक्रम पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि(यां) दी जाएगी/जाएंगी। वेतनमान 2 के अंतिम प्रक्रम पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु. 230/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी तथा वेतनमान 3 के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु. 250/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।

परन्तु 1-11-1994 और उसके बाद में मूल वेतनमान 3 के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान 3 में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी :

अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान 2 तथा 3 के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।

(2) नियत तारीख को या उसके पश्चात् भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आई आई बी) परीक्षा का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1

जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आई आई बी) परीक्षा का भाग 1 या भाग 2 उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो

स्पष्टीकरण 2

(क) 01-11-1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना आगे नहीं जा सके, सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सी ए आइ आइ बी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा :

जिन्होंने सी०ए०आई०आई०बी० का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है	(i) एक वर्ष पश्चात् रु० 100/- प्रति माह जिसमें से रु० 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।
जिन्होंने सी०ए०आई०आई०बी० के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	( ) एक वर्ष पश्चात् रु० 100/- प्रति माह जिसमें से रु० 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे। (ii) दो वर्ष पश्चात् रु० 250/- प्रतिमाह जिसमें से रु० 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।

(ख) 01-11-1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेगी :

जिन्होंने सी०ए०आई०आई०बी० का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु० 120/- प्रति माह ।
जिन्होंने सी०ए०आई०आई०बी० के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु० 120/- प्रति माह । (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर दो वर्ष पश्चात् रु० 300/- प्रति माह ।

परन्तु विनियम 5(3)(ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति, क्रमशः भाग 1 या 2 के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे ।

टिप्पणी :

(1) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक, सी ए आइ आइ बी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हैं अथवा केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा ।

(2) 01-11-1994 को तथा उसके बाद से परिशोधित व्यावसायिक अर्हता भत्ते को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।

3(क) जो अधिकारी 01-11-1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी। जो अधिकारी 01-11-1993 को परिवीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी ।

टिप्पणी :

अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 01-11-1993 को अवरोध वेतनवृद्धि(यों) प्राप्त कर चुका है वह 01-11-1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 01-11-1993 को देय महंगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा । यहां नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, संपूर्ण सेवा अवधि के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा ।

वेतनवृद्धि घटक	1-11-93 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)	(ख)	(ग)
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

टिप्पणी :

(1) ऊपर (सी) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(2) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता, विनियम 4 के उप विनियम (2) में निर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर, (क)+(ख)+संबद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा।

(3) नियत वैयक्तिक भत्ता पाने वाले वर्ष में देय व्यावसायिक अर्हता भत्ता, यदि कोई हो, अगले वर्ष दिया जाएगा।

(4) नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

(ग) जिस अधिकारी को यह अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर (ख) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी।

4. मूल विनियमों में, विनियम 21 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

21(1) 01-11-1987 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी --

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा।

7,700

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(1) रु. 2,500/- तक 'वेतन' का 0.67%, धन (+),

(2) रु. 2,500/- से ऊपर परंतु रु. 4,000/- तक 'वेतन' का 0.55%, धन (+),

(3) रु. 4,000/- से ऊपर परन्तु रु. 4,260/- तक 'वेतन' का 0.33%, धन (+),

(4) रु. 4,260/- से ऊपर 'वेतन' का 0.17%

21(2) 01-07-1993 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा—

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(क) रु. 4,800/- तक 'वेतन' का 0.35%, धन (+),

(ख) रु. 4,800/- से ऊपर परंतु रु. 7,700/- तक 'वेतन' का 0.29%, धन (+),

(ग) रु. 7,700/- से ऊपर परंतु रु. 8,200/- तक 'वेतन' का 0.17%, धन (+),

(घ) रु. 8,200/- से ऊपर 'वेतन' का 0.09%

टिप्पणी :

(1) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(2) महंगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 01-11-1994 से गिना जाएगा।

5. मूल विनियमों में, विनियम 22 के उप-विनियम (1) और (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,

22(1) 1-11-1994 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 4% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

22(2) 1-11-1992 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :—

स्तम्भ I	स्तम्भ II
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(i) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 13% प्रतिमाह
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% प्रतिमाह
(iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (I) और (II) के अन्तर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10½% प्रतिमाह
(iv) क्षेत्र III	वेतन का 9½% प्रतिमाह

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 4% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ 2 के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, होगा।

टिप्पणी : (1) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा 1-7-1993 को परिशोधित वेतनमान के अनुसार अवरोध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं ।

(2) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 1-11-1994 से प्रभावी गिना जाएगा ।

6. मूल विनियमों में, विनियम 23 के उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

23(1) 1-11-1993 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो वह उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :

स्थान	दर
(क) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का $4\frac{1}{2}\%$ अधिकतम रु० 335/— प्रतिमाह
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चण्डीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते।	मूल वेतन का $3\frac{1}{2}\%$ अधिकतम रु० 230/— प्रतिमाह

7. मूल विनियमों में, विनियम 24 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

24(1) अधिकारी अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात् :—

(क) चिकित्सा व्यय

1-11-1994 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अध्यधीन की जाएगी । इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उस खर्च का विवरण देना होगा :

सारणी

श्रेणी	वार्षिक
1	2
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु० 1,500/—
वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु० 2,000/—

टिप्पणी : (1) उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परन्तु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी ।

(2) चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 1994 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने, अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर, 1994 के लिए यथानुपात बढ़ाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के 'परिवार' में उसका पति/पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे ।

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च

(1) 1-11-1994 को और उसके बाद से, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी । सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(2) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से, यथास्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल अर्थात् किसी न्यास, धर्मार्थ संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबंधन के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऊपर वर्णित अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति-योग्य राशि तक सीमित रहेगी ।

(3) 1-11-1994 को या उसके बाद से, मान्यताप्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उसमें संबंधित खर्चों की अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :

कैंसर, श्वेतरक्तता, थैलेसामिया, तपेदिक, पक्षाघात, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, गुर्दे की खराबी, मिरगी, पार्किन्सन की बीमारियाँ, मनोविकार दोष और मधुमेह ।

टिप्पणी : घरेलू उपचार के मामले में दवाओं आदि की लागत की प्रतिपूर्ति विशेषज्ञ के नुस्खे में उल्लिखित अवधि के लिए की जाएगी । यदि अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु नुस्खा 90 दिनों तक वैध होगा ।

(2) उक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के होते हुए भी और उनका पूर्णतया प्रतिस्थापन करते हुए, नियत तारीख को जो चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) बैंक में उपलब्ध थे, निदेशक-मण्डल उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, उन्हें बनाए रखने का विनिश्चय कर सकता है और यदि निदेशक-मण्डल ऐसा तय करता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के लिए नियत तारीख को बैंक में लागू निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे ।

(3) चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं निलंबित अधिकारियों को भी दी जाएंगी ।

8. मूल विनियमों में, विनियम 25 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

25. अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा। किन्तु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 1-11-1994 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 4% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा।

परन्तु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

यदि बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे।

9. मूल विनियमों में, विनियम 41 के उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

41(4) 1-6-1995 को और उसके बाद से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी स्तंभ 2 में वर्णित तदनुरूपी दरों से विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	दैनिक भत्ता (रुपये) प्रमुख "ए" वर्ग के नगर	क्षेत्र 1	अन्य स्थान
1	2	3	4
वेतन मान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	250.00	200.00	175.00
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	200.00	175.00	150.00

परन्तु

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किन्तु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।

(ख) विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों के अधिकारियों को होटल के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के होटलों में एकल आवास कमरे के प्रभारों तक सीमित होगी :

खान-पान खर्च (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
वेतनमान VI और VII	4* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान IV और V	3* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान II और III	2* होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00
वेतनमान I	1* होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00

(ग) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर परन्तुक (ख) में निर्धारित सीमाओं से अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

(घ) यदि आवास की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गयी है तो तीन चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा।

(ङ) यदि भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा निःशुल्क की गई है तो आधा विराम भत्ता दिया जाएगा।

(च) यदि आवास और भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गई है तो चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा। लेकिन, यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप में हुए खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किए बिना, घोषणा के आधार पर आवास खर्च का दावा करता है तो उसे चौथाई विराम भत्ता नहीं दिया जाएगा

(छ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम की प्रतिदिन के लिए रु. 10/- का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण

विराम भत्ते की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो 'प्रतिदिन' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो।

10. मूल विनियमों में, विनियम 42 के उप-विनियम 2(1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

42.2(1) 1-7-1993 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी :—

वेतन-सीमा	परिवार-सहित	परिवार रहित
I रु० 4,250/- से रु० 6,210/- प्रतिमाह	3,000 किलोग्राम	1,000 किलोग्राम
II रु० 6,211/- प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2,000 किलोग्राम

11. मूल विनियमों में, विनियम 45 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

45. भविष्य निधि और पेंशन

(1) प्रत्येक अधिकारी, यदि वह पहले ही भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो बैंक द्वारा गठित भविष्यनिधि का सदस्य बनेगा तथा वह ऐसी निधि को शासित करने वाले नियमों द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत होगा।

(2) भविष्य निधि नियमों में यह व्यवस्था है कि 1-11-1993 को और उसके बाद से :—

(क) पेंशन योजना द्वारा शासित अधिकारी के मामले में केवल अधिकारी द्वारा वेतन के 10% की दर से भविष्य निधि में अंशदान, बैंक की ओर से किसी समतुल्य अंशदान के बिना, किया जाएगा।

परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

(ख) पेंशन योजना द्वारा शासित न होने वाले अधिकारी के मामले में, अधिकारी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान और बैंक द्वारा समतुल्य अंशदान वेतन 10% की दर से किया जाएगा।

परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

(3) 29-9-1995 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।

तथापि, निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं होंगे :—

(क) जो अधिकारी 29-9-1995 के पूर्व बैंक की सेवा में था, बशर्ते कि उसने पेंशन योजना के संबंध में बैंक की नोटिस के जवाब में पेंशन योजना का सदस्य होने का विकल्प विशेष रूप से चुन लिया हो।

(ख) जो अधिकारी 29-9-1995 को या उसके बाद 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु में भर्ती हुआ है, और जिसने पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का अपना अधिकार छोड़ देना चुना है।

टिप्पणी :—भविष्य निधि के प्रयोजन हेतु 'वेतन' का अर्थ है मूल वेतन, जिसमें अवरोध वेतनवृद्धियां, स्थानापन्न भत्ता, व्यावसायिक अर्हता भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ते या वेतनवृद्धि घटक शामिल हैं।

12. मूल विनियमों में, विनियम 46 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

46. उपदान :

(1) प्रत्येक अधिकारी, निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा :—

(क) सेवा-निवृत्ति पर;

(ख) मृत्यु पर;

(ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है;

(घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग-पत्र देने पर; या

(ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दण्डस्वरूप सेवा-समाप्ति को छोड़कर अन्य किसी कारण से सेवा-समाप्ति पर।

(2) अधिकारी को देय उपदान की राशि के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

परन्तु जिस अधिकारी की सेवाएं 1-7-1993 से 31-10-1994 के दौरान समाप्त हो गयी हैं उसके उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन से तात्पर्य विनियम 4 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित अनुसार वेतनमान से है।

टिप्पणी :

यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरिक्त छह महीने या उससे अधिक की कोई अवधि बचती है तो उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर उपदान दिया जाएगा।

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन अधिसूचना सं. पी.ई.आर./टी.पी./पी.सी.आर./1041/91 दिनांक 7-3-1991 द्वारा गजट किए गए थे।

सी. महादेवन

महाप्रबन्धक

(कार्मिक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली—110066, दिनांक 7 जनवरी 1997

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) दिल्ली (1372)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	दिल्ली/17053	मै० सीमा फैशन्स, एफ—17, उद्योग नगर, पीरागढ़ी, दिल्ली—110041	1—6—95

1	2	3	4
2.	दिल्ली/16969	मैं० दीपक इन्टरप्राइजिज, 170, आर० पी० एस० कालोनी, अपो० खानपुर डिपो, नई दिल्ली–110062	1–4–94
3.	दिल्ली/16920	मैं० रावे स्केन्स, ए–27, नरायणा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–II, नई दिल्ली–110028	1–5–95
4.	दिल्ली/16929	मैं० एस० आर० ट्रेडर्स, 23, कम्युनिटी सेन्टर, मायापुरी, फेस–1, नई दिल्ली–110064	1–4–95
5.	दिल्ली/16755	मैं० नेशनल म्यूजियम इन्स्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट कन्जरवेशन एण्ड म्यूजिओलोजी, मार्फत नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली–110001	1–4–92
6.	दिल्ली/16885	मैं० इन्टरडेकर, ई–271, नरायणा विहार, नई दिल्ली–110028	1–4–95
7.	दिल्ली/16888	मैं० ट्रीक्षीम कारपोरेशन सी–53, हिमालय हाऊस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001	1–4–95
8.	दिल्ली/9760	मैं० इण्डो गल्फ एक्सप्लोरिंग लि०, बी–2/13, अफ्रीका एवेन्यू, सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली–110029	1–11–88

अतः मैं, आर० एस० कौशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है।

आर० एस० कौशिक,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) कर्ना० (1385)/96/12—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	कर्ना०/बंग०/18325	मैं० रॉयल सिक्योरिटी सर्विसिज एण्ड प्रा० इन्वेस्टीगेटर्स, 109, रत्नम कॉम्पलैक्स, 8वां मेन, 18वां क्रॉस, मल्लेश्वरम, बंगलौर–560055.	1–11–94
2.	कर्ना०/बंग०/18139	मैं० श्यामचन्द अग्रालस, 570, 4वां 'ई' मेन, दूसरा स्टेज, 11वां क्रॉस, वेस्ट ऑफ चोर्ड रोड, बंगलौर–560086.	31–10–94

1	2	3	4
3.	कर्ना०/18878	मै० जैड डिटेक्टिव एजेंसी (प्रा०) लि०, नं० 112/2, 17वां मेन रोड, 5वां ब्लाक, के० एच० बी० कालोनी, कोरामंगला, बंगलौर-560095.	1-12-94
4.	कर्ना०/बंग०/18376	मै० कविराज एन्टरप्राइसिज प्रा० लि०, प्लाट नं० 245, तीसरा फेज, पीन्या इण्डस्ट्रीयल एरिया, बंगलौर-560058.	1-2-95
5.	कर्ना०/बंग०/18621	मै० श्री रामा एन्टरप्राईजिज, डोर नं० 122, डासानपुरा, डासानपुरा पोस्ट, बंगलौर नार्थ तालुक, बंगलोर डिस्ट्रीक्ट	1-10-93
6.	कर्ना०/बंग०/18829	मै० श्री रामा नर्सिंग होम, नं० 34 एण्ड 35, संजीवाप्पा लेन, कुब्बीनपेट, बंगलौर-560002.	1-6-95
7.	कर्ना०/बंग०/18839	मै० रशमी इन्टरप्राईजिज, नं० 47, दूसरा क्रॉस, हेगांहली, मेन रोड, पीन्या दूसरा स्टेज, बंगलौर-58	1-7-95
8.	कर्ना०/बंग०/18775	मै० बालाजी इंजीनियरिंग कं०, सीट नं० 2-ए, (बैंक साईड) बिसमिल्ला नगर, तवारेकेरे, बन्नेरघट रोड, क्रॉस, बंगलौर-560029.	31-5-95
9.	कर्ना०/बंग०/18885	मै० मस्कट लेबोरेटरी सर्विसिज, 93, तीसरा फेज, पीन्या इण्डस्ट्रीयल एरिया, बंगलौर-560058.	1-1-95
10.	कर्ना०/बंग०/18748	म० रिगो एण्ड सन्स, 8/4, एच० एम० टी०, मेन रोड, मेथीकेरे, बंगलौर-560054.	31-10-94

अतः मैं, आर० एस० कौशिक, केन्द्रीय शुल्क भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

आर० एस० कौशिक,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) पी० एन० (1392)/96/25—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	पी० एन० 17276	मै० परफैक्ट ट्रांसमिशन प्रा० लि०, डी-23, स्पोर्टस एण्ड सर्जिकल गुड्स कम्पलेक्स कपूरथला रोड, जालन्धर सिटी-144002 पंजाब	1-4-95

अतः मैं, आर० एस० कौशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

आर० एस० कौशिक,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा० आ० सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) कर्ना० (1394) 96-29—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	कर्ना०/बंग०/18886	मै० सुष्मा इण्डस्ट्रीज, नं० 18-ई, दूसरा फेज, पीन्या इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीन्या, बंगलौर-560058.	31-8-95
2.	कर्ना०/बंग०/18749	मै० एल० बी० बी० बेकरी, नं० 274/4, न्यु गुड्डाहली, मैसूर रोड, बंगलौर-560026.	1-7-95
3.	कर्ना०/बंग०/18820	मै० चैतन्या इन्टरप्राइजेस, नं० 1/ए, चौथा मेन रोड, रामाचन्द्रमपुरम, बंगलौर-560021.	30-6-95
4.	कर्ना०/बंग/18863	मै० मुकम्बीका मेटल क्राफ्ट 1941/1991, शंकाप्पाकाट्टे, मगाडी रोड, बंगलौर-560091.	30-6-95
5.	कर्ना०/बंग०/18723	मै० त्रिप्रानिल सिन्थेटिक इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, 13-49/4, शंकापाकाडे, मगाडी रोड, बंगलौर-560091.	31-12-94
6.	कर्ना०/बंग०/18729	मै० प्युरस्ट्रीम सिस्टम प्रा० लि०, पो० बाक्स नं० 7962, नं० 16, एन० एच० सी० एस० लेआउट, कावेरीनगर, विजयनगर नार्थ, बंगलौर-560079.	31-5-95
7.	कर्ना०/बंग०/18735	मै० विकसान एसोसिएटस नं० 180/ई, 4वां 'ए' मेन, तीसरा क्रास, तीसरा ब्लाक, तीसरा स्टेज, बासावेश्वरानगर, बंगलौर-560079.	30-4-95
8.	कर्ना०/बंग०/18561	मै० नेताजी सिक्योरिटी सर्विसिज, नं० 28, 7वां क्रास, शक्ति गणपथि नगर, वासावेश्वरानगर, बंगलौर-560079.	31-3-95
9.	कर्ना०/बंग०/18641	मै० रवि क्लीनिंग मैनेजमेंट सर्विस, नं० 672/3, मारूति बिल्डिंग, नियर गवर्नमेंट स्कूल, टी० डासाराहली, बंगलौर-560057.	1-2-95
10.	कर्ना०/बंग०/18794	मै० प्रीमियर पावर सिस्टमस, नं० 8/1, 1 'बी' क्रास, सुधामा नगर, लालबाग रोड, क्रास, बंगलौर-560027.	1-4-95

अतः मैं, आर० एस० कौशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है।

आर० एस० कौशिक,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) दिल्ली (1398)/96/42—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	दिल्ली/17337	मै० दिवाकर नायक, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मार्फत एन० बी० सी० सी० सिटी सेंटर, फेस-II, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.	18-2-95
2.	दिल्ली/17336	मै० प्रोफिक ओरगेनिक लि० 54ए/ए-10, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019.	1-5-95
3.	दिल्ली/17324	मै० श्रुति शर्मा 10, फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024.	1-10-95
4.	दिल्ली/17305	मै० जय जवान सिक्युरिटी प्रा० लि० डब्ल्यु जैड-553, ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046.	1-6-95
5.	दिल्ली/17309	मै० डी० एस० पी० टैक्नोलोजी एण्ड ट्रेड लि० 705-707, अरूणाचल भवन 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.	1-10-95
6.	दिल्ली/17470	मै० ह्यूमेन रिप्रोडक्शन रिसर्च सेंटर इंडियन कौंसिल आफ मैडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट आफ आब्सटेट्रीक्स एण्ड ग्यानोकोलोजी, सफदरजंग हास्पीटल, नई दिल्ली-110029.	1-4-95
7.	दिल्ली/17471	मै० जे० एल० सरना एक्सपोर्टस ए-11-ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016.	1-1-96
8.	दिल्ली/17450	मै० एम० एन० एस० हाऊस कीपिंग एण्ड कंसलटेंसी सर्विसिज, 66-बी, जी० जी० 1, एम० आई० जी० फलैट्स, विकासपुरी, नई दिल्ली-18.	1-12-95
9.	दिल्ली/17304	मै० मैक्वैल सर्विसिज 47/3, इंदरा पार्क एक्टेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली।	1-4-95
10.	दिल्ली/17398	मै० एयर फोर्स कैंटीन एयर फोर्स स्टेशन, रेस कोर्स, नई दिल्ली-110003.	1-6-95
11.	दिल्ली/17278	मै० सिक्योरिटी-कम-इनवेस्टीगेशन एजेंसी ए-74/1, एस० एफ० एस० मार्ग नं० 3, नियर अनुपम सिनेमा, साकेत, नई दिल्ली-110017.	1-6-95

अतः मैं, आर० एस० कौशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उक्त अधिनियम के उपबंध उनके सामने दर्शायी गयी तिथि से लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० एस० कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० श्रा० 1(4)दिल्ली(1399)/96/53—सा०श्रा० केन्द्रीय भविष्य निधि श्रायुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्न लिखित स्थापनाश्रों से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि श्रौर प्रकीर्ण उपबंध श्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाश्रों पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	दिल्ली/17298	मै० किशोर चन्द्रा, इलैक्ट्रीकल इंजीनियर एण्ड कांट्रैक्टर, बी–65, गली नं० 3, वैस्ट विनोद नगर, नियर–मयूर विहार, फेस–II, दिल्ली–110092.	1–9–95
2.	दिल्ली/17301	मै० कमांडो सिक्योरिटी सर्विसिज, 3243, सैक्टर डी, पॉकेट–3, बसंत कुंज, नई दिल्ली–110070.	1–4–95
3.	दिल्ली/17348	मै० कोहली एण्ड संस, 2, क्लब रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054.	1–11–95
4.	दिल्ली/16040	मै० सात्विक मार्केटिंग इंडिया (प्रा०) लि०, सी–5, कुतुब होटल, नई दिल्ली–110016.	1–4–94
5.	दिल्ली/17292	मै० श्रर्चना एयरवेज लि०, 41–ए, फ्रैण्ड्स कालोनी ईस्ट, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110065.	1–5–95
6.	दिल्ली/17280	मै० श्रनिल मंडल एण्ड कं० मकान नं० 339, वार्ड नं० 4, महरौली, नई दिल्ली–110030.	1–9–95
7.	दिल्ली/17353	मै० मम्बेनी कोरपोरेशन प्रोजेक्ट श्राफिस, मार्फत एशिया ब्राउन बोवेरी लि०, सोम दत्त चैम्बर्स–1, 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066.	1–8–95
8.	दिल्ली/17248	मै० फाईन फूड प्रोडक्टस, खसरा नं० 70, रंगोला विलेज, नई दिल्ली–110041.	1–6–95
9.	दिल्ली/17300	मै० गुलाटी बिल्डर्स एण्ड पब्लिशर्ज प्रा० लि०, गुलाटी मेनशन, बिल्डिंग नं० 10, ब्लाक नं० 4, श्रासफ श्रली रोड, नई दिल्ली–110001.	1–4–95

श्रत: मैं, श्रार० एस० कौशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि श्रायुक्त उक्त श्रधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाश्रों पर उस या उसी प्रभावी तिथि से श्रधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाश्रों के नमस के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० एस० कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि श्रायुक्त

सं० के० भ० नि०आ० 1(4) कर्नाटक (1402)/65/96—सा० आ० केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	कर्ना०/12944	मै० एडलाब्स कोडक एक्सप्रेस, प्लाजा टावर्स अपो० के० एस० सी०, हमपंकट्टा, मंगलौर—575001.	1–1–97
2.	कर्ना०/बंग०/15411	मै० टैक्सटाईल को-आपरेटिव बैंक लि०, देवांगा मार्किट, जामा मस्जिद रोड, बंगलौर—560002	1–1–93
3.	कर्ना०/बंग०/18314	मै० ट्रैक एयर कंडीशनर्स प्रा० लि०, नं० 3, एण्ड 5, कनाट रोड, बंगलौर—560052.	1–12–94
4.	कर्ना०/बंग०/18697	मै० सत्यावथी लेबर कांट्रेक्टर, त्रिरगोनगर ओल्ड मद्रास रोड, बंगलौर—560049.	1–6–95
5.	कर्ना०/बंग०/18789	मै० नन्दी हिल्स होटल्स एण्ड रिसोर्टस लि०, जानसन्स बिल्डिंग, 75–76, कमर्शियल स्ट्रीट, बंगलौर—560001.	1–6–95
6.	कर्ना०/बंग०/18831	मै० सैन सोपस एण्ड डिटरजैंटस, 52/2बी, गोदावरी इस्टेट, नीयर बुदीगिरि क्रास, ऑफ ओल्ड मद्रास रोड, बंगलौर—560049.	1–6–95
7.	कर्ना०/16258	मै० मनिपाल होटलस लि०, मनिपाल सेंटर, 47, डिकन्सन रोड, बंगलौर—560042.	1–3–93

अतः मैं, आर० एस० कौशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० एस० कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुम्बई, दिनांक 5 दिसम्बर 1996

सं० यू टी/डी बी डी/एम/आर ए एसजीडी 2/77/96–97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 21 के अन्तर्गत बनाए गये, कार्यकारिणी समिति द्वारा 16 मार्च, 1993 को आयोजित बैठक में अनुमोदित तथा कार्यकारिणी समिति की क्रमशः 19 अप्रैल, 1993, 16 जून 1993, 22 दिसम्बर, 1993, 31 जनवरी, 1994 और 26 जून, 1996 की बैठकों में संशोधित ग्रैंड मास्टर यूनिट योजना—1993 के उपबन्ध इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं।

ए० जी० जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

ग्रैंड मास्टर यूनिट योजना—1993

यूनिट योजना ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना—1993 यूटी आई के न्यासी मंडल द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई है।

विशिष्टताएं

*सतत खुली वृद्धि योजना

*बालिग/नाबालिग निवासी और अनिवासी व्यक्तियों अविभक्त हिन्दू परिवारों/न्यासों/भागीदारों वाली फर्मो समितियों/निगमित निकायों (कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों सहित) विदेशी निगमित निकायों (ओ सी बी)/ विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए खुली।

* शुद्ध आस्ति मूल्य पर आधारित कीमत पर पुनर्खरीद।
* प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीकरण के जरिए नकदीकरण।

जोखिम के तत्व

* योजना के यूनिटों में निवेश पर बाजार का जोखिम होता है और योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) का ऊपर या नीचे जाना योजना के पोर्टफोलियो को प्रभावित करने वाली बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है।
* ट्रस्ट की पहले योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है। इस योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।
* ग्रैंड मास्टर यूनिट योजना—1993 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि वे इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।

योजना की विस्तृत विशेषताएं नीचे दी गई है:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ:

यह योजना ग्रैंड मास्टर यूनिट योजना—1993 कही जाएगी और 1[29 अप्रैल 1993] से लागू होगी।

2. परिभाषाएं:

इस योजना में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो—

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963

(ख) 'आवेदक' का अर्थ वह व्यक्ति है, जिसने योजना के अन्तर्गत यूनिटों के लिए आवेदन किया हो।

1. 190493 से जोड़ा गया।

(ग) 'आवेदन' का अर्थ सभी आवेदकों के लिए यूनिट पेश करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र से है, जिसमें निवेशक जन के लिए योजना में यूनिट अभिदान के प्रयोजनार्थ नियम और शर्तें समाविष्ट हो।

(घ) 'आबंटन' का अर्थ इस प्रयोजनार्थ ट्रस्ट द्वारा निर्धारित रीति में वैध आवेदन पर यूनिट के आबंटन से है।

1(घक) 'स्वीकृति तिथि' अथवा ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को दिए गए आवेदन के संदर्भ में स्वीकृति तिथि का अर्थ उस तिथि से है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है।]

(ङ) 'निर्गम' का अर्थ उपरोक्त (ग) में यथोक्त संबंधित आवेदन पर में अभिदान के लिए योजना के अन्तर्गत पेश और निर्गत यूनिटों की कुल संख्या से है।

(च) 'सूचीबद्ध' का अर्थ मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में जो प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत उस समय मान्यताप्राप्त हो, में व्यापार के प्रयोजनार्थ यूनिटों के सूचीबद्ध होने से है।

(छ) 'ग्रैंड मास्टर' का अर्थ इसके बाद यथा पारिभाषित यूनिट और इसके बाद यथा पारिभाषित 'ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना' या ग्रैंड मास्टर की पूंजी में शेयर या यूनिट से है।

(ज) 'ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना' या 'ग्रैंडमास्टर का अर्थ ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना—1993 के अन्तर्गत निर्गत यूनिटों से है।

1[(जक) 'अनिवासी भारतीय (एन आर आई)' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है। जैसा कि मूलत: अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृ पक्ष या मातृ पक्ष से हो, भारत में जन्मा हो जन्मी हो।

(झ) 'निगमित' यूनिटों की संख्या का अर्थ बिक्री किए गए और बकाया यूनिटों की समग्र संख्या से है 2[]।

(ञ) 'यूनिट पेशकश' का अर्थ योजना के अन्तर्गत पूंजी निर्माण के लिये निवेशकों को प्रदत्त पेशकश दस्तावेजों के अन्तर्गत ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री के लिए की गई पूर्ण पेशकश से है।

1[(झक) "विदेशी निगमित निकाय (ओ सी बी)" सहित विदेशी कम्पनियां, भागीदारी फर्में, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60%

तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हों।

(ट) 'यूनिट धारक व्यक्ति' या 'यूनिट धारक' का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास उस समय यूनिट हों।

(ठ) 'रजिस्ट्रार' का अर्थ इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्ति से है।

(ड) 'विनियमावली' का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत निर्मित भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 से है।

(ढ) [1][("सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज जिसे भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अन्तर्गत स्थापित किया गया)]।

(ढ) 'व्यापार" का अर्थ यूनिट के प्रथम आबंटन के बाद किसी भी शेयर बाजार के माध्यम से यूनिटों की खरीद या बिक्री के रूप में किए जाने वाले लेन देन से है।

---

1. 26-6-96 से जोड़ा गया।

2. "निर्गम के बन्द होने के बाद" 26-6-96 को हटाया गया

(ण) 'यूनिट' का अर्थ दस रुपये के अंकित मूल्य के एक अविभक्त शेयर से है।

(त) "यूनिट पूंजी" का अर्थ योजना के अन्तर्गत निर्गत और आबंटित यूनिटों के समग्र अंकित मूल्य से है।

(थ) इस योजना में अपरिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें दिये गये हैं।

(द) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग और उनके विपरीतार्थ समाविष्ट होंगे।

3. मुख्य उद्देश्य :

यह योजना कम्पनी प्रतिभूतियों और बाजार के विकास में भागीदार और हिस्सेदार बनाने के लिये सामान्य निवेशकों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से बनाई गई है। चूंकि दीर्घावधि पूंजी वृद्धि इस योजना का मुख्य लक्ष्य होगा। इसलिये लाभांश के रूप में प्राप्त संवितरण की अपेक्षा राइट्स और बोनस के माध्यम से वृद्धि में हिस्सेदारी पर जोर दिया जाएगा।

4. निवेशकों की श्रेणियां :

निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति यूनिटों के लिए आवेदन कर सकते हैं :—

1. निवासी भारतीय, जो वयस्क हैं, चाहे एकल रूप में या संयुक्त आधार पर तीन व्यक्तियों तक संयुक्त रूप में।

2. [1][प्रत्यावर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय, दोनों आधारों पर अनिवासी भारतीय [2](व्यक्ति हिन्दू अविभक्त परिवार और विदेशी निगमित निकाय) [3][ ] अनिवासी प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रेषण विदेशी मुद्रा में, चाहे एफ सी एन आर खाते एन आर खाते से हो या सीधे हो)।

3. अवयस्क:

अवयस्क की ओर से उनके पिता, माता या विधिक अभिभावक निवेश करने के पात्र होंगे।

4. निगमित निकाय का अर्थ और उसमें शामिल हैं कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनी और सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजीकृत या तत्समय प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित समितियां ऐसी समिति इसमें इसके बाद समिति कही जाएगी।

5. पात्र ट्रस्ट का अर्थ विनियम 2 के खण्ड (एएए) में इसको दिए गए इसके अभिप्रेत से है।

6. समिति का अर्थ होगा और उसमें शामिल होगा उक्त निगमित निकाय, जिसकी परिभाषा ऊपर विनिर्दिष्ट की गई है।

7. भागीदार फर्म :

भागीदारी फर्म का अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 में दिये गये अर्थ से हैं, लेकिन अभिव्यक्ति साझेदार में : वह व्यक्ति भी शामिल होगा, जिसे अवयस्क होने के नाते साझेदारी फर्म के लाभ के लिये प्रवेश दिया गया हो।

8. हिन्दू अविभक्त परिवार

[4][9. सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक

5. खर्चों पर सीमा :

आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :—

---

1. "अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय आधार पर था ऊपर जैसी शर्तों पर दिनांक 19-4-93 को प्रतिस्थापित।

2. 26-6-96 को जोड़ा गया।

3. "तथा उपयुक्त शर्तों पर 26-6-96 को हटाया गया।

4. 26-6-96 को जोड़ा गया।

1 (व्यय)	प्रतिशत
प्रशासनिक व्यय	1.00
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.10
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
अन्य व्यय	0.80
योग	3.00

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तन किए जाने के अधीन हैं फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही होगा। इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान योजना के साप्ताहिक औसत एन ए वी के 1.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

शुल्क व्यय और लेखा नीतियां विनियमों/सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होंगी।

2. (VI) यूनिटों की बिक्री :

(क) इस योजना के अन्तर्गत यूनिट 3 [निवासियों और अनिवासियों दोनों को] पेश किए जायेंगे और अभिदान के लिये खुले रहेंगे।

(ख) कोई व्यक्ति या तीन से अनधिक व्यक्ति जो वयस्क हों (संयुक्त आधार पर) यूनिटों के लिये आवेदन कर सकते हैं।

(ग) कोई मां बाप, सौतला मां बाप या अन्य वैध अभिभावक अवयस्क की ओर से आवेदन कर सकता है।

(घ) यूनिट का अंकित मूल्य रु० 10/- होगा। आवेदन सौ के गुणक में न्यूनतम दो सौ यूनिटों के लिये केवल निर्धारित फार्म में किये जायेंगे। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(ङ) आवेदित यूनिटों के लिये भुगतान सहित विधिवत् रूप से भरे गये आवेदन पत्र 4[ ] ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में या किसी प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में दिये जा सकते हैं। 5[यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाय, तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चैक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चैक की वसूली हो। यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाय, तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाये।] यदि कोई आवेदन अपूर्ण पाया जायगा तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ऐसी आवेदन राशि की वापसी ट्रस्ट द्वारा ब्याज रहित, जो भी हो, यथाशीघ्र कर दी जायेगी।

1[(च) योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री 1 अगस्त, 1996 से सारा वर्ष, बही बन्दी की अवधि को छोड़ कर जो एक लेखा वर्ष में 45 दिन से अधिक नही होगी। खुली रहेगी।

ट्रस्ट योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री को शेयर बाजारों में कारोबार में बाधा, किसी दूसरी समाजार्थिक, आशंका आदि की परिस्थिति में मुख्य समाचार पत्रों में सात दिन की पूर्व सूचना देकर या यथा निर्धारित किसी अन्य रीति से किसी भी समय बन्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. [ ]

3 [ ]

---

1. 26-06-96 से जोड़ा गया।

2. "यूनिटों की बिक्री" से "यूनिट प्रमाण पत्र का विनिमय और प्रमाण पत्र के कटफट, विरूपित, खो जाने आदि पर क्रिया विधि" खण्डों के V से XXVIII तक के नम्बर 26-06-96 के VI से XXIX तक पुनः दिये गये हैं।

3. "केवल व्यक्तियों, भारत में स्थापित कम्पनियों/निगमित निकायों द्वारा" के लिये 26-06-96 को प्रतिस्थापित।

4. "बिक्री के लिये निर्धारित अवधि के दौरान" 26-06-96 को हटाया गया।

5. 26-06-96 को जोड़ा गया।

1. 5[यूनिट की बिक्री 29 अप्रैल 1993 से अनिवासी भारतीयों के लिये 40 दिन की अवधि के लिये और अन्य श्रेणी के निवेशकों के लिये 38 दिनों की अवधि तक खुली रहेगी।] के लिये 26-06-1996 को प्रतिस्थापित।

2. "(छ) ट्रस्ट पेशकश अवधि या अपने विवेक पर निर्गम पहले ही बन्द करने के बाद किसी भी परिस्थिति में यूनिट की बिक्री की पेशकश के लिये बाध्य नहीं होगा। कार्य समय 6 (यूनिट बिक्री के अन्तिम दिन अर्थात् अनिवासी भारतीयों के लिये 7 जून 1993 और अन्य श्रेणी के निवेशकों के लिये 5 जून 1993] की समाप्ति के बाद और किसी भी प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र पर बाद में प्राप्त आवेदन अवैध और अस्वीकृत माना जायगा।" 26-06-96 को हटाया गया।

3. (ज) ट्रस्ट अपने विवेकानुसार यूनिट धारकों को यूनिट की बिक्री के लिये अवधि बढ़ा सकता है। 16-06-93 को जोड़ा गया और 26-06-94 को हटाया गया।

VII. निवेश लक्ष्य :

योजना का प्रयास सभी प्रारम्भिक, पूर्व परि- और चालन परिचालन व्यय की अदायगी के बाद भारत में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में प्रतिभूतियों में पूंजी का निवेश करना होगा। कुछ समय के बाद निवेश मुख्य रूप से कम्पनियों की इक्विटी, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, तथा अन्य पूंजी और मुद्रा बाजार लिखतों में किये जायेंगे। निवेश संविभाग का विन्यास इस दृष्टि से किया जायगा कि पूंजी लाभ, यदि हो, का पुनर्निवेश करके और खर्चों की अदायगी तथा प्रावधान करने के बाद केवल चालू और सामान्य आय का भुगतान यथा संभव दीर्घावधि वृद्धि प्राप्त करना होगा।

4[योजना के अन्तर्गत संग्रहीत निधियों का, सभी प्रारंभिक निर्गम व्यय के लिये प्रावधान करने के बाद समान्यत: योजना के लक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित रीति से निवेश किया जायेगा :

(1) योजना की कम से कम 80% निधि का इक्विटी और इक्विटी सम्बन्ध लिखतों में निवेश किया जायगा। इक्विटी निवेशों में जोखिम मध्यम से उच्च होगा।

(2) योजना की 20% तक निधि का ऋण एवं मुद्रा बाजार लिखतों मे निवेश किया जाएगा। निवेश में जोखिम न्यून से मध्यम होगा। उपरोक्त के बावजूद मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश इस बारे में सेबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।

VII. यूनिटों का आबंटन :

(क) 1 [ ]

(1) 2 [आबंटन की तिथि आवेदन की स्वीकृति तिथि होगी] [3]।

4. 26-06-96 को जोड़ा गया।

5. "यूनिट बिक्री 29 अप्रैल से 29 मई 1993 तक 31 दिन की अवधि के लिये खुली रहेगी"। 16-06-1993 को प्रतिस्थापित, जो पहले "यूनिटों की बिक्री दि०————————से शुरू होकर ————————दिन की अवधि" के लिए खुली रहेगी, 19-04-1993 को प्रतिस्थापित किया गया था।

6. "29 मई 1993" के लिये 16-06-1993 को प्रतिस्थापित, जो पहले 19-04-1993 को जोड़ा गया था।

1. "आवेदन पर यूनिटों का आबंटन ट्रस्ट के पूर्ण विवेक पर और यथा संभव निम्नलिखित रीति से किया जायगा : 26-06-1996 को हटाया गया।

2. "यूनिट का आबंटन 4 [1 अगस्त,] 1993 को किया जायगा" के लिये 26-06-1996 को प्रस्थापित।

अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन और अन्तरण-पत्र :

यदि निबन्धक द्वारा रखी गई बहियों में पहले से ही मुख्तारनामा पंजीकृत नहीं हो तो वैध मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन या अन्तरण पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने के मामले में, यथास्थिति, आवेदन या अन्तरण पत्र के साथ मूल मुख्तारनामा या उसकी सम्यक नोटरीकृत प्रमाजित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी चाहिये।

X. यूनिटधारकों की पंजी :

यूनिटधारकों के पंजीयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किये जायेंगे :

(क) ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारकों की पंजी रखी जायगी और इससे संबंधित निर्णय ट्रस्ट द्वारा लिये जायेंगे। पंजी में निम्नलिखित विवरण रखे जायेंगे।

(i) यूनिटधारकों के नाम और पते :

(ii) यूनिट प्रमाण पत्र या प्रमाणपत्रों की विभेदक संख्या और हरेक ऐसे धारक द्वारा रखी गई यूनिटों की संख्या; और

(iii) जिस तिथि से धारक के नाम में यूनिट है, वह तिथि।

(ख) किसी धारक की मृत्यु हो जाने पर उक्त यूनिटों के हकदार किसी अन्य व्यक्ति, ट्रस्ट द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली रीति से दावा मान्य होने के बाद ऐसा अन्य व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और संबंधित यूनिटें हमेशा सौ के गुणक में होगी।

(ग) जहां यूनिट प्रमाण पत्र दो या तीन व्यक्तियों के नाम में हो वहां ऐसें व्यक्ति संयुक्त आधार पर यूनिटधारक माने जायेंगे :

3. 5000 ग्रैडमास्टर यूनिटों (रु० 50,000) का निश्चित आबंटन किया जायगा और उसके बाद समग्र अभिदान को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के विवेकानुसार आबंटन किया जायगा। आबंटन की रीति और प्रक्रिया का आधार वही होगा, जिसे ट्रस्ट उचित और न्याय संगत समझे और इस सम्बन्ध में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा 5 [लेकिन, अनिवासी भारतीयों के लिये निश्चित आबंटन किया जायगा, चाहे जितनी राशि का निवेश किया गया हो।]

(ख) वापसी आदेश एकमात्र आवेदक के मामले में आवेदक के नाम से और अन्य मामलों में प्रथम आवेदक के नाम से आहरित बैंक लिखतों द्वारा भेजा जायगा।" 26-06-1996 को हटाया गया।

4. 19-4-1993 को जोड़ा गया।

5. 16-6-1993 को जोड़ा गया।

(i) हरेक मामले में यह समझा जायेगा कि ऐसे व्यक्तियों में से पहला व्यक्ति यूनिटधारक है और अन्तरण या अन्य कार्यों के लिये, यदि हो, वह पहला व्यक्ति सक्षम माना जाएगा।

(ii) सभी भुगतान पहले धारक को किये जायेंगे और उसकी रसीद योजना के सम्बन्ध में वैध निपटान मानी जाएगी।

(iii) योजना के अन्तर्गत सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिय पत्राचार प्रथम धारक से किया जायगा और प्रथम धारक से किया गया सभी पत्राचार योजना के दायित्वों का वैध निपटान माना जाएगा।

(iv) किसी संयुक्त धारक की मृत्यु हो जाने पर उत्तर जीवी ही वह व्यक्ति होगा, जिसे योजना द्वारा प्रमाण पत्र में अंकित यूनिटों के हकदार या हिता-धिकारी के रूप में मान्यता दी जाएगी।

लेकिन किसी व्यक्शि के नाम से यूनिटों का पंजीयन होने से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर, जो उक्त यूनिटों से संबंधित उत्तरजीवी/(कवियों) के विरूद्ध हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) यूनिटधारक के नाम और पते में परिवर्तन की सूचना निबंधक को दी जायगी। ऐसे परिवर्तन का समाधान हो जाने पर और अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी करने पर निबंधक तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा।

(ङ) इसमें इसके बाद यथा उपबन्धित पंजी बन्दी को छोड़कर निबन्धक द्वारा लगाए गए समुचित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्य समय के दौरान पंजी प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घण्टे के लिए यूनिट धारक के निरक्षण के लिए खुली रखी जायगी।

(च) ट्रस्ट द्वारा निर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बन्द रखी जायगी लेकिन एक वर्ष में 1 (45) दिन अधिक समय के लिय पंजी बन्द नहीं रखी जायगी। किसी अवधि या अवधियों के लिय पंजी बन्द होने की सूचना कम से कम दो प्रमुख अंग्रेजी और एक देशी भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा दी जायगी।

(छ) निबन्धक और योजना तब तक न तो ट्रस्ट अभि-व्यक्त या विवक्षित न्यास्विक की कोई जानकारी प्राप्त करेगी और न ही पंजी में किसी यूनिट से संबंधित कोई जानकारी ग्रहण करने के लिय बाध्य होगी जब तक किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाय।

(ज) किसी यूनिटधारक की मृत्यु होने पर कार्यपालक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का धारक या कोई विधिक प्रतिनिधि ही वह व्यक्ति होगा, जिसें निबन्धक द्वारा यूनिट के हकदार के रूप में मान्यता प्रदान की जायगी और ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर पुनर्खरीद के लिय पेश करेगा

(झ) मृत्यु, दिवालियापन या एकमात्र धारक या संयुक्त धारक के उत्तरजीवी के समाप्त हो जाने के परि-णामस्वरूप यूनिट के हकदार व्यक्ति को निबंधक के समाधान के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद यथास्थिति यूनिट के धारक के रूप में पंजीकृत कर लिया जायगा या यूनिट के अन्तरण के लिय अनुमति प्रदान की जायगी।

(ञ) उक्त खण्ड (छ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई यूनिटधारक किसी अनु-सूचित बैंक में प्रमाण पत्र गिरवी रखता है तो पंजी में गिरवी के हित का उल्लेख किया जायगा। यदि गिरवी प्रवृत करते हुए अनुसूचित बैंक यूनिट का अन्तरण और अपने नाम में पंजीकृत कराना चाहे तो निबन्धक ऐसा अनुरोध मान लेगा और पंजी में ऐसें विवरण की प्रविष्टि कर देगा कि प्रमाण पत्र का धारक बैंक है।

XI. निर्गम के बाद यूनिटों का अंतरण :

मुख्य शेयर बाजारों में योजना के सूचीबद्ध होने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर योजना के अन्तर्गत निर्गत और बकाया सभी यूनिट स्वतन्त्र रूप से अंतरणीय हैं।

(क) योजना के उप बन्धानुसार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र परक्राम्य है और व्यक्तियों अभिव्यक्त तथा ऐसी अन्य श्रेणियों, जो योजना के उपबन्धों के खण्ड 4 में उल्लिखित हैं, को अंतरित किये जा सकते हैं। अंतरण विलेख की स्वीकार्यता और योजना के अन्तर्गत यूनिट धारक के रूप में अंतरिती की ग्राह्यता ट्रस्ट के पूर्ण विवेक पर होगी।

(ख) यूनिट रखने के लिए सक्षम अंतरक और अंतरिती द्वारा और उन के बीच में अंतरण हो सकता है। योजना अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

(ग) सभी अंतरण शेयर बाजार द्वारा निर्धारित शेयर अंतरण पत्र का प्रयोग करते हुए किए जाएंगे जो न्यूनतम दो सौ यूनिट के लिए होंगे और उसके बाद सौ के गुणांकों में होंगे।

(घ) योजना द्वारा समय समय पर विहित शुल्क सहित संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र के साथ अंतरण लिखत इस प्रयोजनार्थ नियुक्त निबन्धकों के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

1. "60" के लिए 26–06–96 को प्रस्थापित जो पहले "45" के लिय 31–01–94 को प्रस्थापित किया गया था।

(ङ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत और उसके द्वारा स्वीकृत अंतरण विलेख निकटतम निबंधक कार्यालय को भेजा जाएगा।

(च) हरेक अंतरण लिखत पर अंतरक और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि अंतरक तब तक यूनिट धारक है, जब तक निबंधक द्वारा धारक की पंजी में अंतरिती का नाम दर्ज नहीं कर दिया जाता।

(छ) निबंधक ऐसे साक्ष्य की मांग कर सकते हैं जिसे वे अंतरक के स्वामित्व या यूनिट अंतरण के उसके अधिकार के समर्थन में आवश्यक समझें।

(ज) निबंधक यथावश्यक अपेक्षाएं पूरी होने तक मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति का उन्मोचन कर सकते है, यदि यह खो गया हो, चोरी हो गया हो, या विनष्ट हो गया हो।

(झ) यूनिट अंतरण पंजीकृत हो जाने पर सभी अंतरण लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र निबंधक द्वारा अपने पास रखे जा सकते हैं।

(ञ) अंतरण को मान्यता देने वाले और पंजीकृत करने वाले निबंधक ऐसे शुल्कों जो प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों के अंतरण और निर्गम के संबंध में देय हो, के भुगतान होने और वसूली होने पर अंतरिती को मूल या नया नये यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

(ट) यदि कोई अंतरिती पदीय हैसियत में विधि प्रवर्तन द्वारा या कोई अनुसूचित बैंक किसी गिरवी के प्रवर्तन पर यूनिट धारक हो जाता है तो निबंधक ऐसे साक्ष्य, जो उनकी राय में पर्याप्त हों, की प्रस्तुति के अधीन अंतरण करने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि अंतरिती यूनिट रखने के लिए अन्यथा योग्य हो।

(1) जैसे ही ग्रैडमास्टर यूनिट योजना मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो जाएगी वैसे ही सूचीबद्धता करार के उपबन्धों और शेयर बाजार द्वारा इस संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों, जैसा कि योजना में कहा गया है, के अनुसार अंतरण/प्रेषण की औपचारिकताएं शुरू कर दी जाएंगी।

XII. यूनिट धारक द्वारा नामांकन नहीं :

इस योजना के अन्तर्गत नामांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा।

XIII. लेखा प्रकाशन :

प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद ट्रस्ट उस तिथि को समाप्त अवधि में योजना के कार्यों को दर्शाते हुए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों का प्रकाशन निधि द्वारा निर्णीत विधि से करेगा। ट्रस्ट यूनिट धारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखे की प्रति भेजेगा।

1[शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां विनियमों/सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर निर्भर रहते हुए परिवर्तन के अधीन होंगी।]

2(XIV). योजना 01-08-1996 से सतत खुली :

योजना 1, अगस्त 1996 से सतत खोल दी गई है। परिणामस्वरूप योजना के सभी यूनिट धारक अपनी यूनिट धारिता की एन.ए. वी आधारित पुर्नखरीद मूल्य पर निर्बाध रूप से पुर्नखरीद कर सकते हैं। तथापि यूनिट धारक योजना में बने रहने के लिए स्वतन्त्र हैं।

बिक्री मूल्य साप्ताहिक आधार पर निर्धारित और घोषित किए जाने वाले एनए वी पर होगा।

3(XV) यूनिटों की पुर्नखरीद :

(क) यूनिट धारक को अपने यूनिटों को पुर्नखरीद करने की कोई बाध्यता नहीं होगी और वह योजना के चालू रहने के दौरान जब तक चाहे यूनिट को धारित करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(ख) यूनिट ट्रस्ट, यूनिट धारक से पुर्नखरीद का अनुरोध प्राप्त होने पर, यूनिट प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट पूरे या विनिर्दिष्ट भाग को जैसा भी मामला हो, पुर्नखरीद करेगा। ऐसे यूनिट धारक हमेशा 100 यूनिटों के गुणकों में हों और बशर्ते कि ऐसी अनांशिक पुर्नखरीद से यूनिट धारक के पास 200 यूनिटों से कम न बचें। इस तरह प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट द्वारा निरसन के लिए रख लिया जाएगा। यूनिट ट्रस्ट, यूनिट प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट यूनिटों के अंश को पुर्नखरीद के मामले में यूनिट धारक द्वारा धारित शेष यूनिटों के लिए नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ग) पुर्नखरीद की संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त मानी जाएगी।

(घ) ट्रस्ट द्वारा पुर्नखरीद की गई यूनिटों का भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथा शीघ्र ऐसी रीति से किया जाएगा, जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा आवेदन में किया गया था। किसी भी कारण से ब्याज की कोई राशि आवेदक को देय नहीं होगी तथा ट्रस्ट प्रेषण खर्च या ट्रस्ट द्वारा प्रोपन बैंक या ड्राफ्ट की वसूली का व्यय भार भी आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।]

XVI. यूनिट की बिक्री और पुर्नखरीद पर प्रतिबन्ध :

इस योजना के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए ट्रस्ट यूनिट को बिक्री या पुर्नखरीद करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(i) किसी कार्येतर दिवस को;

(ii) उस अवधि (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) जब बहियों और लेखों की आविधिक बन्दी के कारण यूनिट धारकों की पंजी बन्द रहती है; और

(iii) ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित इस योजना की समाप्ति तिथि के बाद ।

स्पष्टीकरण :

इस योजना के प्रयोजनार्थ "कार्य दिवस" का अभिप्राय उस दिन से है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य में या किसी अन्य राज्य में जहाँ ट्रस्ट के कार्यालय हैं, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अधीन सार्वजनिक छुट्टी के रूप में अधिसूचित हो और, न ही ।

(ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिन के रूप में अधिसूचित हो कि उस दिन ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय बन्द रहेगा ।

XVII. आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति का ट्रस्ट का अधिकार: ट्रस्ट को योजना के अन्तर्गत यूनिट निर्गम सम्बन्धी आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा । योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा सम्बन्धी ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा ।

XVIII. यूनिट जारी होने के पूर्व योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं : योजना के अन्तर्गत यूनिट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए अपनी योग्यता के सम्बन्ध में ट्रस्ट को सन्तुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी । गलत घोषणा देकर यूनिटधारक व्यक्ति यूनिट प्रमाण पत्र निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम यूनिटधारक की पंजी से काट दिया जाएगा । ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में सममूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे । इस राशि पर किसी भी दर से ब्याज नहीं दिया जाएगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने में और आवेदक को पुनर्खरीद आगम भेजने में कितना भी समय क्यों न लग जाए ।

---

1. 26-06-96 को जोड़ा गया ।

2. "XIII आरम्भ अवधि : योजना की अवधि आबंटन की तिथि से सात वर्ष की होगी । इसमें निवेशकों के लिए यह विकल्प होगा कि वे या तो शुद्ध आस्ति मूल्य पर आधारित मूल्य पर प्रतिदान ले लें या, यदि ट्रस्ट समय विस्तार या तत्समय प्रारम्भ या प्रवर्तित किसी अन्य योजना में परिवर्तन का निर्णय लेता है, जारी रखें, ।" के लिए 26-06-96 को प्रतिस्थापित किया गया ।

3 "XIV, यूनिटों की पुनर्खरीद : फिर भी, आबंटन तिथि से चौथे, 5वें, 6ठें और 7वें वर्ष में (4)[1 अगस्त 1996 से]) जब यूनिट शेयर बाजार में सूचीबद्ध होते रहेंगे, ट्रस्ट पहले आओ पहले पाओ आधार पर ऐसे यूनिट धारकों से प्रचलित पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए तैयार रहेगा, जो ऐसी अवधि या अवधियों, जो एक वर्ष में 60 दिन से अधिक नहीं होगी, में पुनर्खरीद के लिए यूनिट पेश करेंगे । लेकिन ट्रस्ट को यह स्वतंत्रता होगी कि वह पुनर्खरीद के लिए पेशकश की उक्त अवधि में ऐसी सीमा तक यूनिट की पुनर्खरीद करे, जो योजना की मूल निर्गत पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक न हो । पुनर्खरीद निम्नलिखित उपबन्धों में अन्तर्विष्ट रीति से की जाएगी ।

(क) पुनर्खरीद यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अवरुद्ध अवधि के बाद ही की जाएगी । प्रमाणपत्र के पृष्ठ भाग पर दिया गया फार्म विधिवत् रूप से भरा होना चाहिए तथा पुनर्खरीद की तिथि को प्रमाणपत्र में अंकित सभी यूनिट पुनर्खरीद के लिए पेश किए जाने चाहिए । निरस्तीकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा प्रमाण पत्र रख लिए जाएंगे ।

(ख) पुनर्खरीद की संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त मानी जाएगी ।

(ग) जैसे ही ट्रस्ट को आवेदक से यूनिट की पुनर्खरीद के लिए आवेदन प्राप्त होगा, ट्रस्ट उसके बाद यथाशीघ्र उसकी पावती उसको भेज देगा ।

(घ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीदे गए यूनिटों का भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र ऐसी रीति से किया जाएगा, जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा आवेदन में किया गया हो । किसी भी कारण से ब्याज की कोई राशि आवेदक को देय नहीं होगी तथा ट्रस्ट प्रेषण खर्च या ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट की वसूली का व्यय भार भी आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।" के लिए 26-06-96 को प्रतिस्थापित किया गया ।

4 19-04-1993 को जोड़ा गया ।

19. 1 (बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य :
(1) यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य (जिसे इसमें इसके बाद "बिक्री मूल्य" कहा जाएगा) पर यूनिटों की बिक्री की जाएगी और यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य (जिसे इसमें इसके बाद "पुनर्खरीद मूल्य" कहा जाएगा) पर यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी, उन्हें साप्ताहिक आधार पर घोषित किया जाएगा बिक्री मूल्य, एन एवी (पूर्ववर्ती) होगा। पुनर्खरीद मूल्य एन ए वी (पूर्ववर्ती) के 5 प्रतिशत बट्टे पर होगा।
(2) जिस दिन बिक्री मूल्य, या पुनर्खरीद मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, निकाला जाता है, उस दिन यूनिट ट्रस्ट के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर बिक्री मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा।
बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य तथा उनके बीच के अन्तर की गणना इस सम्बन्ध में सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी)।

20. 2 (बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन : यूनिट ट्रस्ट बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद यथाशीघ्र उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी करेगा)।

1. "18. पुनर्खरीद मूल्य :
(1) जिस मूल्य पर ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी उसे इसमें इसके बाद "पुनर्खरीद मूल्य" कहा जाएगा।
(2) जिस दिन पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण किया जाता है, उसके पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति के समय (जिसका निर्धारण इसमें इसके बाद किया जाएगा) इसे योजना से सम्बन्धित आस्तियों के मूल्य में उक्त कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति के समय प्रारक्षित निधि, यदि हो, सहित यूनिट पूंजी से सम्बन्धित देयताओं को घटाकर तथा उस दिन कारोबार की समाप्ति के समय निर्गत यूनिटों की संख्या से भाग देकर तथा उसमें उतनी राशि घटाकर, जो ट्रस्ट की राय में दलाली, कमीशन, कर यदि हो, स्टाम्प शुल्क तथा ट्रस्ट द्वारा निवेशों की वसूली से सम्बन्धित अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त हो, पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा।
(3) जिस दिन पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाता है, उस दिन ट्रस्ट के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर यूनिट का पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा।
(4) इसमें इसके ऊपर अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल किसी बात के बावजूद, ट्रस्ट का यह समाधान हो जाए कि यह ट्रस्ट और यूनिटधारकों के हित में है, लेकिन उक्त वर्णित रीति से निकाले गये पुनर्खरीद मूल्य में, यथा-स्थिति, युद्ध, विप्लव, नागरिक अशांति या किसी अन्य संभावित या निरंतर राजनीतिक और औद्योगिक अशांति या कुछ अनर्थकारी घटनाओं या तत्समान घटनाओं के कारण शेयर बाजार मूल्यों के वर्तमान आधार में मौलिक परिवर्तन हो जाने के कारण वित्तीय बाजार में व्यवसाय के पूर्णतः ठप्प हो जाने या अस्त व्यस्त हो जाने की दशा में उस सीमा तक, जहां तक इसे सही समझा जाए, अंतर है तो सही समझे जाने की सीमा तक बिक्री या पुनर्खरीद मूल्य या दोनों में यह अंतर हो सकता है।" के लिए 26-06-96 को प्रतिस्थापित किया गया।

2. XIX. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन : ट्रस्ट पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद यथाशीघ्र यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा, जिसे वह उचित समझे।" के लिए 26-06-96 को प्रतिस्थापित किया गया।

21. यूनिटधारकों को आय का वितरण :
(क) ट्रस्ट योजना के अन्तर्गत प्राप्त आय और उसमें आए खर्चों के आधार पर योजना के अन्तर्गत आय वितरण की घोषणा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है।
(ख) ट्रस्ट यथावश्यक रूप में आय वितरण के सम्बन्ध में निर्णय कर सकता है और अवितरित आय में से ऐसी राशि या राशियों, जिसे वह उचित समझे, का अंतरण एक या उससे अधिक प्रारक्षित निधियों में कर सकता है। प्रारक्षित निधियों जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट नहीं है, का उपयोग केवल यूनिट धारकों के लाभ के लिए किया जाएगा।
(ग) यूनिटधारकों को आय का वितरण प्रत्येक वर्ष 30 जून को योजना के वार्षिक लेखे की बन्दी के बाद यथाशीघ्र किया जाएगा।
1[लाभांश की घोषणा किए जाने के मामले में, आय वितरण वारंट को लाभांश की घोषणा होने के 42 दिनों के भीतर प्रेषित कर दिया जाएगा।]
(घ) योजना द्वारा आय वितरण की घोषणा के पहले पंजी बन्द करते समय यूनिटधारकों की पंजी में जिन यूनिटधारकों के नाम होंगे वे ऐसे वितरित आय को प्राप्त करने और रखने के हकदार होंगे।
(ङ) यदि यूनिट धारक ने आय वितरण की घोषणा के पहले ही यूनिट अन्तरित कर दिया हो, लेकिन वस्तुतः अन्तरण नहीं हुआ हो, तो उसके परिणामस्वरूप अन्तरिती तब तक आय वितरण का हकदार नहीं होगा, जब तक अन्तरिती आय वितरण की घोषणा के पूर्व पंजीबन्दी के 30 दिन पहले निबन्धक के पास अन्तरण प्रलेखन प्रस्तुत न कर दे।
(च) ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना द्वारा वितरित आय का भुगतान उपयुक्त भुगतान सुविधाओं के साथ उसके बैंकों पर आहरित चैक या वारंट द्वारा किया जाएगा।
(छ) इसके बावजूद कि यूनिटधारक ने प्रतिफल के लिए पहले ही यूनिटों का अन्तरण कर दिया हो, जिन यूनिटों का वह धारक है, उनके सम्बन्ध में योजना द्वारा घोषित आय वितरण प्राप्त करना यूनिट धारक के लिए तब तक के लिए वैध होगा, जब तक अन्तरिती, जिसने अन्तरक से आय का दावा किया हो, आय देय होने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रमाण पत्र और अन्तरण सम्बन्धी अन्य सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर दे।

1. 26-06-96 को जोड़ा गया।

22. योजना से सम्बन्धित आस्तियों का मूल्यांकन :

1(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बन्द मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल की उपलब्ध दर पर किया जाता है । यदि मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है ।

(2) उधृत निवेशों और बांडों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्व, यदि हो, के लिए समायोजित किया जाता है ।

(3) अनोधृत इक्विटी और अधिमान शेयर, जिनमें अवरुद्ध अवधि वाले शेयर शामिल है, को लागत पर लिया जाता है ।

(4) अनोधृत डिबेंचर, बांड और अन्तरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मण्डल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते है ।

(5) अनोधृत वारण्ट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय प्रायोगिक मूल्य को कम करके, लिए जाते हैं, जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्यों से प्रयोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है ।

(6) परिवर्तनीय डिबेंचर और बांड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हों, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन सम्बन्धित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटा गया हो, पर किया जाता है । ऐसे डिबेंचरों एवं बांडों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन उपरोक्त (4) के अनुसार किया जाता है । जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है ।

(7) मुद्रा बाजार लिखतों को बही मूल्य पर लिया जाता है ।

(8) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाई टीएम) आधार पर किया जाता है ।

(9) उपरोक्त पैरा (1) से (8) तक के अनुसार यथासंगणित निवेशों के सकल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की सकल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है ।

1. "(क) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संबंधित कम्पनी के मुख्य व्यावसायिक स्थान से निकटतम शेयर बाजार में बन्द मूल्य पर किया जाएगा और यदि ऐसी प्रतिभूतियां एक से अधिक शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं तो उचित मूल्य के रूप में कम्पनी के मुख्य व्यावसायिक स्थान से निकटतम शेयर बाजार में प्रतिभूति का बन्द मूल्य लिया जाएगा । यदि प्रतिभूति का कारोबार मूल्यांकन की तिथि से पहले छः महीने से अधिक समय से नहीं हुआ है, तो ग्रैण्डमास्टर यूनिट योजना प्रतिभूति का मूल्यांकन उस रीति से करेगी, जो उसके लेखा परीक्षकों के परामर्श से उचित समझी जाए।

(ख) नए सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों (अर्थात् जो शेयर मूल्यांकन की तिथि से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर सूचीबद्ध हुआ हो) का मूल्यांकन अनिवार्यतः लागत पर किया जाएगा । इन इक्विटी शेयरों के मूल्य में कमी या वृद्धि के आधार वे तथ्य और परिस्थितियां होंगे, जो योजना की राय में मंदड़िया प्रवृति के प्रतीत होंगे या जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन अधिक या कम होगा ।

(ग) मुद्रा बाजार लिखतों और ऋणपत्र सहित निश्चित आय वाली अन्य प्रतिभूतियों, जो परिवर्तनीय नहीं है, का मूल्यांकन चालू आय और तुलनीय लिखतों के परिपक्वता मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।

(घ) निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों और ऋण पत्रों के मामले में उक्त निर्धारित मूल्य में उपचित ब्याज तथा इक्विटी शेयर के सम्बन्ध में घोषित लेकिन अप्राप्त लाभांश जोड़े जाएंगे ।

(ङ) अन्य सभी आस्तियों, जो उक्त रूप में मूल्यांकन के योग्य नहीं हैं, का मूल्यांकन उनके बही मूल्य पर किया जाएगा ।" के लिए 26.06.96 को प्रतिस्थापित किया गया ।

23. 1[शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का अभिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपचयों और उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा । प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देकर किया जाएगा । प्रत्येक सप्ताह एनएवी को (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा ।

2 [इन प्रावधानों में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अन्तराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में होगा।]

XXIV यूनिटों का कारोबार :

(क) 3[यूनिटों को मुम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर और जयपुर के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किए गए हैं।] ट्रस्ट बृहस्पतिवार या यदि उस दिन छुट्टी हो तो उसके पूर्ववर्ती कार्य दिवस को निर्धारित शुद्ध आस्ति मूल्य की घोषणा करेगा और कोट करने के प्रयोजनार्थ सभी शेयर बाजारों को मूल्य की सूचना देगा।

(ख) यदि कोई यूनिट धारक अपने यूनिटों का नकदीकरण करना चाहता है तो वह किसी भी शेयर बाजार के माध्यम से यूनिटों का कारोबार कर सकता है।

(ग) ट्रस्ट प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से मूल्य या मूल्यों का, जिन पर बाजार के माध्यम से यूनिट का क्रय या विक्रय किया जा सकता है, उल्लेख नहीं करेगा। फिर भी अन्तिम मूल्यों, जिन पर शेयर बाजार में यूनिटों का क्रय या विक्रय किया गया, का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में किया जाएगा।

तथापि ट्रस्ट यूनिटों को शेयर बाजारों सूची से हटाने का अधिकार अपने पास रखता है, यदि यूनिट धारकों या ट्रस्ट के हित में ऐसा करना आवश्यक हो।

(घ) यूनिट के क्रेता को बाजार के माध्यम से स्वयं या किसी मान्यताप्राप्त दलाल के द्वारा अन्तरण विलेख और सम्बन्धित यूनिट प्रमाणपत्र योजना के निबंधन के पास व्यवस्थित पाए जाने पर अन्तरण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

(ङ) किसी भी मूल्य पर बाजार के माध्यम से यूनिटों का क्रय या विक्रय यूनिट धारक या भावी यूनिटधारक को जोखिम पर होगा। फिर भी यूनिट के अंतरण पर देय स्टाम्प शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अंतरण तिथि से पूर्व तिथि को प्रचलित उच्च और निम्न मूल्य का औसत प्रभार का आधार होगा।

4[XXIVअ. यूनिटों की पुनःखरीद :

योजना के प्रावधानों में कुछ भी प्रतिकूल अंतर्विष्ट होने के बावजूद :

(क) जब कभी यूनिटों के भाव में उनके एनएवी से 10 प्रतिशत या अधिक की कमी होती है तो ट्रस्ट योजना के अन्तर्गत बाजार से प्रचलित मूल्य पर यूनिट खरीद सकता है।

(ख) ट्रस्ट किसी एक वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत जारी यूनिट पूंजी का 25 प्रतिशत तक सम सीमा के रूप में पुनःखरीद कर सकता है जो यूनिट पुनः खरीदे जाएंगे उनका प्रतिदान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण

(i) "बाजार" का तात्पर्य ऐसे मान्यताप्राप्त शेयर बाजार से है जिस पर इस योजना के अन्तर्गत यूनिट सूचीबद्ध किए गए हैं।

(ii) "प्रचलित मूल्य" का तात्पर्य मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में उस समय यूनिटों के बाजार मूल्य से है जब वे ट्रस्ट द्वारा पुनः खरीदे गए हों।]

XXV. निवेश पर प्रतिबन्ध :

(क) योजना के अन्तर्गत ट्रस्ट की निवेश योग्य निधियों का उसके द्वारा निवेश किसी एक कम्पनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कुल निधि के 10 प्रतिशत या ऐसी कम्पनी की निर्गत और बकाया प्रतिभूतियों के 15 प्रतिशत जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(ख) योजना के अंतर्गत ट्रस्ट की निवेश योग्य निधियों का उसके द्वारा निवेश किसी नई कम्पनी की प्रतिभूतियों में ऐसी कम्पनी द्वारा निर्गत प्रतिभूतियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसे सभी निवेश की कुल राशि निवेश योग्य निधियों के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण।

नई कम्पनी का अभिप्राय ऐसी कम्पनी से जिसके शेयर किसी शेयर बाजार में पहली बार निधि द्वारा शेयरों में निवेश के पूर्व एक वर्ष के भीतर सूचीबद्ध किए गए हों।

5[(ग) जब कभी सेबी की अनुमति होगी तथा योजना निवेश करना चाहेगी तब यह योजना सहवर्ती निवेशों में निवेश कर सकती है।]

(घ) परिचालनात्मक सुविधा के लिए या अवसरों में परिवर्तन के लिए ट्रस्ट अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखतों, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों, बैंक जमा, पुनर्भ ट्टाकृत बिलों या ऐसी ही अन्य लिखतों में किसी भी समय कुल निधि के 20 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं रख सकता है।

---

1. "शुद्ध आस्ति मूल्य" का प्रकाशन :

(क) ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना का शुद्ध आस्ति मूल्य प्रत्येक बृहस्पतिवार (या यदि उस दिन छुट्टी हो तो पिछले कार्य दिवस) को कारोबार की समाप्ति के समय इसमें दिए गए खण्ड XIV के उपबन्धानुसार बम्बई में उक्त समग्र मूल्य में ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना की देयताओं और आनुपातिक आधार पर अन्य खर्चों, जो ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना की राय में निवेश वसूली पर देय स्टाम्प शुल्क, कर और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, को घटाकर निकाला जाएगा और भारत के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। उसी समय उक्त मूल्य की सूचना भारत के सभी

शेयर बाजारों को भी उपयुक्त रीति से दी जाएगी) इस प्रकार प्रकाशित मूल्यांकन मूल्य के अगले प्रकाशन तक वैध रहेगा।

(ख) यदि आकस्मिक परिस्थितियों में मूल्यांकन का प्रकाशन एक या उससे अधिक सप्ताह तक नहीं किया जाता तो यह नहीं समझा जाएगा कि उसने यूनिटों के पेशकश की किसी शर्त का उल्लंघन किया है।

(ग) वास्तविक निवेश के प्रयोजनार्थ शेयर बाजार में यूनिट का कारोबार इच्छुक क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किया जाएगा। ऐसे कारोबार पर योजना का कोई नियंत्रण नहीं होगा।" के लिए 26-06-96 को प्रतिस्थापित किया गया।

23 "यूनिट ऐसे स्थानों पर शेयर बाजार में सूचीबद्ध किए जाएंगे जिससे सम्बन्धित निर्णय ट्रस्ट, द्वारा आबंटन की तिथि से छः मास के बाद किया जाएगा।" के लिए 26.06.96 को प्रतिस्थापित किया गया।

4. 22.12.93 को जोड़ा गया।

5. 26.06.96 को जोड़ा गया।

लेकिन ट्रस्ट जब तक योजना की निधियों का प्रतिभूतियों में पूर्ण नियोजन नहीं कर लेता, तब तक यह उक्त खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों सहित ऐसी प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समीचीन समझे, निधियों को इस प्रकार निवेशित नहीं रख सकता

(ङ) निवेश संबंधी विहित प्रतिबंध निवेश करते समय की परिस्थितियों के संदर्भ में लागू होंगे, लेकिन बाजार मूल्य या निवेश में उतार-चढ़ाव के कारण या जिस कम्पनी की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया हो, उस कम्पनी द्वारा बोनस शेयर या राइट शेयर जारी करने के कारण सीमा वस्तुतः बढ़ जाने के बावजूद यह नहीं माना जाएगा कि वह बढ़ गई है

[1][योजना के अन्तर्गत 01/08/96 से प्राप्त किसी भी अभिदान का निवेश भारतीय यूनिट ट्रस्ट हेतु सेबी विनियमों एवं नियामक ढांचे के अनुसार किया जाएगा जैसे

(1) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण सी आर आई एस आई एल/आई सी आर ए/सी ए०आर०ई० या समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य दर्जा निर्धारण करने वाली एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। परन्तु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(2) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा।

(3) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य असूचीबद्ध ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 10% से अधिक नहीं होगा।

(4) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी।

(5) इस योजना सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा।

(6) इस योजना सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा। परन्तु यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों के लिए जारी की गई है और उस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई है।

(7) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब–

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे ऐसे अन्तरण किए जाते हैं।

(ग) असूचीबद्ध या अनोधृत निवेश का अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(8) सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियमों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अंतर्गत अन्य प्रकार से अनुमति न मिलने तक यह योजना यूटीआई की किसी अन्य योजना प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी।

(9) जब तक सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियमों/दिशा-निर्देशों/निदेशों के अंतर्गत अन्यथा अनुमति न हो तब तक यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी।

XXVI. यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म :

1[यूनिटधारकों को आवेदन पत्र की स्वीकृति की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर आवंटित यूनिटों की संख्या दर्शाते हुए यूनिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।]

1. 26-06-96 को जोड़ा गया।

1. 26-06-96 को जोड़ा गया।

2. 16-06-96 को जोड़ा गया।

यूनिट प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न फार्म 'क' या ऐसे फार्म में होगा, जो योजना के निर्बाध परिचालन के लिये ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित किया जाए। प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र में विभेदक संख्या, प्रमाणपत्र में अंकित यूनिटों की संख्या और यूनिट धारक का नाम होगा। प्रमाणपत्र 100 ग्रैंडमास्टर यूनिटों के विपणन योग्य लाट में, अधिकतम 20 ग्रैंडमास्टर प्रमाणपत्र (अर्थात् रु० 20,000/–), तक होगा। रु० 20,000/– से अधिक के निवेश के लिये एक समेकित प्रमाणपत्र (21वां प्रमाणपत्र) जारी किया जाएगा (अर्थात् 2,000 ग्रैंडमास्टर यूनिट)। निवेशक के अनुरोध पर यह समेकित प्रमाणपत्र एक बार बिना खर्च के विभाजित किया जाएगा और उसके बाद ट्रस्ट द्वारा यथा निर्धारित प्रभार के भुगतान पर विभाजन की अनुमति दी जा सकेगी। 2 [अनिवासी भारतीयों के लिये प्रमाणपत्र 100 यूनिट के विपणन योग्य लाट में जारी किये जाएंगे, चाहे कितनी भी राशि का निवेश किया गया हो।]

XXVII. यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की रीति :

समय-समय पर बोर्ड द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या अश्ममुद्रित या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। हरेक ऐसा हस्ताक्षर या तो अपने हाथ से किया जाएगा या यांत्रिक विधि से किया जाएगा। जब तक यूनिट प्रमाण-पत्र पर इस प्रकार से हस्ताक्षर नहीं किया जाता तब तक वह विधिमान्य नहीं होगा। इस प्रकार से हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र विधिमान्य होगा तथा इसके बावजूद भी कि जारी किये जाने के पूर्व उस पर जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर था अब ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर के लिये प्राधिकृत नहीं रहा हो, बाध्यकारी होगा। किन्तु यह और कि इस प्रकार से तैयार किये गये यूनिट प्रमाणपत्र पर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो, जो प्रमाणपत्र जारी करते समय मृत हो, तो ट्रस्ट उस रीति से, जिसे वह सर्वाधिक उपयुक्त समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर निरस्त कर सकता है और किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करवा सकता है। इस प्रकार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र भी विधिमान्य होगा।

XXVIII. ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र संबंधी मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारक के रूप में मान्य होगा और जो यूनिट प्रमाणपत्र और यूनिट उसके नाम से है, उसमें उसका अधिकार, हक और हित है इसलिये ट्रस्ट ऐसे यूनिट धारक को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इसके विपरीत किसी नोटिस से या न्यास के निष्पादन की नोटिस से बाध्य नहीं होगा या उस बात को छोड़कर जैसा इसमें व्यक्त रूप से कहा गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि यूनिट प्रमाणपत्र या उसकी यूनिटों में निहित हक को प्रभावित करने वाले किसी ट्रस्ट या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए।

XXIX. यूनिट प्रमाणपत्र का विनिमय और उसके कटे-फटे, विरूपित हो जाने, खो जाने की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) इस योजना के उपबंधों के अधीन हरेक यूनिट धारक अपने किसी या सभी यूनिट प्रमाणपत्रों के बदले यूनिटों की उसी संख्या वाले विपणन योग्य लाट में एक या अधिक यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसे विनियम के लिये आवेदन करते समय यूनिट धारक विनिमय हेतु यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट को सौंप देगा और नये यूनिट प्रमाणपत्र के निर्गम से संबंधित पूरी राशि (यदि उसके लिये देय हो) का भुगतान करेगा।

(2) यदि कोई प्रमाणपत्र कट–फट जाए या फटा–पुराना या विरूपित हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकदार व्यक्ति को नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जिसमें यूनिटों की संख्या वही होगी, जो कटे–फटे या फटे पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्रों में थी।

यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाए, चोरी या नष्ट हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकदार व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। कोई भी नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले ही :

(i) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने फटे-पुराने होने, विरूपित हो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हो।

(ii) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान नहीं कर दिया हो।

(iii) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित होने की दशा में वैसा यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट को प्रस्तुत और सुपुर्द नहीं कर दिया हो; तथा

(iv) ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया हो। इस खण्ड के उपबंधों के अधीन ट्रस्ट सद्भावपूर्वक ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने का दायित्व नहीं लेगा।

20-06-1996 को जोड़ा गया।
16-06-1993 को जोड़ा गया।

(3) इस खण्ड के उपबंधों के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा करेगा कि आवेदक उसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र के लिये रु० 1/- का भुगतान करे। साथ ही, स्टाम्प शुल्क, यदि हो या डाक पंजीकरण प्रभार सहित अन्य खर्च या कर, जो ऐसे प्रमाणपत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय हो, के लिये ट्रस्ट की राय में पर्याप्त राशि का भी भुगतान करे। लेकिन निम्नलिखित मामलों में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में कोई शुल्क, स्टाम्प शुल्क या डाक पंजीकरण प्रभार देय नहीं होगा :

i) जब आवेदक या अंतरिती को निर्गत या खंड XI (ञ) के अन्तर्गत यूनिट प्रमाणपत्र उप विभाजन के लिये पहली बार प्रस्तुत किया जाए।

ii) जब ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र के समेकन का सुझाव यूनिट धारक द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

1[XXX. विकास प्रारक्षित निधि (डी० आर० एफ०) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी० आर० एफ० में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

XXXI. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

2[XXXII.] यूनिट धारी के लिए योजना का बाध्यकारी होना :

इस योजना की शर्तों के साथ इसमें समय-समय पर किये गये संशोधन (बशर्ते ऐसे संशोधन मूल प्रकृति से भिन्न न हों और इस योजना के उद्देश्य प्राप्त करने वाले हों) प्रत्येक यूनिट धारक और उसके माध्यम से या उसके अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति मानो वह/वे व्यक्त रूप से सहमत हो/हों कि वे बाध्य होगा/होंगें, के लिये बाध्यकारी होंगे।

योजना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी :

इस योजना की प्रतिलिपि, जिसमें इसके सभी संशोधन भी शामिल होंगे, पूरे कार्य समय के दौरान निबंधक या इस योजना के कार्यालयों (स्थापित होने पर) में निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जाएगी और यूनिटधारक को रु० 5/- का भुगतान करने पर उसकी आपूर्ति की जाएगी।

1. 26-06-96 को जोड़ा गया।

2. खंड "यूनिट धारी के लिए योजना का बाध्यकारी होना" से "उपबंधों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन तक का संख्या XXIX से XXXIII 26-06-96 को XXXII से XXXVI तक पुन: की गई।

XXXIV योजना में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन या परिवर्तन कर सकता है और उसमें किये गये संशोधन या परिवर्तन को राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

1[किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा। योजना के प्रावधानों में संशोधन कार्यकारिणी समिति और सेबी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी हो सकते हैं।]

XXXV उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार :

योजना के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर अध्यक्ष या उन की अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होगा या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा।

XXXVI उपबंधों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन :

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ट्रस्ट के कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य या योजना के निर्बाध और सहज परिचालन के लिए योजना के किसी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं, यदि किसी यूनिट धारक या यूनिट धारक वर्ग के लिये ऐसा करना उचित समझा जाए।

यूनिटधारकों के अधिकार

1. योजना के अधीन सदस्यों को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, में समानुपातिक अधिकार है।
2. यूनिटधारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिये न्यासी बाध्य होंगे।
3. लाभांश की घोषणा किये जाने के 42 दिनों के भीतर सदस्य लाभांश वारन्ट के प्रेषित किये जाने के हकदार होंगे।
4. सदस्यों को "निरीक्षण के लिये उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये गये सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 में स्थित है।

1. 26-06-96 को जोड़ा गया।

अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत सभी योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी ले और उन्हें अभिरक्षा में धारित करें। अभिरक्षक उनकी सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे।

जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, पुनर्खरीद, अन्तरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा सम्बन्धी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिये सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिये सामान्यतया प्रधिकृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनायें रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

निबन्धक

मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० लि० को रजिस्ट्रार (निबन्धक) के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया है।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग, करने, प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशकों की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिये पर्याप्त क्षमता है।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवायें रजिस्ट्रार की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएगी।

पश्चिमी अंचल
**मातुल्य सेन्टर,
ए० बिल्डिंग, 249 सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल,
मुम्बई-400 013
टेलीफोन-493 1065

उत्तरी अंचल
**फ्लैट सं० ए-301-311
तीसरी मंजिल, सोमदत्त चेम्बर्स-1, 5,
भीकाजी कामा प्लेस,
आर० के० पुरम,
नई दिल्ली-110 066
टेलीफोन-616 8838।

पूर्वी अंचल,
**कम्प्यूटर सेन्टर
52, चौरंगी रोड,
(4थी मंजिल)
कलकत्ता-700 071
टेलीफोन-242 5142

दक्षिणी अंचल
**इंजिनियरिंग सेंन्टर
480, अन्ना सलाई,
नन्दनम,
मद्रास-600 035
टेलीफोन-434 2303

निरीक्षण के लिये उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिये केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट, द्वार नं० 1 सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुम्बई-400 020 में उपलब्ध रहेंगे :

*यू० टी० आई० अधिनियम
*सामान्य विनियम
*अभिरक्षकों और रजिस्ट्रारों के साथ किये गये करार
*ग्रैंडमास्टर 93 के प्रावधानों की प्रति

ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना-1993

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग

(न्यू मरीन लाईन)

मुम्बई-4000 20

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाणपत्र में नामांकित व्यक्ति ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना-1993 के उपबन्धों के अन्तर्गत ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना-1993 में विनिर्दिष्ट निवेदक संख्या (ओं) वाले निम्नलिखित ग्रैंडमास्टर का/के पंजीकृत धारक है/हैं प्रत्येक ग्रैंडमास्टर के लिये इस पर अंकित राशि चुका दी गई है।

प्रत्येक ग्रैंडमास्टर रुपये	10/-
प्रति ग्रैंडमास्टर चुकता राशि रुपये	10/-

प्रमाणपत्र सं०

धारक का/के नाम (1) ----------------------

(2) ----------------------

(3) ----------------------

धारित यूनिट (टों) की सं० ----------------------

विभेदक सं० ----------------------

दि० [1][1] को प्रदत्त

ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना -1993

अध्यक्ष :

न्यासी :

1. "1993" 26-06-1996 को हटाया गया ।

निवेशकों की शिकायतें

01-07-95 से 30-6-1996 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
1	2	3	4	5
सी सी सी एफ	2230	2157	73	3.27%
सी जी जी एफ	13927	13328	599	4.30%
सी जी एस	22401	22259	142	0.63%
सी जी यू एस-91	4294	3463	831	19.35%
सी आर टी एस	144	135	9	6.25%
डी आई यू पी-93	489	465	24	4.91%
डी आई यू पी-95	52	34	18	34.62%
डी आई यू एस-90	4322	4034	288	6.66%
डी आई यू एस-91	3451	3049	402	11.65%
डी आई यू एस-92	2692	2626	66	2.45%
आई आई एस एफ यू एस	4	4	0	%0.00
जी सी जी आई	399	364	35	8.77%
ग्रैंडमास्टर-93	1171	1156	15	1.28%
जी एम आई एस-91	7646	7492	154	2.01%
जी एम आई एस-92	3748	3643	105	2.80%

1	2	3	4	5
जी एम आई एस–92(II)	1157	1139	18	1.56%
जी एम आई एस–बी–92	507	484	23	4.54%
जी एम आई एस–बी–92 (II)	3798	3680	118	3.11%
जी यू पी–94	1353	1305	48	3.55%
एम यू एस	326	275	51	15.64%
एम ई पी–91	6275	6170	105	1.67%
एम ई पी–92	36041	35236	805	2.23%
एम ई पी–93	18915	18660	255	1.35%
एम ई पी–94	13657	12888	769	5.63%
एम ई पी–95	32301	30589	1712	5.30%
एम ई पी–96	58	51	7	12.07%
मास्टर गेन–92	42709	41705	1004	2.35%
मास्टर ग्रोथ–93	2782	2688	94	3.38%
एम आई पी–93	1925	1908	17	0.88%
एम आई पी–94(I)	4226	4154	72	1.70%
एम आई पी–94(II)	4274	4221	53	1.24%
एम आई पी–94(III)	9440	8998	442	4.68%
एम आई पी–95	402	351	51	12.69%
एम आई पी–95 (II)	352	250	102	28.98%
एम आई पी–95 (III)	164	85	79	48.17%
एम आई पी–96	11	6	5	45.45%
एम आई एस–90(I)	479	348	131	27.35%
एम आई एस–90 (II)	3670	3598	72	1.96%
एम आई एस–बी–93	4318	4101	217	5.03%
एम आई एस जी–91	3905	3824	81	2.07%
मास्टर प्लस–91	43259	41635	1624	3.75%
मास्टर शेयर–86	65438	55117	10321	15.77%
ओमनी-प्लान	61	43	18	29.51%
पी ई एफ	683	547	136	19.91%
आर बी पी	204	122	82	40.20%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	8689	8493	196	2.26%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1523	1434	89	5.84%
यू जी एस–2000	62274	60122	2152	3.46%
यू जी एस–5000	14943	14107	836	5.59%
यूलिप	10397	9243	1154	11.10%
यू एस–64	593936	587033	6903	1.16%
यू एस–92	15949	14943	1006	6.31%
यू एस–95	4	4	0	0.00%
कुल	1077375	1043766	33609	3.12

शिकायतें लम्बित रहने के कारण :

(1) संग्रहणकर्ता बैंकों में आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(4) मार्ग में ही खो जाना।

(5) डाक सेवा में विलम्ब।

(6) अन्तरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

सभी निवेशक निवेश का पूरा विवरण देते हुए अपनी शिकायत संबंधित निवेशक सम्पर्क कक्ष को नीचे दिये गये पतों पर भेज सकते हैं :—

पश्चिमी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक सम्पर्क कक्ष, कॉमर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र, जी० डी० सोमानी मार्ग,
कफ परेड, मुम्बई–400005।
टेली : 218 0172/2181600

पूर्वी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक सम्पर्क कक्ष
2, फेयरली प्लेस, 2री मंजिल,
कलकत्ता–700001
टेली : 2434581

दक्षिणी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक सम्पर्क कक्ष,
यू० टी आई हाउस, 29, राजाजी सलाई,
मद्रास–600001
टेली : 517101 विस्तारीत : 360/364

उत्तरी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट,
निवेशक सम्पर्क कक्ष,
हैरॉल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5 ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
टेली : 3329860

पूर्ववर्ती आंकड़े

विवरण		यू एस 64			पी ई एफ	
	1993–94	1994–95	1995–96	1993–94	1994–95	1995–96
क. कुल आय	3622.78	3380.41	1748.52	—	2.39	14.78
ख. व्यय (प्रावधानों सहित)	84.91	92.99	152.49	—	4.83	2.66
ग. शुद्ध आय (क–ख)	3537.87	3287.42	1596.03	—	–2.44	12.12
घ. लाभांश	3128.07	3976.22	2733.78	—	—	—
ङ. शुद्ध आस्ति मूल्य आरंभिक	—	—	—	—	—	9.95
अंतिम	—	—	—	—	9.95	12.28
च. पुनर्खरीद प्रारम्भिक	15.00	15.50*	15.00*	—	—	10.10**
अंतिम	18.00@	18.05	16.25$	—	—	11.84
छ. औसत मासिक आस्तियों का व्यय (प्रतिशत)	—	—	—	—	—	—
ज. पोर्टफोलियो कुल बिक्री दर	—	—	—	—	—	—
ज. बाजार मूल्य (उच्चतम/न्यूनतम)	—	—	—	—	—	—
झ. बिक्री मूल्य आरंभिक	16.00	16.50*	15.50*	—	—	10.25**
अंतिम	19.30	19.35‡	17.20$	—	—	12.44
ञ. यूनिटों की सं० (लाख में) (अवधि के अंत में)	120146.09	152767.34	135094.59	—	1749.42	1819.79

*वर्ष का 1 जुलाई से 15 जुलाई की अवधि के लिए

@अप्रैल 94 के लिए अनुमानित

‡मई 95 के माह के लिए अनुमानित

$1–5–96 से 15–5–96 की अवधि के लिए

**1–8–95 से 9–8–95 की अवधि के लिए

मुंबई, दिनांक 23 दिसंबर 1996

सं० यूटी/डीबीडीएम/आर 173//एमपीडी 74-ई/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19(1)(8)(सी) के अन्तर्गत बनाये गये मास्टर इक्विटी प्लान 1997 जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई यूनिट योजना, इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना 1997 से संबंधित है, का पेशकश दस्तावेज, जिसे 07-10-96 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० जी० जोशी
महाप्रबन्धक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मास्टर इक्विटी प्लान 1997
पेशकश (ऑफर) दस्तावेज

22 नवम्बर 1996 से 31 मार्च, 1997 तक पेशकश खुली रहेगी।

मास्टर इक्विटी प्लान 1997 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1)(8)(सी) के अन्तर्गत बनाया गया है, जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत यू टी आई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई इक्विटी सम्बद्ध बचत यूनिट योजना 1997 के सम्बन्ध में है।

*प्लान के विवरण भारत सरकार की ई० एल० एस० एस० योजनाओं पर अधिसूचना और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार तैयार किये गये हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किये गये यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किये गये हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

प्लान का उद्देश्य

इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए इस प्लान का उद्देश्य निवेश की गई राशि पर कर छूट उपलब्ध कराना तथा कुछ अवधि के बाद कथित राशि में उचित वृद्धि प्रदान कर यूनिटधारकों को दोहरा लाभ देना है।

विशिष्टताएं

- यह एक दस वर्ष का प्लान है।
- प्लान इनके लिए खुला है : निवासी वयस्क व्यक्तियों/अवयस्कों/हिन्दू अविभक्त परिवारों/व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय, जिसमें किसी भी मामले में केवल पति और पत्नी शामिल होंगे जो गोवा राज्य और संघशासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दिव क्षेत्रों में प्रचलित सामुदायिक या सांपत्तिक प्रणाली से नियंत्रित हैं।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत इस प्लान में किया गया निवेश, रु० 60,000/- की सम्पूर्ण सीमा के भीतर रु० 10,000/- तक की निवेशित राशि का 20% आयकर छूट के योग्य होगा।
- आबंटन की तिथि से 3 वर्षों की प्रारम्भिक समय बन्दी के बाद पुनर्खरीद की अनुमति होगी।
- तीन वर्षों की समय बन्दी के बाद योजना ओ० टी० सी० ई० आई० में सूचीबद्ध की जायेगी।
- प्लान में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च माह में शामिल होने हेतु निवेश की गई राशि पर क्रमश: 4.5%, 3.5%, 2.5%, 1.5% और 1% की दर से निवेशकों को क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी।
- पूंजी वृद्धि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 तथा 112 के अन्तर्गत कर लाभ।

जोखिम के तत्व

*प्लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एन० ए० वी०) का ऊपर या नीचे जाना प्लान के पोर्टफोलियो पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

*ट्रस्ट की पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है। इस प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

*मास्ट इक्विटी प्लान 1997 केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबन्धन के विचार से जोखिम के तत्व

ट्रस्ट 32 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 4 करोड़ 80 लाख से अधिक निवेशकों से लगभग 56,800 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबन्धन में निपुणता हासिल की है।

नीचे दी गई सारणी ट्रस्ट द्वारा आरम्भ किये गये पिछले मास्टर इक्विटी प्लानों का कार्य निष्पादन दर्शाती है :—

	एन ए वी (उच्चतम)	तिथि	एन ए वी (न्यूनतम)	तिथि	एन ए वी 30-10-96
मास्टर इक्विटी प्लान 1991	41.92	14-09-94	17.96	21-07-93	24.29
मास्टर इक्विटी प्लान 1992	22.84	14-09-94	9.80	21-07-93	14.62
मास्टर इक्विटी प्लान 1993	22.52	17-08-94	12.61	27-01-96	13.07
मास्टर इक्विटी प्लान 1994	9.82	14-08-96	7.24	24-01-96	7.58
मास्टर इक्विटी प्लान 1995	11.90	19-06-96	8.68	24-01-96	9.40
मास्टर इक्विटी प्लान 1996	11.67	17-07-96	9.43	09-10-96	9.85

यू० टी० आई० की स्थापना

यू०टी०आई० अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबन्धन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। ट्रस्ट ने 1 जुलाई, 1964 से काम करना आरम्भ किया था।

यू० टी० आई० का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1. श्री जगदीश कपूर	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. डॉ० पी० जे० नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. श्री आर० बी० गुप्ता	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
4. श्री एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. श्री एन० एस० सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अम्बुजा सिमेंट लि०
6. डा० अरविंद वीरमणि	सलाहकार, नीति निर्धारण, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
7. श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
8. श्री एन० एम० गोवर्धन	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
9. श्री पी० जी० काकोडकर	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
10. श्री एन० वाघुल	अध्यक्ष, आई०सी०आई०सी०आई० लि०
11. श्री रशीद जिलानी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक।

इक्विटी सम्बद्ध बचत यूनिट योजना—1997 का ब्यौरा (ईएलएसएस, 1997)

I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का प्रारम्भ :

(1) यह योजना इक्विटी सम्बद्ध बचत यूनिट योजना, 1997 (ईएलएस एस० 97) कही जाएगी।

(2) यह योजना और इसके अन्तर्गत बना प्लान दस वर्षों के लिए अर्थात् (1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2007) तक की अवधि के लिए होगा।

(3) यूनिटों की बिक्री 22 नवम्बर 1996 से 31 मार्च 1997 तक की जाएगी।

बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

(4) प्लान इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना, 1992 में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अनुसरण में तैयार किया गया है।

II. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अन्तर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और प्लान के खण्ड III के अन्तर्गत आवेदन करता हो;

(घ) "सूचीबद्ध" का अर्थ है, व्यापार करने के प्रयोजन से यूनिटों को ओवर द काउंटर एक्सचेंज आफ इण्डिया पर (ओ टी सी ई आई) सूचीबद्ध किया जाना;

(ङ) "अवरुद्ध अवधि" का अर्थ है योजना के अन्तर्गत यूनिटों के आबंटन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि जिसके दौरान आवेदक को यूनिटें अपने पास रखनी होंगी और पुनर्खरीद के लिए प्रेषित नहीं करनी होंगी;

(च) "निर्गमाधीन यूनिटों की संख्या" का अर्थ है बिक्री किये गए और शेष यूनिटों की कुल संख्या।

(छ) "मान्यताप्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ है ऐसा शेयर बाजार जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत तत्समय मान्यताप्राप्त है ;

(ज) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अन्तर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें ;

(झ) 'विनियम' का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनाई गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 है ;

(ञ) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड जिसे भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अन्तर्गत स्थापित किया गया ;

(ट) व्यापार का अर्थ है 01-04-2000 से ओटीसीईआई के जरिए खरीद कर या बेचकर लेन-देन करना ;

(ठ) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभाजित शेयर है ;

(ड) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल इस योजना के अन्तर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है ;

(ढ) "यूनिट ट्रस्ट" या ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ;

(ण) इसमें अपरिभाषित किन्तु अधिनियम/विनियम में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियम में दिए गए हैं ;

(त) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं।

इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना, 1997 के अन्तर्गत बनाए गए मास्टर इक्विटी प्लान, 1997 (एम ई पी, 97) के ब्यौरे यहां नीचे दिए जाते हैं :

I. परिभाषाएं :

शब्द (जो) प्लान में परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किए गए हैं, उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं।

II. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अन्तर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

III यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा किये जा सकते हैं, जैसे :-

(क) निवासी वयस्क व्यक्ति, एकल रूप से अथवा तीन व्यक्तियों तक संयुक्त रूप से ।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक।

(ग) हिन्दू अविभक्त परिवार।

(घ) व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय, जिसमें किसी भी मामले में केवल पति और पत्नी शामिल होंगे जो गोआ राज्य और संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दिव क्षेत्रों में प्रचलित सामुदायिक या सांपत्तिक प्रणाली से नियंत्रित हैं ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा यथानुमोदित पत्र में होगा।

IV. निवेश की न्यूनतम राशि :

आवेदन न्यूनतम 50 यूनिटों के लिए किया जाएगा और इसके बाद 50 यूनिटों के गुणकों में किया जाएगा । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

रु० 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पी ए एन/जी आई आर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे ।

V. खर्चों पर सीमा ।

निर्गम के प्रारम्भिक खर्चे प्लान के अन्तर्गत एकत्र निधि के 6% से अधिक नहीं होंगे । प्लान के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :—

व्यय	प्रतिशत
मुद्रण और डाक	0.30
प्रचार और मार्केटिंग	1.50
एजेंटों को कमीशन	1.50
बैंक प्रभार	0.30
*विविध	2.40
योग	6.00

*इसमें आवक प्रभार, संसाधन प्रभार, रजिस्ट्रारों की फीस, क्षतिपूर्ति का भुगतान, स्टाम्प शुल्क और अन्य विविध खर्चे शामिल हैं।

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये के कम से कम 94 पैसे का इस प्लान में निवेश किया जाएगा । प्रारम्भिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर प्लान का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :—

व्यय	प्रतिशत
प्रशासनिक व्यय	1.00
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.10
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
*अन्य व्यय	0.80
योग	3.00

*अन्य व्यय में वे सभी खर्चे शामिल हैं, जो दिए गए खाता शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल प्रारम्भिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6 प्रतिशत की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही होगा। इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान प्लान के साप्ताहिक औसत एन ए वी के 1.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

सेबी द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने म्युचुअल फंड सेबी को प्रस्तुत की है जो सेबी के विचाराधीन है। फीस, व्यय और लेखा नीति सेबी द्वारा जारी किए गए विनियमों/दिशा-निर्देशों पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन हैं।

VI. भुगतान विधि :

(1) (i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन-पत्र के साथ नकद, चैक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। जहां आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों में जमा किये जाएं, वहां चैक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये जाएं, जिस शहर में स्थित कार्यालय में आवेदन किए जाएं। लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष प्राधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन-पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिए देय बैंक प्रभार घटाकर बैंक ड्राफ्ट भेजते हुए ऐसा कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु० 10,000 है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु० 20/- है। इस तरह ड्राफ्ट रु० 9,980/- (रु० 10,000 में से रु० 20 घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरम्भिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किन्तु जहां ट्रस्ट का कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष प्राधिकृत कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही भरना होगा।

(ii) यदि भुगतान चैक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चैक की वसूली हो। यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो, लेकिन आवेदन ड्राफ्ट के जारी किए गए दिनांक से 15 दिनों के भीतर ट्रस्ट या संग्रहण केन्द्र को प्राप्त हो जाए। यदि आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान की गई राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी किए जाएंगे, जितने इस योजना के अन्तर्गत किए जा सकेंगे। उसको देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से उसके खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार ट्रस्ट का होगा :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। राशि अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर वापस की जाएगी।

(3) यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और उन्हें सभी अपेक्षाएं जैसे अवयस्क के मामले में जन्म प्रमाणपत्र, एनआरआई/एफआईआई/एच यू एफ आदि के मामले में शपथ-पत्र, आदि पूरी करनी होंगी। अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी। गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी यूनिट धारिता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम यूनिट धारकों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25 प्रतिशत दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिए राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

VII. यूनिटों की बिक्री :

प्लान के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री की पेशकश 22 नवम्बर, 1996 से 31 मार्च, 1997 तक (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) खुली रहेगी।

ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में 31 मार्च, 1997 को कारोबार का समय समाप्त होने के बाद और उसके उपरान्त प्राप्त आवेदन-पत्रों को अवैध माना जाएगा और उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी। यूनिटों की बिक्री के लिए संविदा ट्रस्ट द्वारा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को प्रति 50 यूनिट विपणन योग्य लाट में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना और इसके अन्तर्गत बनाए गए प्लान में यूनिट धारकों के रूप में शामिल कर लिया गया है। प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलीवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा। ट्रस्ट प्लान के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 10 सप्ताह के भीतर यूनिट प्रमाण-पत्र भेजेगा।

VIII. निवेशकों को क्षतिपूर्ति :

प्लान में शामिल होने की तिथि के अनुसार निवेशक को निवेश राशि पर निम्नलिखित रूप से क्षतिपूर्ति राशि अदा की जाएगी :—

22-11-96 से 30-11-96 तक	4.5%
01-12-96 से 31-12-96 तक	3.5%
01-01-97 से 31-01-97 तक	2.5%
01-02-97 से 28-01-97 तक	1.5%
01-03-97 से 31-03-97 तक	1.0%

क्षतिपूर्ति राशि बैंक के जरिए अदा की जाएगी और बैंक यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेज दिया जाएगा। शीघ्र निवेश के लिए अदा की गई क्षतिपूर्ति राशि प्रोत्साहन राशि, अथवा यू टी आई द्वारा निवेशकों के लिए पेश किया गया कोई विशेष लाभ नहीं है। यह क्षतिपूर्ति राशि प्रारंभिक निर्गम व्ययों और निधि द्वारा उत्पादित आय में भी शामिल होगा।

IX. यूनिटों का आबंटन :

31 मार्च, 1997 को यूनिटों का आबंटन किया जाएगा।

X. अवरुद्ध अवधि :

प्लान के अन्तर्गत यूनिट धारक द्वारा किये गये निवेश को आबंटन की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्च 2000 तक रखा जायेगा। यह 3 वर्ष की अवधि "अवरुद्ध अवधि" कही जाएगी।

प्लान की इस तीन वर्षों की अवधि के दौरान यूनिटों की पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। हालांकि सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में उक्त सदस्य को यूनिटें आबंटित करने की तारीख से एक वर्ष पूर्ण होने के बाद, वैध उत्तराधिकारी या योजना के अन्तर्गत यूटी आई की बहियों में पंजीकृत नामित व्यक्ति, मृत सदस्य के नाम जमा यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए पेश कर सकता है।

XI. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) ट्रस्ट यूनिटों की आबंटन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल 1998) से एक वर्ष की समाप्ति के बाद और इसके बाद अर्ध वार्षिक आधार पर पुनर्खरीद मूल्य घोषित करेगा।

(2) आबंटन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के बाद अर्थात् 1 अप्रैल, 2000 से जब यूनिटों की पुनर्खरीद प्रारंभ होगी, ट्रस्ट योजना में दिये गये आधार पर प्रत्येक महीने या जैसा इसके द्वारा निश्चित किया गया हो, पुनर्खरीद मूल्य घोषित करेगा।

(3) पुनर्खरीद मूल्य जिस पर यूनिटें खरीदी जायेंगी उसे समय-समय पर घोषित एनएवी के आधार पर परिकलित किया जायेगा। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रशासनिक लागत और अन्य प्रभार जो औसत एनएवी के 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होगा, काटने के लिए स्वतंत्र होगा।

(4) यूनिट प्रमाण-पत्र के विधिवत विमोचन के प्राप्त होने पर पुनर्खरीद की जाएगी।

(5) पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को पूर्ण समझी जाएगी।

(6) यूनिट धारक के लिए अपनी यूनिटों को उपरोक्त उपबंध (1) के अनुसार पुनर्खरीद के लिए पेश करना आवश्यक नहीं होगा तथा योजना के चालू रहने के दौरान वह जब तक चाहे, उन्हें अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र होगा।

(7) पुनर्खरीद की गई यूनिटों को पुनः जारी नहीं किया जाएगा

(8) पुनर्खरीद किए गए यूनिटों के लिए अदायगी ट्रस्ट द्वारा स्वीकृति तिथि के बाद 10 कार्य दिवस के भीतर की जाएगी। आवेदक को देय राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चैक या ड्राफ्ट को वसूली और प्रेषण (डाक सहित) की लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी और वार्षिक आवर्ती व्यय का ही भाग समझा जाएगा।

(9) पुनर्खरीद मूल्य के परिकलन और प्रकटीकरण, जब भी वे कार्यान्वित किए जाएंगे, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।

XII. यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(i) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हों, और

(ii) ऐसी अवधि में जब बही और लेखा की वार्षिक बन्दी ट्रस्ट द्वारा यथाअधिसूचित) के संबंध में यूनिट धारकों की पंजी बन्दी हो।

स्पष्टीकरण :

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत अधिसूचित हो और न ही

(ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

XIII. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र इसे प्रेस को प्रकाशन करने हेतु जारी करेगा।

XIV. सूचीबद्ध किया जाना :

आबंटन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2000) से 3 वर्षों की अवरुद्ध अवधि के समाप्त होने के बाद इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए यूनिट ओटीसीईआई में सूचीबद्ध किए जायेंगे।

XV. यूनिट प्रमाण-पत्र का फार्म :

यूनिट प्रमाण-पत्र ट्रस्ट के कार्यपालक निदेशक द्वारा यथानिर्दिष्ट फार्म में होंगे। प्रत्येक यूनिट प्रमाण-पत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या जिनके लिए प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, तथा सदस्य के नाम का उल्लेख होगा।

XVI. यूनिट प्रमाण-पत्र तैयार करने की विधि :

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाण-पत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिकी विधि से लगाया गया होगा। जब तक यूनिट प्रमाण-पत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाण-पत्र वैध होगा और इस बात के होते हुए बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले किसी व्यक्ति, जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति न रहा हो।

किन्तु इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाण-पत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाण-पत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है प्रमाण-पत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाण-पत्र भी वैध होंगे।

XVII. यूनिट प्रमाण-पत्र के कट-फट, विरूपित हो जाने, खो जाने की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक सदस्य अपना कोई एक या सभी यूनिट प्रमाण-पत्रों को अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी मूल्यवर्ग के एक या अधिक यूनिट प्रमाण-पत्रों के साथ, जो यूनिटों की समान कुल संख्या दर्शाते हों, विनिमय करने का हकदार रहेगा। उक्त विनिमय के लिए आवेदन करते समय सदस्य ट्रस्ट को विनिमय किये जाने वाला यूनिट प्रमाण-पत्र या प्रमाण-पत्रों को अभ्यर्पित करेगा और नया यूनिट प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्रों के निर्गम के सम्बन्ध में सभी धन राशियां (यदि कोई देय हो) ट्रस्ट को अदा करेगा।

(2) यदि कोई यूनिट प्रमाण-पत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनी हो होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित यूनिट प्रमाण-पत्र की थी। यदि कोई यूनिट प्रमाण-पत्र खो जाता है, चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है, तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा कोई नया यूनिट प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक :—

(1) मूल यूनिट प्रमाण-पत्र के कट-फटे होने, टूटने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट हो जाने के सन्तोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता।

(2) तथ्यों की जांच के सम्बन्ध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता।

(3) (कटे-फटे या घिसे-पिटे या विकृपित यूनिट प्रमाणपत्र के मामले में) ट्रस्ट को ऐसे कटे-फटे घिसे-पिटे या विकृपित यूनिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता और

(4) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बन्धपत्र प्रस्तुत नहीं करता। इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत ट्रस्ट सदभावना के आधार पर उक्त प्रमाण पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा।

(3) इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेदन इसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर पांच रुपए का भुगतान करे। साथ ही ट्रस्ट के मतानुसार किन्हीं प्रभारों या करों के लिए पर्याप्त धन राशि या डाक पंजीकरण खर्च सहित जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के सम्बन्ध में देय हो, उसे भी जमा करेगा।

18. यूनिट धारकों का रजिस्टर:

यूनिट धारकों के पंजीकरण के मामले में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे :—

(1) ट्रस्ट द्वारा एक यूनिटधारक पंजी रखी जाएगी और जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्न प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी।

(क) यूनिट धारकों के नाम और पते,

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस व्यक्ति के नाम यूनिट है उसके धारक बनने की तिथि

(2) किसी सदस्य को अपने नाम और पते में हुए परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को देनी होगी। ऐसे परिवर्तन से सन्तुष्ट होने पर और ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर पंजी में तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा।

(3) पंजियों की बन्दी अवधि को छोड़कर इसमें इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार कार्य-अवधि के दौरान (ट्रस्ट द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबन्धों के अधीन, किंतु प्रत्येक कार्य-दिवस में कम से कम दो घंटे निरीक्षण के लिए खुली रहेगी)। सदस्य के निरीक्षण के लिए निःशुल्क और उसके खेद के निवेश के सम्बन्ध में खुली रहेगी।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बन्द रहेगी। परन्तु किसी भी वर्ष में वह 45 दिनों से अधिक समय के लिए बन्द नहीं रहेगी। ट्रस्ट द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना विज्ञापन के रूप में समाचार पत्र में या अन्य माध्यम से दी जाएगी।

(5) किसी यूनिट के सम्बन्ध में पंजी में किसी दायित्व की स्पष्ट विवक्षित या आन्वयिक सूचना अंकित नहीं की जाएगी।

19. ट्रस्ट के उन्मोचन के लिए सदस्य द्वारा रसीद :

प्रमाणपत्र में अंकित यूनिटों के सम्बन्ध में सदस्य को भुगतान की गई राशि के लिए उसकी रसीद ट्रस्ट के लिए अच्छा उन्मोचन माना जाएगा।

20. यूनिटधारक द्वारा नामांकन :

(1) नामांकन सुविधा केवल व्यक्तियों के लिए अपनी ओर से अर्थात, अकेले या तीन व्यक्तियों तक संयुक्त रूप से आवेदन करने पर उपलब्ध है। आवेदक एक व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं नाबालिग और अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। लेकिन यूनिट अन्तरण के मामले में अन्तरिती को नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्लान के चालू रहने के दौरान आवेदक नामांकन में कभी भी परिवर्तन कर सकता है।

परन्तु यह भी कि नाबालिगों, हिन्दू अविभक्त परिवारों, व्यक्ति संघों और व्यक्ति निकायों की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते।

(2) रजिस्ट्रार ऐसे निर्देशों और प्लान के प्रावधानों के अधीन निर्धारित फार्म जारी कर सकते हैं और उपरोक्त उपखण्ड (1) के अधीन निर्धारित फार्म में नामांकन स्वीकार कर सकते हैं और उसे पंजीकृत कर सकते हैं। वे ऐसे निर्देशों के अधीन ऐसे में विभिन्नता, संशोधनों और परिवर्तनों और उनका पंजीकरण भी कर सकते हैं।

अन्य प्रावधान विनियमों में किए गए प्रावधानों की सीमा तक होंगे।

21. यूनिट धारक की मृत्यु :

(1) यूनिटों के संयुक्त धारिता के मामले में प्रथम धारक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा दूसरे नामित यूनिटधारक को तथा दूसरे नामित यूनिट धारक की भी मृत्यु पर तीसरे नामित यूनिटधारक को ही योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी। लेकिन इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के सम्बन्ध में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) प्लान के अन्तर्गत किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती को उन यूनिटों के सम्बन्ध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी जो मृत यूनिटधारक के नाम जमा हो।

(3) किसी एकल द्वारा सदस्य वैध नामांकन नहीं किए जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादन या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही व्यक्ति होगा, जिसे यूनिट के हकदार के रूप में ट्रस्ट मान्यता दी जा सकती है।

(4) यूनिटधारक (धारकों) की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिटों के हकदार बनने वाले किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिए पर्याप्त समझे गए साक्ष्य के प्रस्तुत किए जाने पर मृतक के नाम जमा सभी बकाया यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य (यूनिटों की आबंटन तिथि से 1 वर्ष के बाद) उस पुनर्खरीद मूल्य पर अदा किया जाएगा, जिस तारीख को दावेदार द्वारा दावे से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी की गई हों।

ईक्विटी सम्बद्ध बचत योजना 1997 (ईएलएसएस' 97) का ब्यौरा जारी

3. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख के आधार पर बंद मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से दो माह की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनुद्धृत निवेश माना जाता है।

(2) उधृत निवेशों और बाण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्व, यदि हो, के लिए समायोजित किया जाता है ।

(3) अनोधृत इक्विटी और अधिमान शेयर, जिनमें अवरुद्ध अवधि वाले शेयर शामिल हैं, को लागत पर लिया जाता है ।

(4) अनोधृत डिबेंचर, बाण्डों और अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं ।

(5) अनोधृत वारंट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काट कर तथा देय प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है ।

(6) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हों, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटा गया हो, पर किया जाता है । ऐसे डिबेंचरों एवं बाण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन उपरोक्त (4) के अनुसार किया जाता है । जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है ।

(7) मुद्रा बाजार लिखतों को वही मूल्य पर लिया जाता है ।

(8) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर किया जाता है ।

(9) उपरोक्त पैरा (1) से (8) तक के अनुसार यथासंगणित निवेशों के सकल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की सकल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है ।

(10) आस्तियों का मूल्यांकन यथासमय सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा ।

4. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का निर्धारण :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपचयों और उपबंधों का ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देकर किया जाएगा । इस एनएवी को (पूर्ववर्ती आधार पर) एक महीने के अंतराल में अथवा सेबी द्वारा ऐसे प्रस्तावित अंतराल में प्रकाशित करने हेतु प्रेस को जारी किया जाएगा ।

शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन और प्रकटीकरण विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के लागू होने पर उनके अनुसार होगा ।

5. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की गई है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकारवाले न्यायालय के आदेश को छोड़ कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

6. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

यूनिटों के आबंटन की तिथि से 3 वर्ष की अवरुद्ध अवधि के बाद इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखने/समनुदेशन की अनुमति दी जाएगी । अवरुद्ध अवधि के दौरान अथवा उसके बाद किन्तु योजना समाप्त होने के पूर्व एचयूएफ, एओपी, बीओआई से संबंधित यूनिट धारण के विभाजन और/अथवा विघटन की स्थिति में इसमें ऊपर उल्लिखित कुछ भी कथित विभाजन अथवा विघटन के संदर्भ में तत्संबंधी कानून को लागू करने में बाधक नहीं होगा बशर्ते अन्यथा विशिष्ट रूप से सहमति प्रकट की गई हो अथवा उल्लेख किया गया हो और जो कथित कानून, यदि कोई हो, के विरुद्ध न हों । एचयूएफ, एओपी, बीओआई के सदस्यों में आय वितरण और यूनिटों का विभाजन, समय-समय पर प्रचलित तत्संबंधी कानून, यदि कोई हो, के अनुसार नियंत्रित होगा ।

7. जारी करने के बाद यूनिटों का अंतरण :

इस योजना के अंतर्गत जारी तथा बकाया सभी यूनिट, आबंटन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के बाद (अर्थात् 1 अप्रैल, 2000 से) निम्न शर्तों के अधीन, मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र परक्राम्य रहेगा और जैसा कि इस योजना के प्रावधानों के खण्ड 3 में उल्लेख किया गया है व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है।

अंतरण दस्तावेज की स्वीकृति और अंतरिती का सदस्य के रूप में प्रवेश पूर्णतः ट्रस्ट के विवेकानुसार होगा।

(ख) यूनिट धारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा । किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा ।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र और योजनाद्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के सहित अंतरण दस्तावेज, इस कार्य हेतु नियुक्त किये गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरणपत्र नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे ।

(ङ) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा।

(च) अंतरणकर्ता के स्वात्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे ।

(ड) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो/चुराया गया हो/नष्ट हो गया हो तो कुछ आवश्यकताओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझें, की पूर्ति करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे ।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी दस्तावेज और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे ।

(झ) अंतरण को मान्यता देने तथा पंजीकृत करनेवाले रजिस्ट्रार, उक्त प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों का अंतरण और जारी करने के संबंध में देय अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया या नए यूनिट प्रमाणपत्र अंतरिती को जारी करेंगे ।

(ञ) यदि अंतरिती आधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण जिसे वे पर्याप्त समझें, के अधीन रजिस्ट्रार अंतरण लागू करेगा ।

(ट) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को अंतरण संबंधी दस्तावेजों के साथ यूनिट प्रमाणपत्र वापस करेगा ।

8. निवेश उद्देश्य और नीतियां :

(क) योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का कंपनियों के इक्विटी, संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों और पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों और बांडों और वारंटों में निवेश किया जाएगा । अंशतः परिवर्तनीय निर्गमों के डिबेंचरों और बांडों, जिसमें राइट्स के आधार पर जारी बाण्डों और डिबेंचरों का भी समावेश होगा, में इस शर्त के अधीन निवेश किए जा सकते हैं कि यथासंभव इस रूप में अर्जित या अभिदत्त डिबेंचरों का अपरिवर्तनीय अंश बारह माह की अवधि के अंदर वापस ले लिया जाएगा ।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना की निधियां खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में कम से कम 80% की सीमा तक निवेशित की जाएंगी । ट्रस्ट उपर्युक्त वर्णित तरीके से निधियों को यूनिटों की बिक्री की बंदी की तारीख से छः माह के अंदर निवेशित करने का प्रयास करेगा । असाधारण परिस्थिति में इस आवश्यकता को ट्रस्ट छोड़ सकता है ताकि यूनिटधारकों के हित सुरक्षित रह सकें ।

(ग) उपर्युक्त वांछित तरीके से यदि निधियों का निवेश लम्बित रहता है तो ट्रस्ट अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों में या अन्य नकदी लिखतों में या दोनों में निवेश करेगा ।

(घ) यूनिटों के आबंटन की तारीख के तीन वर्षों के बाद ट्रस्ट योजना की कुल आस्तियों का 20% तक अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों में और अन्य नकदी लिखतों में धारित कर सकता है ताकि वे उन यूनिटधारकों की यूनिटों की पुनर्खरीद कर सकें जो पुनर्खरीद के लिए यूनिटों को जमा कराना चाहते हैं ।

(1) सभी ऋण लिखत, जिनमें प्लान द्वारा निवेश किया जाना है उनके निवेश वर्ग का निर्धारण सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/सीएआरई या समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।

परन्तु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(2) इस प्लान के अंतर्गत कोई मीयादी ऋण नहीं दिया जाएगा ।

(3) निजी डिबेंचरों, प्रतिभूतित ऋणों और अन्य रेट न किए गए ऋण लिखतों में निवेश, प्लान की कुल आस्तियों का 10% से अधिक नहीं होगा ।

(4) किसी भी एक कंपनी के शेयरों में योजना की निधि के 5% से अधिक भाग का निवेश नहीं किया जाएगा ।

(5) इस योजना की निधियों सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों के 10% से अधिक भाग का किसी एक कंपनी के शेयर, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

(6) इस योजना की निधियों सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों के 15% से अधिक भाग का किसी एक उद्योग के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा।

परन्तु योजना के लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा जिसे एक या अधिक निर्धारित उद्योगों में निवेश के लिए चालू किया गया हो और इस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई हो ।

(7) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब :

(क) उद्धृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण तत्कालिक आधार पर किए गए हों ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।

(ग) सूचीबद्ध या उद्धृत न किए गए निवेशों का प्लान से अन्य योजना/प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) प्लान ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में तब तक निवेश नहीं करेगी या उधार नहीं देगी, जब तक अन्यथा सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियमों/दिशानिर्देशों/आदेशों के अधीन अनुमति न दे दी जाए ।

(9) प्लान अपने निवेशों के वित्तपोषण के लिए तब तक निधियां उधार नहीं लेगी, जब तक अन्यथा सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड

विनियमों/दिशानिर्देशों/आदेशों के अधीन अनुमति न दे दी जाए ।

9. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंध और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट की छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, के लिए भी किया जा सकता है ।

10. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

11. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा ।

ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो । ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

शिकायतें लंबित रहने के कारण :

सेबी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत की है जो सेबी के विचाराधीन है । अत: शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां सेबी द्वारा जारी विनियमों/दिशानिर्देशों पर निर्भर रहते हुए परिवर्तन के अधीन होंगी ।

12. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किये गये परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

13. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :

(क) 31-03-2007 को अर्थात् योजना के अंतर्गत यूनिटों के दस वर्ष बाद यह योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की अंतिम रूप से समाप्ति हो जाएगी ।

(ख) यदि प्लान के अंतर्गत जारी यूनिटों में से 90% से अधिक यूनिटों की दस वर्ष पूरा होने से पहले ही पुनर्खरीद की जाती है तो ट्रस्ट अपने विवेकानुसार यह प्लान दस वर्ष की निर्धारित अवधि से पहले भी समाप्त कर सकता है और ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर बकाया यूनिटों को मुक्त कर सकता है ।

जहां प्लान ऊपर उप-खण्ड (ख) के अनुसरण में बंद की जाती है, वहां ट्रस्ट समाप्ति की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले इसकी सूचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित दो समाचार पत्रों और मुम्बई के एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देगा ।

(ग) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट :—

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान बंद करेगा ।

(घ) न्यासी मंडल यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित यूनिटधारकों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(ङ) (1) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए खण्ड (ङ)(1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने की तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(च) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति पर एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व निधि की आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई निधियों का व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के वितरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र शामिल होगा ।

(छ) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी [म्यूच्युअल फंड] विनियम 1993 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(ज) खण्ड 13(च) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(झ) ट्रस्ट द्वारा विधिवत्-रूप से यूनिट प्रमाणपत्रों का उन्मोचन प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा। विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हो, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।

14. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा। ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरित नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा।

इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं।

15. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिये योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, परिवर्तित या संशोधन कर सकता है, बशर्ते किसी यूनिट धारक या यूनिट धारक वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो।

प्रावधान में परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

16. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान यूनिट धारकों के लिए बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक यूनिट धारकों और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिये इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिये बाध्य हो।

17. यूनिट धारकों को लाभ :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, आरक्षित निधि और अधिक राशि के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं यूनिट धारकों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों।

18. कर विधि का लागू होना :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत एमईपी-97 के यूनिटों में निवेश की गई राशि के 20% पर अधिकतम 10,000/- रु. तक) कर की छूट होगी। दूसरे शब्दों में, निवेश की गई राशि का 20% (अधिकतम 10,000/- रु. तक) निवेशक द्वारा देय कर से घटा दिया जाएगा।

यूनिटों से प्राप्त अन्य पूंजी लाभ पर प्रचलित कर विधि के अनुसार कर लगाया जाएगा। वर्तमान में "एमईपी-97" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 15,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी तथा इस प्लान के अंतर्गत होने वाले कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन कार्रवाई के योग्य होंगे।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य पूर्णतया धनकर से मुक्त है।

स्रोत पर कर की कटौती, यदि कोई हो, प्रचलित कर विधि के अनुसार की जाएगी।

यूनिट धारकों के अधिकार

1. प्लान के अधीन यूनिट धारकों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है।

2. यूनिट धारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा यूनिट धारकों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिट धारक लाभांश वारंट के प्रेषित किए जाने के हकदार हैं।

4. यूनिट धारकों को 30 दिनों की अवधि के भीतर यूनिटों को अंतरित करवाने का अधिकार है।

5. यूनिट धारकों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाइंट, मुम्बई-400021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत सभी योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित संपत्तियों की सुपुर्दगी लें और अभिरक्षक केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त होने पर ही प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देंगे।

जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर-विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस. के. कपूर एण्ड कं. 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मेसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री, माणकजी वाडिया बिल्डिंग, 127, महात्मा गांधी रोड, मुम्बई को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। लेखा परीक्षक हर वर्ष परिवर्तित होने के अधीन हैं।

निवेशकों की शिकायतें

जुलाई 1995 से सितम्बर 1996 तक की अवधि के लिए योजना-वार प्राप्त और निवारण की गई शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है :—

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
1	2	3	4	5
सीसीसीएफ	2907	2820	87	2.99%
सी जी जी एफ	19868	19212	656	3.30%
सी जी एस–83	22480	22284	196	0.87%
सी जी यू एस–91	2904	2860	44	1.52%
सी आर टी एस	169	165	4	2.37%
डी आई यू पी–93	235	210	25	10.64%
डी आई यू पी–95	722	667	55	7.62%
डी आई यू एस–90	1339	1334	5	0.37%
डी आई यू एस–91	1559	1539	20	1.28%
डी आई यू एस–92	969	954	15	1.55%
आई आई एस एफ यू एस	5	5	0	0.00%
जी सी जी आई	5318	4655	663	12.47%
ग्रैड मास्टर–93	310	290	20	6.45%
जी एम आई एस–91	2738	2575	163	5.95%
जी एम आई एस–92	1378	1301	77	5.59%
जी एम आई एस–92 (II)	774	736	38	4.91%
जी एम आई एस–बी–92	174	150	24	13.79%
जी एम आई एस–बी–92 (II)	739	731	8	1.08%
गृह लक्ष्मी यू पी–94	1927	1811	116	6.02%
आवास यूनिट योजना	328	289	39	11.89%
एम ई पी 91	5050	4625	425	8.42%
एम ई पी–92	46836	46193	643	1.37%
एम ई पी–93	2518	2478	40	1.59%
एम ई पी–94	4389	4301	88	2.01%

1	2	3	4	5
एम ई पी-95	27530	27466	64	0.23%
एम ई बी-96	189	167	22	11.64%
मास्टर ग्रेन-92	17553	15885	1668	9.50%
मास्टर ग्रोथ-93	1623	1502	121	7.46%
एम आई पी-93	1623	1604	19	1.17%
एम आई पी-94	1147	1126	21	1.83%
एम आई पी-94 (II)	1703	1659	44	2.58%
एम आई पी-94 (III)	605	582	23	3.80%
एम आई पी-95	2808	2684	124	4.42%
एम आई पी-95 (II)	3851	3627	224	5.82%
एम आई पी-95 (III)	6693	6372	321	4.80%
एम आई पी-96	896	777	119	13.28%
एम आई पी-90 (I)	510	374	136	26.67%
एम आई एस-90 (II)	1175	1080	95	8.09%
एम आई एस-बी-93	872	860	12	1.38%
एम आई एस जी-91	1607	1517	90	5.60%
मास्टर प्लान-91	5915	5709	206	3.48%
मास्टर शेयर-86	29980	25693	4287	14.30%
ओमनी प्लान	75	63	12	16.00%
पी ई एफ-95	814	684	130	15.97%
सेवा निवृत्ति लाभ प्लान	3870	3602	268	6.93%
राजलक्ष्मी यू पी	10438	10044	394	3.77%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1642	1553	89	5.42%
यू जी एस-2000	60364	57268	3096	5.13%
यू जी एस-5000	12664	10408	2256	17.81%
यूलिप-71	15761	13690	2071	13.14%
यू एस-64	628393	598040	30353	4.83%
यू एस-92	407	405	2	0.49%
यू एस-95	4	4	0	0.00%
कुल	966348	916630	49718	5.14

शिकायतें लंबित रहने के कारण

(1) संग्रहणकर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(4) मार्ग में ही खो जाना।

(5) डाक सेवा में विलम्ब।

(6) अंतरण/मृत्यु मामलों/पुनर्वैधीकरण के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

सभी निवेशक, निवेश का पूरा विवरण देते हुए अपनी शिकायत संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को नीचे दिए गए पतों पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,

विश्व व्यापार केन्द्र, जी डी सोमानी मार्ग,

कफ परेड, मुम्बई-400005।

टेली : 2180172/218 1600

पूर्वी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

निवेशक संपर्क कक्ष,

2, फेयरली प्लेस, 2री मंजिल,

कलकत्ता-700001 ।

टेली : 2434581

दक्षिणी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

निवेशक संपर्क कक्ष,

यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सलाई,

मद्रास-600001 ।

टेली : 517101 विस्तारित : 360/364

उत्तरी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

निवेशक संपर्क कक्ष,

हेराल्ड हाउस, 2री मंजिल,

5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली-110002 ।

टेली : 3329860

रजिस्ट्रार

यूटीआई इन्वेस्टर्स सर्विसेज लि. को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है । आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी ।

पश्चिम अंचल : प्लाट नं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई-400059 ।

पूर्व अंचल : 2, फेयरली प्लेस, पहली मंजिल, पोस्ट बैग नं. 60, कलकत्ता-700001 ।

दक्षिण अंचल : जस्टिस बशीर अहमद सईद बिल्डिंग, 45, दूसरी लाइन बीच, मद्रास-600001 ।

उत्तर अंचल : तेज बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 8 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 ।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय बेसमेंट, द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुम्बई-400020 में उपलब्ध रहेंगे ।

- यूटीआई अधिनियम
- सामान्य विनियम
- अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
- पेशकश दस्तावेज एमईपी 97 की प्रति

यू० टी० आई० के पिछले मास्टर इक्विटी प्लानों का विवरण

प्लान	एम ई पी '91	एम ई पी' 92	एम ई पी' 93	एम ई पी'94	एम ई पी' 95	एम ई पी' 96
आरंभ होने की तिथि	1–4–91	01–04–1992	01–04–1993	01–04–1994	01–4–1995	01–04–1996
समाप्ति की तिथि	31–03–2001	31–03–2002	31–03–2003	31–03–2004	31–03–2005	31–03–2006
संग्रह की गई राशि	रु० 285/- करोड़	रु० 1297/- करोड़	रु. 392/- करोड़	रु० 735/- करोड़	रु० 1162- करोड़	रु० 190 करोड़
आवेदन पत्रों की संख्या	3,85,836	17,96,031	5,59,224	9,85,511	14,72,918	2,33,867

पूर्ववर्ती आंकड़े	1991-92		1992-93			मास्टर इक्विटी प्लान 1993-94			
	एमईपी '94	एमईपी '92	एमईपी '91	एमईपी '92	एमईपी '93	एमईपी '91	एमईपी '92	एमईपी '93	एमईपी '94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) कुल आय	7,425.64	52,603.65	1,335.06	3,571.45	1331.92	10,323.42	4,415.51	1,367.03	702.76
(ख) व्यय (संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान सहित)	570.89	1135.13	81 48	760.79	365.38	179.92	664.16	256.82	433.50
(ग) शुद्ध आय	6,854.75	51,468.52	1,253.58	2,810.66	966.54	10,143.50	3,751.35	1,110.21	269.26
(घ) लाभांश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ङ) एनएवी (प्रति यूनिट)									
—वर्ष के आरम्भ में	10.59	—	21.95	11.97	—	19.06	10.66	10.31	—
—वर्ष के अंत में	24.95	11.97	19.06	10.66	10.31	37.87	21.54	19.64	10.98
(च) औसत मासिक शुद्ध आस्तियों में व्यय (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(छ) पोर्टफोलियो कुल बिक्री दर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ज) बाजार मूल्य									
—उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(झ) पुनर्खरीद मूल्य									
—उच्चतम	—	—	—	—	—	34.35	—	—	—
—न्यूनतम	—	—	—	—	—	33.10	—	—	—
(ञ) बिक्री मूल्य									
—उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ट) अवधि की समाप्ति पर बकाया यूनिटों की सं० (लाख में)	2,863.06	12,519.94	2,859.36	12,743.68	3,923.27	2,418.09	12,735.92	3,939.27	7,298.06

पूर्ववर्ती आंकड़े

(रुपए लाख में)

पूर्ववर्ती आंकड़े	1994-95					1995-96					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(क) कुल आय	19,111.21	10,761.23	1,066.92	1,172.02	1,298.71	4,278.75	25,133.60	4,919.38	943.99	8,447.17	402.38
(ख) व्यय (संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान सहित)	412.08	1,219.02	237.03	14,614.10	5,861.06	1,55.82	1591.58	491.88	387.14	607.58	144.58
(ग) शुद्ध आय	18,699.13	9,542.21	829.89	13,442.08	4,562.35	4,122.93	23,542.02	4427.50	9,556.85	7,839.59	257.80
(घ) लाभांश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ङ) एनएवी (प्रति यूनिट)											
—वर्ष के आरम्भ में	37.87	21.54	19.64	10.98	—	28.01	15.44	14.48	8.21	9.61	—
—वर्ष के अंत में	28.01	15.44	14.48	8.21	9.61	30.26	17.59	16.50	9.51	11.57	12.00
(च) औसत मासिक शुद्ध आस्तियों में व्यय (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(छ) पोर्टफोलियो कुल बिक्री दर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ज) बाजार मूल्य											
—उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	14.25	—	—	—
—न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	10.00	—	—	—
(झ) पुनर्खरीद मूल्य											
—उच्चतम	39.80	15.95	—	—	—	29.45	21.90	—	—	—	—
—न्यूनतम	25.35	14.30	—	—	—	17.00	12.45	—	—	—	—
(ञ) बिक्री मूल्य											
—उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ट) अवधि की समाप्ति पर बकाया यूनिटों की सं० (लाख में)	1,658.30	11,709.20	3,927.80	7,372.90	11,597.10	1,447.02	9,254.14	3,492.94	7,370.25	11,577.96	1,966.27

कार्पोरेट कार्यालय

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005. दूरध्वनि : 2181600. पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001. दूरध्वनि : 2209391. **दक्षिणी अंचल** : यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सालै, मद्रास-600001. दूरध्वनि : 517101. उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13 वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001. दूरध्वनि : 3329860.

पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : बी. जे. हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009. दूरध्वनि : 6423043. बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्राम्पेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015. दूरध्वनि : 332481. भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर नगर, अंचल 1, स्कीम 13 हबीब गंज, भोपाल-462001. दूरध्वनि : 558308. इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम. जी. मार्ग, इन्दौर-452001. दूरध्वनि : 22796. मुंबई : (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी', गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400049. दूरध्वनि : 6201995. मुंबई : (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आन्ध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400703, दूरध्वनि : 7672607. मुंबई : (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400020. दूरध्वनि : 2850821. मुंबई (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस. वी. रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092. दूरध्वनि 802052 मुंबई : (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086 दूरध्वनि : 5162256. कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी. एस. नं. 511, के एच-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001. दूरध्वनि : 657315. नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लैक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440001. दूरध्वनि : 536893. नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422001. दूरध्वनि : 72166. पणजी : ई.डी.सी. हाउस, भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001. दूरध्वनि : 222472. पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005. दूरध्वनि : 325054. राजकोट : लल्लूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001. दूरध्वनि : 35112. सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395001 दूरध्वनि : 434550 ठाणे : यूटीआई हाउस, स्टेशन मार्ग, ठाणे (पश्चिम)-400601. दूरध्वनि : 5400905.

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, पहली और दूसरी मंजिल, 24, जनपथ, खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर-751001. दूरध्वनि : 410995. कलकत्ता : 2 और 4. फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001. दूरध्वनि : 2209391. दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216. दूरध्वनि : 4831. गुवाहाटी : जीवन दीप, एम. एल. नेहरु रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-781001. दूरध्वनि : 543131. जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, जमशेदपुर-831001. दूरध्वनि : 425508. पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और 5वीं मंजिल, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001. दूरध्वनि : 235001. सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401. दूरध्वनि : 24671.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेम्बर आफ कामर्स, केम्पेगोवडा रोड, बंगलौर-560009. दूरध्वनि : 2263739. कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम. जी. रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011. दूरध्वनि : 362354. कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बतूर 641018. दूरध्वनि : 214973. हुबली : कालबर्गी मेंशन, 4 थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली-580020. दूरध्वनि : 363963. हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट हैदराबाद-500001. दूरध्वनि : 511095. मद्रास : यू. टी. आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई मद्रास-600001. दूरध्वनि : 517101/513695. मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुराई-625001. दूरध्वनि : 38186 मंगलौर : सिधार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलौर-575001. दूरध्वनि : 426258. तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंतपुरम-695001. दूरध्वनि : 331415. त्रिची : 104, सलाई रोड, वोरेयूर, , तिरुचिरापल्ली-620003. दूरध्वनि : 27060. त्रिचूर : 28/876/77. वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउंड नार्थ, त्रिचूर-680020. दूरध्वनि : 331259. विजयवाड़ा : 27-37-156. बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520002. दूरध्वनि : 74434. विशाखापट्टनम् : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47-15-6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम्-530016. दूरध्वनि : 548121.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002. दूरध्वनि : 54408. इलाहाबाद यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211003. दूरध्वनि : 50521. अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्पलेक्स, दूसरी मंजिल क्विन्स रोड, अमृतसर-143001. दूरध्वनि : 210367 चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017. दूरध्वनि : 543683. देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248001. दूरध्वनि : 26720. फरीदाबाद : बी-614-617, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद-121001. दूरध्वनि : 210010. गाजियाबाद : 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के पास, गाजियाबाद-201001. दूरध्वनि : 752040. जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001. दूरध्वनि : 365212. कानपुर : 16/79-इ, सिविल लाईन्स, कानपुर-208001. दूरध्वनि 317278. लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5 पार्क रोड, लखनऊ-226001. दूरध्वनि : 232501. लुधियाना : सोहन

पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141001. दूरध्वनि : 400373. नई दिल्ली : गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002. दूरध्वनि : 3318638/3319786. शिमला : 3, माल रोड, पहली मंजिल, जानकीदास एण्ड कं. डिपार्टमेन्ट स्टोर के ऊपर, शिमला-171002. दूरध्वनि : 4203. वाराणसी : पहली मंजिल, डी-58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001. दूरध्वनि : 54306.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 1996

सं. यू-16/53/94-चि. 2 (प. बं.)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में, एतद्द्वारा सेरमपुर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (पूर्व अंचल) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. (श्रीमती) अर्चना राय भट्टाचार्जी की सेवाएं एक वर्ष के लिए 1-1-1997 से 31-12-1997 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाता हूं।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 1996

सं. ए-12(2)-8/83-स्था.-1(क)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 यथा संशोधित) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड 21 और उप-धारा (2क) के साथ पठित धारा 97 की उप-धारा(1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क.रा.बी. निगम निदेशक (जन संपर्क) (भर्ती) विनियम, 1981 में आंशिक संशोधन करते हुए, ऐसे संशोधन से पूर्व किए गए अथवा करने से रह गए कार्यों को छोड़कर, निगम केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा क.रा.बी. निगम में निदेशक (जन संपर्क) के पद की भर्ती पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) ये विनियम क.रा.बी. निगम, निदेशक (जन संपर्क) भर्ती (संशोधन) विनियम, 1996 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :

पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और इनसे संबद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि :

उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. अयोग्यता :

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है जिसका जीवन-साथी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने जीवन-साथी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का इकरार किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि निगम के महानिदेशक इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है या ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकता है।

5. ढील देने की शक्ति :

जहां निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और इसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबन्ध में आदेश द्वारा ढील दे सकता है।

6. अवशिष्ट मामले :

इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, निगम में अधिकारियों के तदनुरूपी वर्ग पर लागू, समय-समय पर यथा-संशोधित क.रा.बी. निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में यथा-उल्लिखित सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

7. अपवाद :

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और व्यक्तियों की के अन्य वर्गों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

क० रा० बी० निगम में निदेशक (जन सम्पर्क)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या सेवा के जोड़ गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
निदेशक (जन संपर्क)	01* (1995) *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकेगा ।	ग्रुप "क"	3700-125-4700-150-5000 रुपये	लागू नहीं	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की ढील) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पंगी उप प्रभाग, अण्डमान व निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित तारीख नहीं)	नहीं	अनिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता तथा माध्यमिक विद्यालय स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन किया हो । (ii) जन संपर्क के क्षेत्र में 8 वर्ष का अनुभव । टिप्पणी 1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में ढील दी जा सकती है । टिप्पणी: 2. यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता(ओं) में ढील दी जा सकती है । वांछनीय :– किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जन-संचार में डिग्री/डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता ।

के पद के लिए भर्ती विनियम

क्या सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति। क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 1 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्प कालीन करार सहित) स्थानांतरण जिसके न होने सीधी भर्ती द्वारा। आयोग द्वारा आरंभ में 3000-5000 रुपये (परिशोधित) के वेतनमान में अपग्रेड किए गए 1300-1700 रुपये के परिशोधन पूर्व वेतनमान में निदेशक (जन संपर्क) के पद पर मौजूदा नियमित पद धारी की 3700-5000 रुपये के वेतनमान में अपग्रेड किए गए पद पर उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि उपयुक्त पाया गया आरंभिक नियुक्ति पर उन्हें पद पर नियुक्त माना जाएगा। यदि अपग्रेड किए गए वेतनमान में नियुक्ति के "अनुपयुक्त" पाया गया तो वह 3000-5000/- रुपये के वेतनमान में कार्य करता रहेगा तथा उनके मामले की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी।	अल्पकालीन करार सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधीन निम्नलिखित अधिकारी नियमित आधार (क) (i) पर सदृश पद धारक; अथवा (ii) 3000-5000/- रुपये के वेतनमान के पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा समकक्ष (iii) 3000-4500/- रुपये के वेतनमान के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा समकक्ष और; (ख) सीधी भर्ती वालों के लिए कालम 8 के अन्तर्गत विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव वाले। टिप्पणी :—केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी ही स्थानांतरण के के पात्र हैं। (इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालीन करार सहित)/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	पुष्टि पर विचार करने के लिए ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति 1. महानिदेशक, 2. बीमा आयुक्त क.रा.बी. निगम : सदस्य टिप्पणी :- सीधी भर्ती वाले की पुष्टि संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी। यदि आयोग द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की पुनः बैठक की जाएगी।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

छावनी परिषद, कानपुर

कानपुर, दिनांक 25 सितम्बर 1996

का. नि. अ. औ. एस./65—जबकि छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन छावनी सीमा के अन्तर्गत कन्जरवेंसी टैक्स लागू करने के लिए एक नोटिस दिनांक 8-8-96 को प्रकाशित की गयी और जिसकी एक प्रति छावनी परिषद कार्यालय के प्रमुख स्थान पर लगाई गयी। जैसा कि धारा 61 जिसे धारा 255, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पढ़ा जाये, इस आशय से नोटिस प्रकाशित की गयी कि इससे प्रभावित होने वाले लोग अपनी आपत्तियाँ एवं सुझाव नोटिस प्रकाशन से 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर दें।

और जबकि प्राप्त आपत्तियों पर छावनी बोर्ड, कानपुर की बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 1996 में विचार किया गया

अब, इसलिये छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये छावनी परिषद, कानपुर केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के साथ कन्जरवेंसी टैक्स एक प्रतिशत प्रति वर्ष मकान के वार्षिक मूल्यांकन पर एवं या प्रत्येक कियायेदारों पर जो कि मकान के गृहकर के लिये हो, लागू करता है।

हरीश प्रसाद

छावनी अधिशासी अधिकारी, कानपुर

छावनी परिषद

देवलाली, दिनांक 12 दिसम्बर 1996

सं० का० नि० आ० 646 एडीएमई/ह–1—चूंकि देवलाली छावनी की सीमाओं के भीतर वसूल कर रहे चुंगी कर दर-सूची से पुनरीक्षण संशोधन हेतु स्थानीय रूप से एक आम सूचना दिनांक 18–09–1995 को प्रकाशित की गई थी और छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) के धारा 61 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उसके फलस्वरूप प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उक्त सूचना के दिनांक से 30 दिन के अंदर आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और चूंकि 30 दिन के निर्दिष्ट समय में प्राप्त सभी आपत्तियां तथा सुझावों पर छावनी परिषद, देवलाली द्वारा यथोचित रूप से सोच-विचार किया गया है ;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अधिसूचना संख्या 646/एडीएम/ह–1 दिनांक 15 नवम्बर, 1980 को रद्द बदल करते हुए, छावनी परिषद, देवलाली केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति से एतद्द्वारा देवलाली छावनी के सीमाओं के भीतर, उपयोग, उपयोग तथा बिक्री हेतु लाया जाने वाला सामान, प्राणियों तथा वाहनों पर इसके साथ संलग्न सूची में निर्दिष्ट किए गए अनुसार चुंगी कर (वापस न मिलने वाला) के पुनरीक्षित दर लागू करती है :—

अप्रति संदेय चुंगी

क्रम सं०	सामान का विवरण	दर	
		प्रति 100 कि० ग्राम पर	प्रतिशत मूल्य पर
1	2	3	4
वर्ग 1			
1	(अ) सभी अनाज जैसे कि : भारतीय मक्का, नचनी, भूसीदार बरी तथा भूसी रहित सतू या भारतीय जौ, मुटकी, कुलिथ, राजगिरा तथा ऐसे ही अन्य अनाज और दालें जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	0.50	
	(ब) निम्नलिखित अनाज और दालें :— बाजरा, ज्वार, चना और दाल, मसूर और मसूरदाल, मटर, पोश्ता दाणा, छिलकेदार चावल और छिलका रहित चावल, तुरी और तूर दाल, उड़द और उड़द दाल, मूंग और मूंग दाल तथा गेहूं	0.50	
2	अखरोट (छिलके सहित तथा छिलके रहित)		3.00
3	बादाम (छिलके सहित तथा छिलके रहित)		3.00
4	अमसूल		3.00
5	सेब	2.00	
6	अरारोट		3.00

1	2	3	4
7	बेकन		3.00
8	बेकिंग पाउडर		3.00
9	सुपारी		3.00
10	बेर	2.00	
11	पान	3.00	
12	सभी किस्म का भूसा	0.50	
13	बिस्कुट्स		3.00
14	बोर्नविटा		3.00
15	मक्खन बिस्कुट		3.00
16	मक्खन (लोनी)	20.00	
17	केक		3.00
18	कार्बोनिक एसिड गैस (बड़ा सिलेंडर/छोटा सिलेंडर)		3.00
19	केस्टर तेल (सुगन्ध रहित)		3.00
20	चमका		3.00
21	चारोली		3.00
22	चिकू	2.00	
23	पनीर		3.00
24	चरियां		3.00
25	मिर्च (सूखी/हरी)	1.00	
26	चायना घास	0.50	
27	चिवड़ा		3.00
28	चॉकलेट		3.00
29	सभी किस्म की चुनी	1.00	
30	हरा नारियल तथा छिलके सहित नारियल	2.00 (प्रति 100 नग)	
31	नारियल तेल (सुगन्धी/सुगन्ध रहित/साफ किया हुआ तथा अन्य साफ किए हुए खाने के तेल		0.50
32	काफी पाउडर तथा बीज		3.00
33	सभी किस्म के ठंडे पेय		3.00
34	सभी प्रकार की कनफेक्शनरी		2.00
35	धनिया		2.00
36	मक्के की बाल	2.00	
37	मक्के के आटे के कार्न फलेक्स	1.00	
38	बिनौला		2.00
39	दही		3.00
40	करी पाउडर		3.00
41	कस्टर्ड पाउडर		3.00
42	अनार	2.00	
43	ताजा खजूर तथा पेंड खजूर		2.00
44	सभी प्रकार के मेवे और उनकी चकतियां		3.00
45	दाल (द्रोण)		3.00
46	अंडा		2.00
47	एरंडी तेल (साफ तथा बिना साफ किया हुआ)		[illegible].00
48	खाद्यपदार्थों के लिए प्रयोग में आने वाले सभी प्रकार के एसन्स		3.00
49	सूखी मछलियां		3.00

1	2	3	4
50	ताजी मछलियां	2.00	
51	बर्फ में रखी गई मछलियां	2.00	
52	मछली खाद		3.00
53	सभी किस्म का आटा	1.00	
54	गाजर	2.00	
55	लहसुन		2.00
56	घी	10.00	
57	अबरक	5.00	
58	गलूकोज		3.00
59	सभी किस्म की घास/हरा चारा	0.50	
60	साफ तथा बिना साफ किया हुआ मूंगफली तेल		0.50
61	मूंगफली दाना (छिलके सहित तथा रहित)	1.00	
62	अमरूद	2.00	
63	हैम		3.00
64	हैम का बीज		3.00
65	शहद		3.00
66	घोड़े का दाना (अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है)	1.00	
67	बर्फ		3.00
68	आइसक्रीम		3.00
69	गुड़		3.00
70	सभी किस्म के रस		1.00
71	कड़वी	0.50	
72	काजू ताजा तथा सूखा		3.00
73	ककड़ी	2.00	
74	ककवी		1.00
75	करडी तेल (असुगंधित तथा बिना साफ किया हुआ तथा साफ किया हुआ)		0.50
76	खरबूजा	2.00	
77	खोबरा		2.00
78	खवा		2.00
79	किसमिस		2.00
80	सभी किस्म का लोहा	1.00	
81	डबल रोटी		2.00
82	अलसी तेल (सिवाय डब्बे)		3.00
83	मैकरोनी		3.00
84	मैथा	1.00	
85	मलाई		3.00
86	आम (कलमी/देसी/किरी/हरा)	2.00	
87	मनुका		2.00
88	उर्वरक (खाद)		4.00
89	गोश्त		2.00
90	मेथी बीज		2.00
91	दूध संघनित, गाय और बकरी का, नैस्प्रो/दुग्ध चूर्ण		2.90
92	मुरमुरा और सभी प्रकार के भुने अनाज	1.00	
93	मुरब्बा		3.00

1	2	3	4
94	सरसों तेल		1.00
95	सरसों		3.00
96	जई	2.00	
97	ग्रांगन तेल		1.00
98	देशी असुगंधित और बिना साफ किए तेल (सिवाय डाले अलसी तेल के)		1.00
99	सभी प्रकार के खल	1.00	
100	सभी किस्म का तिलहन (जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है)		2.00
101	सूखा प्याज	2.00	
102	सन्तरा	2.00	
103	पामखड़		3.00
104	सभी किस्म के पापड़		1.00
105	ताजा प्याज	2.00	
106	पत्रावली		3.00
107	नाशपाती (पीच)	2.00	
108	पिप्पर्स	2.00	
109	पिपर मिंट		3.00
110	फुटाणा	1.00	
111	सभी प्रकार के अचार		2.00
112	सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ (जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है)		2.00
113	आलू	2.00	
114	अननास	2.00	
115	पिश्ता दाना (छिलका सहित)		2.00
116	केले	2.00	
117	केला पत्ता और खाने या खाना खिलाने में प्रयुक्त		3.00
118	रामफल	2.00	
119	रवा	1.00	
120	सैकरीन		2.00
121	साबुदाना		2.00
122	सिताफल	2.00	
123	सोयाबीन (सभी किस्म का, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है)		2.00
124	चीनी, चीनी की कैन्डी, खण्डसारी चीनी		1.00
125	ईख (गन्ना)	1.00	
126	मीठा तेल (साफ किया हुआ/बिना साफ)		0.50
127	चरबी		3.00
128	इमली	1.00	
129	सभी किस्म की चाय, जिसमें चायचुरा पत्तीयां और चाय डंठल सम्मिलित हैं		3.00
130	सभी किस्म के टीन बंद खाद्य		3.00
131	टीन बंद मछली तथा गोश्त		3.00
132	टाफी		3.00
133	टमाटर	1.00	
134	सभी किस्म की वनस्पति घी	10.00	
135	सभी किस्म की वनस्पतियां (सब्जी)	1.00	
136	सिरका (व्हीनीगर)		3.00
137	जर्दालू		2.00

1	2	3	4
वर्ग 2 :	प्रकाश, धुलाई ताप और चिकनाने के लिए प्रयोग में आने वाले सामान		
1	फिटकरी		3.00
2	नौवहन स्पिरीट तथा सभी प्रकार के स्पिरीट		3.00
3	ब्लीचिंग पाउडर		3.00
4	बर्नेन और प्राकृतिक गैस तथा ताप और पकाने आदि के प्रयोग में आने वाले अन्य देशी गैसें		3.00
5	कैलशियम कार्बाइड		3.00
6	कार्बाइड लैम्प		3.00
7	चारकोल		3.00
8	कोयला, कोयला राख/चूर्ण		3.00
9	विद्युत चलित से भिन्न कुकर तथा प्रकाश, पकाने और ताप के लिए प्रयुक्त ऐसे ही सामान और उनके पुर्जे		3.00
10	अग्निशमक		3.00
11	ईंधन हेतु प्रयोग में आने वाली लकड़ी	1.00	
12	आतिशबाजी का सामान जिसमें रंगीन दियासलाई और पटाखे हैं		3.00
13	ग्रीस		3.00
14	सभी किस्म के गैस लैम्प		3.00
15	सिगड़ी (हिटर)		3.00
16	तापदिप्त लैम्प और उसके पुर्जे		3.00
17	केरोसिन तेल		0.50
18	लैम्प, लैम्प बेट, लालटेन		3.00
19	बीजों के तेलों से भिन्न चिकनाई तेल (ल्युब्रीकैटिंग आईल)		3.00
20	पेट्रोल		2.00
21	पेट्रोलियम जैली और अन्यत्र पेट्रोलियम उत्पादन (जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है)		3.00
22	सीलींग मोम, मोमबत्ती, मोम		3.00
23	साबुन के टुकड़े/सामान्य फ्लैक्स/औषधी साबुन/साबुन पाउडर/चूरा		3.00
24	सभी प्रकार के स्नान के साबुन (जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है)		3.00
25	मांडी, कलफ (स्टार्च)		3.00
26	स्टोव, प्रकाश और ताप में प्रयोग में आने वाले विद्युत चलित से भिन्न वैसे ही अन्य बिजली सामान और उनके पुर्जे		3.00
27	शिकाकाई		3.00
28	रीठा		3.00
29	सभी किस्म के वैसलीन		3.00
30	विम और कपड़े का सोडा		3.00
वर्ग 3 :	पहनने का सामान, भवन, निर्माण सामान, रंग रोगन आदि		
1	क्वायर से बने सामान		3.00
2	जूट से बने सामान/नारियल जटा से बना सामान		3.00
3	ताड़पत्र से बने सामान		3.00
4	एसबेस्टोज और उससे भिन्न सामान		3.00
5	एसबेस्टोज की चादरें		3.00
6	एसफाल्ट (डामर)		3.00
7	बांस की पट्टी और उससे बने सामान		3.00
8	सभी किस्म के बांस (बांबू)		3.00

1	2	3	4
9.	बैंगलोरी उनी कालीन		3.00
10.	साधारण लकड़ी की शहतीरें/महागनी और शीशम की लकड़ी/टीक की लकड़ी की शहतीरें		3.00
11.	बायलर कंपोजिशन		3.00
12.	खाली बोतलें		3.00
13.	पालिश करने के चक्के		3.00
14.	बिटूमेन (डामर)		3.00
15.	इमारती पत्थर (साधारण)		3.00
16.	झाड़ू/सिंकी तथा खजूर की पत्तियों से बने झाड़ू		3.00
17.	कुर्सियों, गद्दियों आदि के लिए बेंत/फाड़ा हुआ बेंत और उनसे बने सामान		3.00
18.	सिमेंट, सिमेंट के ब्लाक, पाइपें और टाईल और चादरें		3.00
19.	चीनी मिट्टी/चीनी पाईप तथा बर्तन		3.00
20.	कोल तार		3.00
21.	नारियल झाड़ू/ब्रश/रेशे/पत्तियां		3.00
22.	सभी किस्म की रंगीन मिट्टी/सूखे रंग/रंग की ट्यूबे		3.00
23.	चिथड़े (कपड़े)		2.00
24.	देशी ईंटें/टाईल (पकी हुई या बिना पकी हुई)		3.00
25.	रसोई बर्तन		3.00
26.	तराशा हुआ पत्थर इमारती काम तथा अन्य काम के लिए		3.00
27.	सभी प्रकार के डिस्टेम्पर		3.00
28.	मिट्टी के बर्तन तथा पाईप		3.00
29.	रेगमाली कपड़े/चूर्ण/पत्थर/चक्के		3.00
30.	एनामल पेन्ट तथा बर्तन		3.00
31.	रेशे तन्तु जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है		3.00
32.	तापसह मिट्टी/तापसह मिट्टी की ईंटें कठोर ईंटें आदि		3.00
33.	फ्रेन्च पालिश		3.00
34.	सभी किस्म का फर्नीचर और कैबिनेट का सामान		3.00
35.	कांच की चूड़ियां/चादरें तथा बर्तन		3.00
36.	टाट की बोरियां/कपड़ा		3.00
37.	हुक्क		3.00
38.	हैसियन वस्त्र		3.00
39.	जंगली लकड़ी की शहतीर		3.00
40.	तरल और ठोस लाम्बी		3.00
41.	चूना पत्थर		3.00
42.	मंगलोरी टाईल		3.00
43.	संगमरमर चूरा/पत्थर/पत्थर से बने सामान		3.00
44.	मैटल (सड़क बनाने का)		3.00
45.	दर्पण		3.00
46.	मुरम		3.00
47.	सभी किस्म के रंग तेल/रोगन जिसमें मोटर और रब्बड़ के रोगन भी है		3.00
48.	फिनाईल		3.00
49.	सभी प्रकार के प्लास्टर और उससे बने सामान/परीस प्लास्टर के बर्तन		3.00
50.	(प्लास्टीक खिलौने छोड़कर)		3.00
50.	प्लास्टीक खिलौने		3.00
51.	प्लाईवुड		3.00
52.	सभी किस्म की पालीश		3.00

1	2	3	4
53.	छाजन सामग्री		3.00
54.	रस्सियां और ऐसे तंतुओं के बने अन्य सामान जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है		3.00
55.	सुत की बनी रस्सियां		3.00
56.	रबल स्टोन		3.00
57.	बालू		3.00
58.	सेनिटरी वेयर		3.00
59.	सभी किस्म के शीशे के वैज्ञानिक उपकरण		3.00
60.	लोह और जस्ते का फर्नीचर		3.00
61.	पत्थर चुरा		3.00
62.	शाहबादी पत्थर		3.00
63.	टीक लकड़ी के कुंदे/शहतीर/स्लीपर		3.00
64.	सभी प्रकार का द्रावक/तारपीन/वार्निश और रोगन		3.00
65.	लकड़ी की खिड़कियां/पैनल/पल्ले/दरवाजे/हैंडल/बक्से/टब/फोटोफ्रेम/ पैकिंग बॉक्स/खूंटियां/फ्रेम सहित या फ्रेम रहित खिड़कियां		3.00
66.	तारस्टाल राउंड बार और सेक्शन		3.00
4 :	दवाईयां, रसायन, रंग, आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री आदि		
1.	अगरबत्ती		3.00
2.	अबीर		3.00
3.	सभी किस्म के तेजाब जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है		3.00
4.	एल्यूमिनियम चूर्ण		3.00
5.	अमोनिया क्लोराईड/ऑक्साईड/फॉस्फेट		3.00
6.	एरोमेटिक रसायनिक द्रव		3.00
7.	बड़ी इलायची		2.00
8.	बैनजाईन		3.00
9.	बोरैक्स		3.00
10.	कापुर		3.00
11.	कास्टीक सोडा		3.00
12.	रासायनिक खाद		3.00
13.	पोटैश का क्लोरेट		3.00
14.	दालचीनी		2.00
15.	लवंग		2.00
16.	सभी प्रकार की क्रीम (मलाई) दूध के अलावा		3.00
17.	कॉपर सल्फेट		3.00
18.	डी० डी० टी० का घोल/पावडर/रसायन		3.00
19.	आसवित जल		3.00
20.	सभी किस्म के रंजक/एसेन्स		3.00
21.	सोना		3.00
22.	सुठ		2.00
23.	सभी किस्म के ग्राईप वाटर		3.00
24.	सभी किस्म के गोंद		3.00

1	2	3	4
25	हींग		2.00
26	हल्दी		2.00
27	आयरन सल्फेट		3.00
28	ईसाब गोल		3.00
29	जयपत्री/जायफल		2.00
30	कत्था		3.00
31	करंजी तेल		1.00
32	लाख/लाख की चूड़ियां		3.00
33	लिपस्टीक/नेल पालीश		3.00
34	पैराफिन द्रव		3.00
35	सभी किस्म की औषधीय मदिराएं		3.00
36	सभी किस्म की औषधियां		3.00
37	पारा		4.00
38	मुश्क		4.00
39	मेथीलेट या डिनेचर स्पीरीट		3.00
40	पान मसाला		3.00
41	बाल हटाने के सभी किस्म के सुगन्धित पदार्थ/तेल/द्रव जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है		3.00
42	सभी प्रकार का कीमती पत्थर		3.00
43	राल		2.00
44	केशर		3.00
45	सिंदूर		3.00
46	चंदन तेल		3.00
47	चंदन की लकड़ी वस्तुएं/कतरनें/चूरा		3.00
48	शहाजिरा		2.00
49	सेविंग क्रीम/सोप/स्टीक		3.00
50	शिलारस और शिलाजीत		3.00
51	चांदी तथा चांदी के गहने और बर्तन		3.00
52	सभी किस्म के टाल्कम पाउडर		3.00
53	सभी किस्म के प्रसाधनिक सुगंधित उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है		3.00
54	टुथपेस्ट/दंतमंजन		3.00
55	सभी किस्म की कृत्रिम नील		3.00
56	खसखस (वाला)		2.00
वर्ग 5 : तम्बाकू के सामान और मदिराएं			
1.	भारत में न निर्मित सभी प्रकार की मदिराएं		3.00
2.	बीअर		3.00
3.	बीड़ी पत्ते		3.00
4.	बीड़ी तम्बाकू		3.00
5.	सभी किस्म की सिगारें/सिगरेटें		4.00
6.	देशी बीड़ियां		3.00
7.	देशी जर्दा		3.00
8.	शराब		3.00

1	2	3	4
9.	सिगरेटों का खुला तम्बाकू/सभी किस्मों का पाईप तम्बाकू		4.00
10.	सुगंधित चबाने का तम्बाकू		4.00
11.	सभी किस्म का सुगंधित जर्दा		4.00
12.	सभी किस्म की सुंघनी		3.00
13.	मदिराएं जो भारत में निर्मित न हों		3.00
वर्ग 6 : पशु और पक्षी			प्रत्येक
1.	भैंसें		3.00
2.	ऊंट		10.00
3.	गायें		3.00
4.	गधे		3.00
5.	बतखें		0.50
6.	हाथी		10.00
7.	मुर्गियां		0.50
			प्रत्येक
8.	बकरे/बकरी		1.00
9.	घोड़े		3.00
10.	सुग्रर और ऐसे ग्रन्य उत्पाद जो ग्रन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है		3.00
11.	भेड़		1.00
वर्ग 7 : पृथक् पृथक् माल और बिना सिले कपड़े, वस्त्र, चर्म और रबर, गटापार्चा, प्लास्टीक और होजिग्ररी सामान, सैलोलाईड रे बने सामान और स्टेशनरी			
1.	लेखा मशीनें		
2.	पशुओं के बाल जिसमें रबर लोम भी है		
3.	ग्रार्ट लेदर		3.00
4.	सैल्युलाईड शीटें, और बने सामान		
5.	गटापार्चा, ग्रभ्रक और लिनिलियम तथा प्लास्टीक के बने सामान		
6.	सभी किस्म के चमड़े से बने सामान		
7.	कृत्रिम रेशमी कपड़े		2.00
8.	कैनवास या निवाड़ के बने पालनें		
9.	कागज के थैले		
10.	मंजिका		
11.	सभी किस्म के बूट पालिशें		3.00
12.	बांईडिंग क्लाथ		
13.	रबड़ या चमड़े के जूते		3.00
14.	चमकाने वाली चीजें		
15.	ब्रोमो कागज		
16.	सभी किस्म के ब्रुश		3.00
17.	बटन्स		
18.	कैनवास के बूट		
19.	कैनवास बैल्ट		
20.	कैनवास के बने सामान		
21.	सभी प्रकार की टोपियां ग्रौर उनका माल		2.00
22.	कैनवास की चपलें		3.00
23.	सभी किस्म मिल का बना कपड़ा जिसमें धोतियां ग्रौर साड़ियां भी हैं		2.00

1	2	3	4
24.	सैल्युलाईड शीटें, गटापार्चा, अभ्रक शीटें, लिनोलियम और प्लास्टिक का बना कपड़ा		2.00
25.	रद्दी रूई के कालीन		
26.	सैल्युलाईड की वस्तुएं		
27.	सैल्युलाईड शीटें		
28.	कैनवास की चाक स्टीक		3.00
29.	क्रोम चर्म और उनके बने सामान		
30.	सभी किस्म के कंघे		
31.	कार्क, कार्क की शीटें		
32.	सूती कपड़े के कालीन और गद्दे		
33.	उच्च दर्जा का सूती धागा		
34.	हाथ से कते हुए से भिन्न सूती धागा		
35.	देशी कालीन		
36.	सूती सिल्क ऊन या ऊनी कपड़ों के टुकड़ों के टुकड़े या चिथड़े		
37.	सूती माल (हाथ करघा या हाथ से बुनी खादी को छोड़कर)		
38.	सूती कतरन (कॉटन वेस्ट)		2.00
39.	मैदानी और अंतरंग खलकहों में प्रयोग के लिए वस्त्र और उपस्कर तथा अन्यत्र निर्दिष्टी के सिवाय सभी खेलों के लिए नैट और गट		
40.	पुराने टायरों के कटे हुए टुकड़े जो वहन टायरों के रूप में या जूते, या चप्पलों के सोल के रूप में प्रयोग योग्य हो		3.00
41.	बार बैल, बार, केरम बोर्ड, क्रिकेट मैट, आयरन डम्बल, पैरलल रस्सीबार, फिसलने की सीढ़ियां, सीसर रस्सी, खेलने का खेल कुदकी स्क्रीन, सीसल की डोरियां, लोहे की झोनाल और खेल कूद के ऐसे ही भारी सामान जिसमें सभी प्रकार के अंतरंग खेलों के सामान भी है		3.00
42.	खाली ड्रम		3.00
43.	डुप्लीकेटर्स		3.00
44.	दरियां		2.00
45.	सभी किस्म की कशीदाकारी		2.00
46.	मिट्टी के बने देशी खिलौने		3.00
47.	सभी प्रकार का फैन्सी माल		3.00
48.	बालों में लगाने की बैल्ट तथा पीन्स		3.00
49.	हार्ड बोर्ड		3.00
50.	टोपी या फैल्ट टोपी (सूती, सिल्क या ऊनी)		2.00
51.	होल्डाल और थैले (सिवाय उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है)		2.00
52.	होस पाईप		3.00
53.	सभी प्रकार का हाथ का कता और हाथ का बुना कपड़ा)		2.00
54.	मानवीय बाल जिसमें रोम भी सम्मिलित है ।		3.00
55.	सभी किस्म का बना हुआ माल (होजियरी)		2.00
56.	हाथी दांत, हाथी दांत के सामान		3.00
57.	चमड़े के बूट या जूते/चप्पलें/सभी प्रकार के चमड़े का माल		3.00

1	2	3	4
58.	कपड़ों और वस्त्रों के विनिर्मित सामान		2.00
59.	संगमरमर		3.00
60.	सेना का रद्द किया हुआ सामान और कपड़े जैसे कि—बूट, कैनवास, छोलदारी, कॉटन, दरियां, ग्राउंड शीट, चमड़े की स्क्रैप, घुड़सवारी सामान, चादरें, तारपोलीन, तंबू, गरम कंबल और ऐसे ही रद्द किए हुए सैनिक उपस्कर जो अच्छी दशा में न हो यदि उनके साथ सैनिक नीलामी या विक्रय का प्रमाण पत्र हो		3.00
61.	पैकिंग कागज/सभी किस्म का कागज		3.00
62.	दैनिक समाचार पत्रों और सरकारी प्रकाशनों तथा स्कूल और कॉलेज की पुस्तकों के सिवाय सभी पाक्षिक पत्र		3.00
63.	कच्चा रबड़/रेक्सीन कपड़ा		3.00
64.	सिल्क, सिल्की कपड़ा, सिल्की धागा, सिल्की फीता आदि जिसके अन्तर्गत सिल्की शाल भी है		2.00
65.	सभी प्रकार की स्टेशनरी		2.00
66.	टैक्सटाईल फैब्रीक		2.00
67.	सभी किस्म के खिलौने सिवाय उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है		3.00
68.	टाइपराइटर और उनके पुर्जे		3.00
69.	छतरियां		2.00
70.	ऊनी धागा/कपड़ा और ऊनी कपड़े से बने सामान		2.00
71.	सभी प्रकार की गाड़ियां (आयात या निर्यात होने वाली)		2.00
वर्ग 8 :	धातुएं तथा धातु से पूर्ण—रूपेण या भागतः बने सामान और मशीनें		
1.	आयरन, लोहे की छड़ें और गोलो बीम, फलैट, गैल्वनाईज्ड लोहा, इनगोट, लोहे की पट्टीयां और धातु मल, स्टील मैंठल की चादरें और टी आयरन सिवाय उसके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है		3.00
2.	लोहे की कतरनें (स्क्रैप)		3.00
3.	गैल्वनाईज्ड लोहे, या स्टील के सभी सामान जैसे की सभी मशीनों के पुर्जे, बकेट चैनल, लोहे के बर्तन, कड़ाही टब, साधारण देशी तराजू, पाइपें, तिजोरियां, स्प्रिंग, सूटकेस टैंक, टीन कन्टेनर, ट्रंक टब तथा सभी वाहनों के पहिये (सिवाय उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है), धुरा, चैसिस, लोहे की भारी जंजीरें, तार या तार की रस्सियां, हार्डवेयर जैसे की बटा हुआ तार, बोल्ट रेतियां, हथौड़े, कब्जे, नट पाईप, खम्बे, रिवेट, आरी, पेच, और तार वायर जालियां, रिंच आदि (सिवाय केस लोहे के सामान के तथा उसके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है)		3.00
4.	अन्य धातुओं जैसे अष्ट धातु, पीतल, कांसा, तांबा, जर्मन, सिल्वर, गन मेटल, रांगा, जस्ता आदि को छड़ें इनगोटें गोले और चादरें जिसके अंतर्गत पुराने अनुपयोगी बर्तन भी है (सिवाय लोहे के बर्तनों, चांदी, लोहे से भिन्न भिन्न मिश्रित धातुओं के टुकड़े और कतरनें सिवाय उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है तथा नई प्रकार की है, केस अंत्यरत और उसके बने सामान)		3.00
5.	सीसा पुराने पाईप और जस्ता		3.00
6.	कच्चे लोहे या पुराने लोहे की सभी माल जिसमें अनेक बर्तन भी है और पाईप तथा बाट (सिवाय उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है)		3.00
7.	एल्युमिनियम और उसके बर्तन जिसमें तार भी है		3.00
8.	अष्टधातु पेटल, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर और गिल्ट के बने सामान या बर्तन जिसमें मुरादाबादी बर्तन भी है, टयुबें और बाट (जो अन्यत्र विनिर्दिष्ठ नहीं है) गैर विद्युतीय पीतल और तांबे की तारें		3.00
9.	मिश्रित धातुओं के बने सभी ऐसे सामान के कटोरे, आईसक्रीम के कप, पावडर कैसेटी सेट आदि (सिवाय एल्युमिनियम, सोने चांदी के) जिसमें कटलरी ई० पी० एस० ई० पी० एन० एस० के सामान भी है, स्टील के बर्तन और पीतल, जर्मन—सिल्वर, गिल्ट अथवा किसी अन्य मिश्रित धातु (सिवाय सोने और चांदी के) बने स्टेनलेस आभूषण		3.00

1	2	3	4
10.	सभी किस्म के बेयरिंग		3.00
11.	सभी किस्म की मशीनें (जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं)		3.00
12.	आईसक्रीम फ्रीजर और उनके पुर्जे जिसके अंतर्गत आईस बॉक्स (गैर विद्युतीय) भी है		3.00
13.	सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे		3.00
14.	वाहन :		
	(अ) सभी किस्म की स्वयंचालित साईकिलें, लम्ब्रेटा, मोटर साईकिलें, रिक्शा और उसके पुर्जे ।		
	(ब) मोटर गाड़ियों, मोटर ट्रकों, या वैसे ही वाहनों के सभी पुर्जे और अन्य सामान सिवाय धुरा, चेसिस, रबड़ सोलुशन, स्प्रिंग्स, ट्युब, टायर और पहियों के ।		
	(क) साईकिलें, साईकिल–रिक्शा, ट्राई–साईकिल और उनके पुर्जे		3.00
	(ड) बैलगाड़ियां, इक्का गाड़ी, ठेला, तांगे, विक्टोरिया		
	(इ) हाथ–गाड़ी		
	(फ) मोटर गाड़ियां, लारियां, यूनिट के रुप में अथवा बिना असेम्बल किए हुए आयातित ट्रक जो पूरे यूनिट के रूप में तैयार किए जा सके और उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ।		
	(ग) बैलगाड़ियां, ठेलों, तांगों के स्पेअर पुर्जे पहिए और अन्य सामान सिवाय धुरे और चैनलों के		
	(ह) सभी अन्य वाहनों के स्पेअर पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ।		
15.	सभी किस्म के संयंत्र, उपस्कर, और औजार जो फोटोग्राफी से संबंधित हों, (सिवाय रासायनिक जिनमें सिनेमा शो ग्राफी की मशीनें और उनके पुर्जे भी है)		3.00
16.	सभी किस्म के तेल में कच्चा तेल, डीजल तेल, फरनेस तेल लुब्रिकेटिंग तेल, सभी प्रकार के खनिज तेल, मोटर तेल और अन्य पावर तेल, स्पिंडल तेल, सफेद तेल और अन्य तेल जो इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।		2.00
17.	सभी किस्म के वैज्ञानिक संयंत्र, दंत साजी, और शल्य चिकित्सा के औजार, उपस्कर मशीन और उनके सामान, ऑप्टीकल (सिवाय शीशे की टयूबें और जारों के तथा उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है) जिनके अंतर्गत थर्मामीटर भी है		3.00
18.	सभी संगीत के बाजे, और उनके पुर्जे (सिवाय विद्युत बाजों के) और उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है		3.00
19.	सिनेमा कार्बन		3.00
20.	सिनेमा ग्राफ और उसके अन्य सामान		3.00
21.	सिनेमा फोटोग्राफी की एक्सपोज की हुई फिल्में	प्रति हजार मीटर	30.00
22.	सिनेमा फोटोग्राफी प्रदर्शन के लिए एक्सपोज की गई फिल्में	प्रति हजार मीटर	30.00
23.	दिवार घड़ी और घड़ियां (साधारण या विद्युत घड़ियों के शीशे और उनके अन्य सामान जिसमें फिल्में आदि भी है)		3.00
24.	ग्रामोफोन, उनके पुर्जे, पिन और रिकार्ड		3.00
25.	सभी किस्म के हार्डवेअर के टूल और औजार जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है		3.00
26.	मिश्रित धातुएं और उनके बने सामान, अन्टीमोनी ब्लाक्स और टाईप, के लिए धातुएं, हेत धायएं आदि		3.00
27.	फोटोग्राफी का सामान और रसायन तथा फोटोग्राफी		3.00
28.	सोने और चांदी के सामान और खिलौने (सिवाय अलंकार जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है)		3.00
वर्ग 9 :	बिजली के काम आने वाला बिजली का माल और सामान		
1.	सभी किस्म की बैटरियां और उनके भाग तथा सेल		3.00
2.	लकड़ी की केस और केस जिसमें ब्लाक और गुल्ली, क्लीट, कंडक्ट पाइपें, काऊन्टर वेट, मिट्टी और पोर्सलीन के इन्सुलेटर, राड, स्विवेल, पैड, क्लम्पस्, और इसी प्रकार के अन्य लाईन लगाने के सामान तथा एनाड, कैथाड, इलैक्ट्राड और आयरन		3.00
3.	सूखे सेल, सिवाय टार्चों और बैटरियों के		3.00

1	2	3	4
4.	बिजली के बल्ब, फलोरेसेंट ट्यूब लाईटें, मर्करी लम्प, ट्यूबें, वेपर लाईटें और उसके अन्य सामान		3.00
5.	बिजली की वायु प्रशीतन मशीनें, लिफ्ट की केज, रेफ्रीजरेटर, टेलीफोन या टेलीवीजन, एक्स-रे मशीनें या वैसे ही मशीनें और उनके पुर्जे तथा अन्य सामान		3.00
6.	विद्युत परिवर्तक, विद्युत मोटरें, जनरेटरें और ट्रान्सफार्मर		3 00
7.	रेडिओ और रेडिओग्राम, अम्पलीफायर, लाऊड स्पीकर और अन्य ध्वनि संबंधी मशीनें, औजार और उपस्कर जैसे की, टेपरिकार्डर, बिजली के ग्रामोफोन आदि और उनके पुर्जे तथा अन्य सामान (जिसके अंतर्गत बैटरियां तथा अन्यत्र विनिर्दिष्ट चीजें सम्मलित नहीं है)		3.00
8.	सभी किस्म के बिजली के माल जैसे कि, एडाप्टर, एरेस्टर, बैलटे, ब्रेकेट, केबल इन्सुलेट, सिए हुए अथवा अन्य प्रकार के कार्बन कैंडलियर, रसोई के सामान, कन्ट्रोल गीअर, कनवर्टर, कटआऊट, क्वील, विद्युत तापकारी उपस्कर, बिजली के लोहे, विद्युत सोल्डर, बिजली के टुल, पंखे, फलैश लाईट, लाईटींग कंडक्टर, माप के लिए उपयुक्त उपस्कर, प्रैस, पाम पेपर, पुश, रिफलैक्टर शेड सांकेट, स्टार्टर, टेबल लैम्प, टाईम स्वीच, टार्च, तार की जाली, तार रक्षक आदि, जोड़ने का सामान, एम्पायर क्लाथ, टेप, सोल्डर करने के पेस्ट आदि, जिसमें उनके पुर्जे, सिवाय उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट हो, होल्डर इंडिकेटर आदि सामान।		3.00
वर्ग 10 : विविध माल			
	सभी अन्य सामान जिसे अन्यत्र जोड़ा नहीं गया है और जिसे किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत प्रभारीतन हेतु नही जोड़ सकते		3.00

चुंगी छुट

1. साधारण नमक
2. आवश्यक, निजी यात्रियों के सामान देवलाली छावनी सीमा में आने के उपयोग में लाए गए तथा खुद के लिए इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर तथा अन्य सामान ।
3. सिरपर वहन किए जाने वाला कडबा, घास, स्ट्रा और भूसा।
4. सिरपर वहन किए जाने वाला लकड़ी का बोझ, उपली को बोटा, उपलर का बोझ।
5. सिरपर वहन किए हुआ ताजा फल और तरकारियां।
6. निजी उपयोग में आने वाले सोने के अलंकार, विदेशी मुद्रा, नोटस, चांदी के गहने तथा जवाहर।
7. समाचार पत्र, सरकारी प्रकाशन, सरकार मान्य स्कूली किताबें।
8. हाथों से कताई किया गया कपड़ा, दोर तथा हाथों से बुना कपड़ा।
9. हाथों सें बुना हुआ धागा।
10. रेड क्रास सोसाईटी का सामान।
11. सरकारी कापियां, जो छात्रों के लिए हो (सरकार मान्य)
12. छावनी सीमा में आयातित सेना के हथियार और गोला बारूद।
13. सक्षम अधिकारी, जिसे विभाग प्रमुख ने उत्तरदायी अधिकारी के रूप में मान्यता दी हो या सरकारी अधिकारी, ऐसे अफसर से हस्ताक्षर युक्त इस आशय के विहीत प्रमाण-पत्र के साथ सामान तथा वस्तुएं जो सरकारी है और उसकी आयात निजी उपयोग के लिए या बिक्री के लिए न होती।
    टिप्पणी : ठेकेदारों/पूर्तिकर्ताओं के सामानों के लिए यह छुट नहीं है ।
14. अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकार प्राप्त सक्षम अधिकारी ने छावनी की सीमाओं से निर्यात प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त तीन महीने के पूर्व लाया गया सामान तथा वस्तुएं।
15. कन्टीन स्टोअर्स विभाग (सी० एस० डी०) का सामान
16. रक्षा दल का राशन सामान

टिप्पणी : यह अधिसूचना इस संबंध में इससे पूर्व प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या 1980 (अ) दिनांक 7 जून, 1925 तथा का० नि० आ० 646/ए०डी०एम०/इ० 1 दिनांक 15-11-1980 को रद्द बदल करती है।

एन० श्रीनिवास रेड्डी
अधिशासी अधिकारी
देवलाली छावनी

RESERVE BANK OF INDIA

INDUSTRIAL AND EXPORT CREDIT DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

Mumbai-400001, the 6th September 1996

No. IECD-14/08-15-01/96-97.—Whereas, having considered it necessary for the development of the Government securities market, a system for enlistment of Primary Dealers had been introduced by the Reserve Bank of India, vide its circular, No. CPC-BC-136/07-01-279/93-94 dated May 14, 1994, with the objectives of (a) strengthening the infrastructure in the Government securities market to make it vibrant, liquid and broad-based, (b) ensuring development of underwriting and market making capabilities for Government securities outside the Reserve Bank of India, (c) improving secondary market trading system, which in turn would contribute to price discovery, enhance liquidity and encourage voluntary holding of Government securities amongst a wider investor-base, and (d) making Primary Dealers an effective conduit for conducting open market operations. And whereas, the "Guidelines for Primary Dealers in the Government Securities Market" dated March 29, 1995, as amended from time to time, prescribes the eligibility conditions obligations, capital adequacy standards, procedure for authorisation, regulations and other norms for Primary Dealers, so as to regulate their activities within the said objectives.

And whereas, having regard to the objectives to be pursued by the Primary Dealers, it is considered desirable to allow them to raise finance by issue of commercial paper.

Now, therefore, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby, in exercise of the powers conferred by Sections 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and all the powers enabling it in this behalf, gives the directions hereinafter specified.

Part I : Preliminary

1. Short Title and Commencement of the Directions

These Directions shall be known as the "Primary Dealers (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions, 1996". These shall come into force with effect from September 6, 1996, and by reference in these Directions to the date of commencement thereof shall be deemed to be a reference to that date.

Part II : Extent of the Directions

2. Applicability of the Directions to Commercial Paper

These Directions shall apply to every Primary Dealer, which raises deposits by issue of commercial paper.

3. Definitions

In these Directions, unless the context otherwise requires—

(a) "Primary Dealer" means a financial institution which holds a valid letter of authorisation as a Primary Dealer issued by the Reserve Bank, in terms of the "Guidelines for Primary Dealers in Government Securities Market" dated March 29, 1995, as amended from time to time;

(b) Words and expressions used but not defined herein and defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), shall have the same meaning as assigned to them in that Act. Any other words or expressions not defined herein or in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), shall have the meaning as assigned to them in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

4. Eligibility for issuance of Commercial Paper

A Primary Dealer, which satisfies the following requirement, shall be eligible to issue commercial paper subject to the terms and condiitons contained in these Directions:

The Primary Dealer obtains the specified minimum credit rating for issuance of commercial paper from a credit rating agency, ratings awarded by which have been approved by the Reserve Bank of India for the purpose of issue of commercial paper. The Primary Dealer shall ensure that at the time of issue of commercial paper, the rating obtained is current and not more than two months old. The minimum specified credit rating shall be P—2 awarded by the Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL), or A-2 awarded by the Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA), or PR-2 awarded by the Credit Analysis and Research Limited (CARE), or Ind D—2 awarded by the Duff & Phelps Credit Rating India Pvt. Ltd. (DCR INDIA), or as may be specified from time to time by the Reserve Bank of India for this purpose.

5. Minimum and Maximum Period of Commercial Paper

(a) The commercial paper shall be issued for maturities between three months and less than one year from the date of issue.

(b) There shall no grace period for payment of commercial paper. If the maturity date happens to be a holiday, the Primary Dealer shall liable to make payment on the immediate preceding working day.

(c) Every issue of commercial paper (including renewal) shall be treated as a fresh issue.

Explanation

Whereas a result of compliance with the requirements stated in paragraph 6(b) below, the usance of commercial paper falls short of thre months, it shall be deemed to be a commercial paper for not less than three months for the purpose of these Directions.

6. Denomination and Minimum Size of Commercial Paper

(a) The commercial paper may be issued in multiples of Rs. 5 lakh but the amount to be invested by any single investor shall not be less than Rs. 25 lakh (face value) provided that the secondary market transactions may be for amounts of Rs. 5 lakh or multiples thereof.

(b) The total amount of commercial paper proposed to be issued shall be raised within a period of two weeks from the date of approval by the Reserve Bank of India, as provided herein, and may be issued on a single day or in parts on different dates provided that in the latter case, such commercial paper shall have the same maturity date.

7. Ceiling on amount of issue of Commercial Paper

The aggregate amount to be raised through issue of commercial paper by a Primary Dealer shall not exceed the amount fixed by the Reserve Bank of India for the issue.

8. Mode of issue and Discount Rate

The commercial paper shall be in the form of usance promissory note negotiable by endorsemnt and delivery as per the Form specified in Schedule I hereto and be issued at such discount to face value as may be determined by the Primary Dealer issuing the commercial paper.

9. Issue Expenses

A Primary Dealer issuing commercial paper shall bear the expenses of the issue including dealer's fee, rating agency fee, etc.

10. Investors in Commercial Paper and Endorsement

(a) Commercial paper may be issued to any person including individuals, banks, companies and other corporate bodies registered or incorporated in India and unincorporated bodies:

Provided that no commercial paper shall be issued to a non-resident Indian (NRI) except on non-repatriation basis and except subject to the conditions that it shall not be transferable.

(b) The conditions regarding non-repatriability and non-endorsability shall be indicated on the commercial paper issued to NRI.

Explanation

The expression "Non-Resident Indian" shall have the same meaning assigned to it in the Notification No. FERA. 85/89-RB dated October 9, 1989, issued by the Reserve Bank of India under Section 9 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

11. Procedure for Issue of Commercial Paper

(a) Every Primary Dealer proposing to issue commercial paper shall submit a proposal to the Reserve Bank of India giving details in the Form annexed hereto as Schedule II, as modified from time to time by the Reserve Bank of India.

(b) On receipt of the proposal referred to in sub-paragraph (a) for issue of commercial paper, Reserve Bank of India, on being satisfied that the eligibility criteria and the terms and conditions stipulated herein for issue of commercial paper are complied with, shall fix the amount to be raised through commercial paper by a Primary Dealer, and shall communicate it to the Primary Dealer.

(c) Every Primary Dealer shall thereafter make arrangements for privately placing the issue and ensure that the proposed issue of commercial paper is complete within a period of two weeks from the date of receipt of communication from the Reserve Bank.

(d) The initial investor in commercial paper shall pay the discounted value of the commercial paper by means of a crossed account payee cheque to the account of the issuing Primary Dealer.

(e) Every Primary Dealer issuing commercial paper shall advise the Reserve Bank of India Industrial and Export Credit Department, Central Office, Mumbai) the amount of commercial paper actually issued, within three days from the date of completion of issue.

12. Prohibition against underwriting or co-acceptance of issue of Commercial Paper

No Primary Dealer shall have the issue of commercial paper underwritten or co-accepted in any manner whatsoever.

13. Payment of Commercial Paper

On maturity of commercial paper, the holder of a commercial paper shall present the instrument for payment to the issuing Primary Dealer.

14. Additional Documentation

Every Primary Dealer issuing commercial paper shall execute such additional documents and take such precautions as may be required from time to time.

15. Nothing contained in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, and Non-Banking Companies (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions, 1989, shall apply to any Primary Dealer in so far as it relates to acceptance of deposit by issue of commercial paper, in accordance with these Directions.

V. SUBRAHMANYAM
Executive Director
September 6, 1996

SCHEDULE I

NEGOTIABLE COMMERCIAL PAPER

NAME OF THE ISSUING PRIMARY DEALER

Stamp Duty to be affixed in force in the State in which it is to be issued

SERIAL NO.

Issued at ——— (Place) ——— Date of Issue ——— Date of Maturity ——— without days of grace. (If such date happens to fall on a holiday, Payment shall be made on the immediate preceding working day).

For value received ——— (Name of the Issuing Primary Dealer) ——— (hereby promises to Pay ——— (Name of the Investor) ——— or order on the maturity date as specified above the sum of Rs. ——— (in words) ——— upon presentation and surrender of this Commercial Paper at ———. (Name of the Issuing and Paying Agent)

FOR and on behalf of

(Name of the Issuing Primary Dealer)

Authorised Signatory

Authorised Signatory

ALL ENDORSEMENTS UPON THIS COMMERCIAL PAPER MUST BE CLEAR AND DISTINCT

EACH ENDORSEMENT SHOULD BE WRITTEN WITHIN THE SPACE ALLOTTED.

1. Pay to ——— or Order the amount within named

(Name of Transferee)

For and on behalf of ———

(Name of the Transferor)

1. "
2. "
3. "
4. "
5. "
6. "
7. "
8. "

SCHEDULE II

CONFIDENTIAL

Proforma of proposal to be submitted by the issuing Primary Dealer for issue of commercial paper

To

The Chief General Manager
Reserve Bank of India
Industrial and Export Credit Department
Central Office
Mumbai-400001.

Dear Sir,

Commercial Paper—Programme of Issue

In terms of the Directions issued by the Reserve Bank of India, Vide Notification No. IECD.14/08-15-01/96-97 dated September 6, 1996, as amended from time to time, we propose to issue commercial paper as per details furnished hereunder:

(1) Name of the Issuer:

(2) Registered Office and Address:

(3) Business Activity:

(4) (a) Amount of commercial paper proposed to be issued (Face value):

(b) Tenor (Period of issue):

(5) Rating obtained from the credit rating agency approved by the Reserve Bank of India (A copy of the rating certificate should be enclosed):

For and on behalf of
(Name of Issuing Primary Dealer)
Authorised Signatory

Mumbai, the 4th November 1996

No. IECD-15/08.15.01/96-97.—In Exercise of the powers conferred by Section 45K of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that "Non-Banking Companies (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions, 1989" (as amended) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely :—

1. In paragraph 4, for sub-paragraph (ii) the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"Working Capital (Fund-based) limit of the company is not less than Rupees Four Crore".

2. For paragraph 7 the following paragraph shall be substituted, namely :—

"The aggregate amount to be raised by issuance of Commercial Paper shall not exceed the Working Capital (fund-based) limit sanctioned by bank/banks to the issuer company".

3. In the explanation to paragraph 10, after the words "Notification No. FERA 85/89 RB dated October 9, 1989", the words, "as amended from time to time", shall be inserted.

4. In paragraph 11, for sub-paragraph (v), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"The Working Capital (fund-based) limit of every company issuing the Commercial Paper shall be correspondingly reduced by the financing banking company, once the Commercial Paper is issued and the financing banking company shall make necessary adjustments in the account of such company respectively with the banking company/the other member banking companies. As the Commercial Paper will be carved out of the working capital (fund-based) limits of such company with the concerned banking companies, by issuance of Commercial Paper there shall be no increase in its overall short-term borrowing facilities".

V. SUBRAHMANYAM
Executive Director

DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES

CENTRAL OFFICE

Calcutta-700001, the 24th July 1996

DFC(COC) No. 86 ED.(JRP)/96.—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, hereby, in exercise of the powers conferred by Section 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the said Directions contained in Notification No. DNBC 38/DG(H)-77 dated the 20th June 1977 shall, with immediate effect, be amended as follows, namely,—

1. In paragraph 3, —

(a) in sub-paragraph (iii), after the words, "Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd.,"

and before the words

"or any other financial institution"

the following words shall be inserted,—

"Asian Development Bank, or International Finance Corporation".

(b) sub-paragraph (ix) shall be substituted by the following, namely,—

"(ix) any money raised by issue of debentures or bonds with pre-determined terms of conversion without any option given, either to the issuer or the holder, for conversion of the said debentures or bonds into equity share capital";

2. In paragraph 4, sub paragraph (1A)

the words and figure "10A(b)" shall be substituted by the words and figure "10A(1)(b)".

3. Paragraph 5 shall be substituted by the following,—

5. *Acceptance of deposits by non-banking financial companies*

(1) Period of deposits :

On and from July 25, 1996,
no non-banking financial company shall accept or renew any deposit whether accepted before or after July 25, 1996,

(i) which is repayable on demand or on notice; or

(ii) unless such deposit is repayable after a period of twelve months but not later than sixty months from the date of acceptance or renewal of such deposit;

Provided that nothing contained in this clause shall apply to monies raised by the issue of debentures or bonds.

Provided further that a non-banking financial company may accept or renew any deposit which is repayable within a period not exceeding twelve months if,

(i) such deposit is received from any other company not being a company incorporated outside India; and

(ii) such deposit, in aggregate, shall not exceed in the case of an equipment leasing company or hire purchase finance company or loan company or investment company,

(a) twice its net owned fund if such company is registered, and

(b) equal to its net owned fund if such company is not registered.

(2) Restrictions on acceptance or renewal of deposits in excess of ceilings as stipulated and regularisation of deposits accepted earlier and held in excess of the ceilings.

(A) Equipment Leasing Companies and Hire Purchase Finance Companies

On and from July 25, 1996,

(i) an equipment leasing company or a hire purchase finance company shall be eligible to receive or renew deposit, the aggregate amount of which, together with the amounts already received and outstanding in the books of the company at the commencement of business on July 25, 1996 and the amounts, if any, held by it, which are referred to in clauses (ii), (iii) & (ix) of paragraph 3 of the Directions, does not exceed five times its net owned fund;

Provided that the deposits accepted from any other company, not being a company incorporated outside India, for a period not exceeding twelve months, shall not exceed, in aggregate, the net owned fund of the company.

Provided, however, that,

(a) an equipment leasing company or a hire purchase finance company which is registered, shall be eligible to accept deposit, the aggregate amount of which together with the amounts already received and outstanding in the books of the company at the commencement of business on July 25 1996 and the amounts, if any, held by it, which are referred to in clauses (ii), (iii) and (ix) of paragraph 3 of the Directions, does not exceed seven times its net owned fund;

(b) an equipment leasing company or a hire purchase finance company which is registered and receives the certificate from the Reserve Bank that it complies with the credit rating requirement as specified in paragraph 5A of the Directions or the prudential norms, shall be eligible to receive or renew deposit, the aggregate amount of which together with the amounts already received and outstanding in the books of the company at the commencement of business on July 25, 1996 and the amounts if any, held by it, which are referred to in clauses (ii), (iii) and (ix) of paragraph 3 of the Directions, does not exceed ten times its net owned fund;

(c) an equipment leasing company or a hire purchase finance company, which is registered and receives the certificate from the Reserve Bank that it complies with the credit rating requirement as specified in paragraph 5A of the Directions and also the prudential norms, shall be eligible to accept any amount of deposit;

Provided further that in the case of any equipment leasing company or a hire purchase finance company which is registered, the deposits received for a period not exceeding twelve months from any other company not being a company incorporated outside India, shall not exceed, in aggregate, twice the net owned fund of such company.

(ii) When an equipment leasing company or a hire purchase finance company ceases to be registered or ceases to comply with the credit rating requirement as specified in paragraph 5A of the Directions, or the prudential norms or both, as the case may be, it shall,

(a) within fifteen days of its so ceasing or ceasing to comply, inform the Regional Office of the Department Supervision of the Reserve Bank, under whose jurisdiction the registered office of the company is situated as specified in the Second Schedule hereto, in writing, giving all particulars in such form as may be specified from time to time;

(b) With immediate effect, stop accepting any fresh deposit or renew existing deposits, if it is a company falling within the purview of clause (a) or (b), as the case may be, of the second proviso to sub paragraph (2)(A)(i) and has already reached the maximum of the permissible limit available to it or if it is a company falling within the purview of clause (c) of the second proviso to sub-paragraph (b)(A)(i); and

(c) reduce the amount of excess deposits, depending on whether it was eligible to accept deposits under clause (a) or (b) or (c) as the case may be of the second proviso to sub-paragraph (2)(A)( ), to the appropriate level of the deposits which it would be eligible to accept thereafter, within a period of six months or such further period as may be extended by the Reserve Bank.
extended by the Reserve Bank.

(iii) Where an equipment leasing company or a hire purchase finance company ceases to be eligible to accept any fresh deposit or renew existing deposits under clause (ii)(b), the certificate issued by the Bank to the company under clause (b) or (c) of the second proviso to sub-paragraph (2)(A)(i) shall become inoperative and the company shall, forthwith, surrender the same to the Reserve Bank for cancellation.

(iv) Where an equipment leasing company or a hire purchase finance company holds, at the commencement of business on July 25, 1996 deposits in excess of the appropriate limit as applicable to it and specified in sub-paragraph (2)(A)(i) or in clauses (a) or (b) of second proviso to sub-paragraph (2)(A)(i), as the case may be, such company shall reduce such excess deposits by January 25, 1997 by repayment or otherwise.

(B) Loan Companies and Investment Companies

On and from July 25, 1996,

(i) a non-banking financial company other than an equipment leasing company or a hire purchase finance company shall be eligible to receive or renew,—

(a) deposit from a shareholder or any deposit guaranteed by any person who, at the time of giving of such guarantee, was or is a director of the company, if the aggregate amount of such deposit, together with the amount of such other deposits of the kinds referred to in this sub-clause and outstanding in the books of the company as on the date of acceptance or renewal of such deposits, does not exceed fifteen per cent of its net owned fund;

(b) any other deposit, if the aggregate amount of such deposit, together with the amount of such other deposits, not being deposits of the kind referred to in sub-clause (a) of this clause received and outstanding in the books of the company as on the date of acceptance or renewal of such deposits, does not exceed twenty five percent of its net owned fund; and

(c) deposit for a period not exceeding twelve months from any other company, not being a company incorporated outside India the aggregate amount of which does not exceed its net owned fund.

(ii) a loan company or an investment company, which is registered, shall be eligible to, in addition to the deposits as specified in sub-clause (a) and (b) of clause (i) above, receive or renew deposit, for a period not exceeding twelve months from any other company, not being a company incorporated outside India, the aggregate amount of which does not exceed twice its net owned fund.

(iii) a loan company or an investment company, which is registered and receives the certificate from the Reserve Bank that it complies with the credit rating requirement as specified in paragraph 5A of the Directions or the prudential norms, shall be eligible to receive or renew,—

(a) deposit from a shareholder or any deposit guaranteed by any person who, at the time of giving of such guarantee, was or is a director of the company if the amount of any such deposit together with the amount of such other deposits of all or any of the kinds referred to in this sub-clause, and

(b) any other deposit, if the aggregate amount of such deposits, together with the amount of such other deposits, not being deposits of the kind referred to in sub-clause (a) of this clause, and outstanding in the books of the company as on the date of acceptance or renewal of such deposits shall not, together, exceed its net owned fund; and

(c) deposits for a period not exceeding twelve months, from any other company not being a company incorporated outside India, the aggregate amount of which does not exceed twice its net owned fund.

(iv) a loan company or an investment company, which is registered and receives the certificate from the Reserve Bank that it complies with the credit rating requirement as specified in paragraph 5A of the Directions and also the prudential norms, shall be eligible to receive or renew,—

(a) deposit from a shareholder or any deposit guaranteed by any person who, at the time of giving of such guarantee, was or is a director of the company if the amount of any such deposit together with the amount of such other deposits of all or any of the kinds referred to in this sub-clause, and

(b) any other deposit, if the aggregate amount of such deposit, together with the amount of such other deposits, not being deposits of the kind referred to in sub-clause (a) of this clause, and outstanding in the books of the company as on the date of acceptance or renewal of such deposits, shall not, together, exceed twice its net owned fund; and

(c) deposits for a period not exceeding twelve months, from any other company not being a company incorporated outside India the aggregate amount of which does not exceed twice its net owned fund.

(v) When a loan company or an investment company ceases to be registered or ceases to comply with the credit rating requirement as specified in paragraph 5A of the Directions or the prudential norms or both, as the case may be, it shall,—

(a) within fifteen days of its so ceasing or ceasing to comply, inform the Regional Office of the Department of Supervision of the Reserve Bank, under whose jurisdiction the registered office of the company is situated as specified in the Second Schedule hereto, in writing, giving all the particulars in such form as may be specified from time to time;

(b) with immediate effect stop accepting any fresh deposits or renew existing deposits, if it is a company falling within the purview of clause (ii) or clause (iii) as the case may be, and has already reached the maximum of the permissible limit available to it or if it is a company falling within the purview of clause (iv) of this sub-paragraph, and

(c) reduce the amount of excess deposits, depending on whether it was eligible to accept deposits under sub-clause (ii) or (iii) or (iv) as the case may be to the appropriate levels of the deposits it would be eligible to accept thereafter, within a period of six months or such further period as may be extended by the Reserve Bank.

(vi) Where a loan company or an investment company ceases to be eligible to accept any fresh deposit or renew existing deposits under clause (v) of this sub-paragraph, the certificate issued by the Bank to the company under clause (ii) or (iv) of this sub-paragraph shall become inoperative and the company shall, forthwith, surrender the same to the Reserve Bank for cancellation.

(vii) Where a loan company or an investment company holds, at the commencement of business on July 25, 1996 deposits in excess of the appropriate limit as applicable to it and specified in clause (i) or clause (ii) or clause (iii), as the case may be, such company shall reduce such excess deposits by January 25, 1997 by repayment or otherwise.

Explanations :

1. For the purpose of this paragraph and paragraphs 5A, 12 and 14, 'registered' shall mean registered with the Reserve Bank as required by its circular DFC (COC) No. 828.174.92-93 dated April 12, 1993.

2. For the purpose of this paragraph, 'prudential norms' shall mean the prudential norms for income recognition, accounting standards, provisioning for bad and doubtful debts, capital adequacy and concentration of credit/investments as specified by the Reserve Bank by its circular DFC(COC) No. 1707.174.93-94 dated June 13, 1994 and as amended from time to time.

3. For the purpose of this paragraph "net owned fund" shall mean the aggregate of the paid up capital and free reserves as appearing in the latest audited balance sheet of the company as reduced by the amount of accumulated balance of loss, deferred revenue expenditure and other intangible assets, if any, as disclosed in the said balance sheet.

4. In paragraph 10A,

the existing provision shall be renumbered as sub-paragraph (1) and a new sub-paragraph (2) shall be inserted after the renumbered sub-paragraph (1) as follows, namely—

"(2) Notwithstanding anything contained in clause (a) of sub-paragraph (1) of this paragraph, a non-banking financial company which is registered may, with effect from the date it receives the certificate from the Reserve Bank that it complies with the credit rating requirement as specified in paragraph 5A of the Directions and also the prudential norms, invite or accept or renew deposits at a rate determined by itself and also may pay brokerage to a broker for deposit which shall not be more than what is specified in clause (b) of sub-paragraph (1) of this paragraph."

"Provided that when such a company ceases to be registered or ceases to comply with the credit rating requirement or the prudential norms or both, as the case may be, it shall, with immediate effect, stop inviting or accepting or renewing deposits except at the rate of interest as specified in clause (a) of sub-paragraph (1) of this paragraph".

5. In paragraph 12, in clause (iii), in sub-clause (A) the following further proviso shall be inserted, namely—

"Provided, however, that a non-banking financial company (a) which is registered and receives the certificate from the Reserve Bank that it complies with the credit rating requirement as specified in paragraph 5A of the Directions and also the prudential norms, shall with effect from the date of the receipt of such certificate, maintain, in India, as mentioned in sub-paragraph (A) above, a sum which shall not, at the close of business on any day, be less than twelve and one half per cent of the deposits outstanding in the books of the company on that day, of which the investments in Central/State Government securities and/or Government guaranteed bonds shall not at the close of business on any day, be less than ten per cent of the deposits outstanding ; and

(b) when such a company ceases to be registered or ceases to comply with the credit rating requirement or the prudential norms or both, as the case may be, it shall, with immediate effect, start maintaining, as mentioned in sub-paragraph (A) above, a sum which shall not, at the close of business on any day, be less than fifteen per cent of the deposits outstanding in the books of the company on that day.

6. In paragraph 15, and in First Schedule :

the words "Department of Financial Companies", wherever appear, shall be substituted by the following, namely,—

"Department of Supervision".

J. R. PRABHU
Executive Director

DFC(COC) No. 87.ED.(JRP) /96.—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, hereby, in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the said Directions contained in Notification No. DNBC. 39/DG(H)-77 dated 20th June 1977 shall, with immediate effect, be amended as follows, namely—

1. In paragraph 4,—

(a) in sub-paragraph (iv), after the words.

"Gujarat Industrial and Investment Corporation Ltd."

and before the words,

"or any other financial institution"

the following words shall be inserted,—

"Asian Development Bank, or International Finance Corporation",

(b) sub-paragraph (viii) shall be substituted by the following, namely,—

"(viii) any money raised by issue of debentures or bonds with predetermined terms of conversion without any option given, either to the issuer or the holder for conversion of the said debentures or bonds into equity share capital."

2. In paragraph 12 and in First Schedule the words 'Department of Financial Companies"

wherever appear shall be substituted by the following, namely,—

"Department of Supervision".

J. R. PRABHU
Executive Director

DFC(COC) No. 88.ED(JRP)/96.—The Reserve Bank of India having considered it necessary in the public interest and on being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987 hereby, in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, directs that the said Directions contained in Notification No. DFC 55/DG(O)-87 dated May 15, 1987, shall, with immediate effect, be amended as follows, namely,—

1. In paragraph 6, in sub-paragraph (1) and also in sub-paragraph (3) the words and figures "30th June and 31st December" shall be substituted by the following, namely,—

"31st March and 30th September"

2. In paragraph 15, Schedule A and Schedule C, the words

"Department of Financial Companies", wherever appear, shall be substituted by the following, namely,—

"Department of Supervision".

J. R. PRABHU
Executive Director

BANK OF INDIA

INDUSTRIAL LAW DIVISION

HEAD OFFICE

Mumbai-400 021, the 14th December 1996

No. IL : 96-97.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend further the Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(i) These Regulations may be called Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 1996.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Regulation 4 of the Bank of India Officer Employees (Discipline & Appeal) Regulations 1976 (hereinafter called as Principal Regulations) under the heading "Minor Penalties" after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

(a) "(e) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension."

(b) Under the heading "Major Penatlies" the clauses (e), (f), (g) and (h) shall be re-numbered as clause (g), (h), (i) and (j).

(c) Before the re-numbered clause (g), the following shall be inserted namely :—

"(f) save as provided for in (e) above reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay".

(d) For the re-numbered clause (g) the following may be substituted namely :—

"(g) reduction to a lower grade or post".

3. In sub-regulation (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations, for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4 the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4" may be substituted.

4. In sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations for the words, brackets and figures "clauses (a) to (d) of Regulation 4", the words, brackets and figures "clauses (a) to (e) of regulation 4" may be substituted.

5. In the first proviso to sub-regulation (ii) of regulation 17 of Principal Regulations, for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4", may be substituted.

6. In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regulations for the words, brackets and figures "clauses (e), (f), (g) or (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4" may be substituted.

NOTE : Earlier amendments to Bank of India Officer Employees (Discipline and Appeal) Regulations were published in Part III—Section 4 of the Gazette of India as per details given below :

Sl. No, Notification No. and Date

1. 43—22-10-1988.

K. M. MEHROTRA
General Manager.

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE

LEGAL DEPARTMENT

Calcutta-700 001, the 14th December 1996

No. HO/Legal/0938.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-Section 2 of Section 12 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank, in consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

Short title and commencement

(1) This Regulation may be called Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1986.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

3. In the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979, for first proviso to sub-Regulation (1) of Regulation 19, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in sub-regulation (2) retire, if it is of the opinion that it is in the public interest, an officer employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as an officer employee or otherwise, whichever is earlier."

R. L. BATTA
Chief Manager (Law).

Previous Notifications regarding amendment to Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 published in Part-III, Section IV of the Gazette of India on the following dates :—

(1) 12-9-1987
(2) 31-10-1987
(3) 21-11-1987
(4) 28-11-1987
(5) 12-12-1987
(6) 29-10-1988
(7) 21-7-1990
(8) 28-7-1990
(9 19-9-1992
(10) 17-8-1998
(11) 9-10-1993
(12) 9-4-1994
(13) 18-2-1995
(14) 25-02-1995
(15) 15-07-1995

UCO BANK

HEAD OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

Calcutta-700 001, the 7th November 1996

No. OSR/1/96.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act), 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of UCO Bank proposes to make in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called UCO Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1996.

(2) Save as otherwise expressely provided in these Regulations, these Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank (Officers) Service Regulations, 1979, (hereinafter refrred to as principal Regulations). for Regulation 4, the following may be substituted, namely :

4 (1) On and from 1-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :
Scale VII Rs. 6400-150-7000/-
Scale VI Rs. 5950-150-6550/-

(b) Senior Management Grade :
Scale V Rs. 5350-150-5950/-
Scale IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350/-

(c) Middle Management Grade :
Scale III Rs. 4020-120-4260-130-4910/-
Scale II Rs. 3060-120-4260-130-4390/-

(d) Junior Management Grade :
Scale I Rs. 2100-120-4020/-

4(2) On and from 1-7-1993, the scales of pay specified against each grade shall be revised as under :

(a) Top Executive Grade :
Scale VII Rs. 12650-300-13250-350-13600-400-14000/-
Scale VI Rs. 11450-300-12650/-

(b) Senior Management Grade :
Scale V Rs. 10450-250-11450/-
Scale IV Rs. 8970-230-9200-250-10450/-

(c) Middle Management Grade :
Scale III Rs. 8050-230-9200-250-9700/-
Scale II Rs. 6210-230-8740/-

(d) Junior Management Grade :
Scale I Rs. 4250-230-4940-350-5290-230-8050/-

4(3) Nothing in sub-regulations (1) and (2) shall be construed as reuiring the Bank to have at all time, Officers serving in all these grades.

3. In principal Regulations, for Regulation 5, the following may be substituted, namely :—

5 (1) Subject to the provisions of Regulation 4(2), on and from 1-11-1992, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments pecified in the scales or pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 230/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 250/- for officers in the last stage of Scale III..

Provided that on and from 1-11-1994 officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Asociate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date..

Explanation I :

In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

Explanation II :

(a) On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional

Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB	(i) Rs. 100/- p.m. after one year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both Parts of CAIIB	(i) Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs. 250/- p.m. after two years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

(b) On and from 1-11-1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB	(i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed both parts of CAIIB	(i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
	(ii) Rs. 300/- p.m. after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of Regulation 5(3) (b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

Note :

(i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

(ii) On and from 1-11-1994 revised Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.

3(a) All officers who are in the bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November, 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

Note :

There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service :

Increment Component	DA as on 1-11-1993	Total F.P.A. payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

Note : (i) F.P.A. as indicated in (C) above shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.

(ii) F.P.A. for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A) + (B) + House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulation 4 is earned.

(iii) Professional Qualification Allowance, if any, payable in the year of receipt of F.P.A. shall stand shifted to next year.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

(c) An officer who has earned this advance increment shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as mentioned in (b) above, one year after reaching the maximum of the scale.

4. In principal Regulations, for Regulation 21, the following may be substituted, namely :—

21(1) On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500/- to Rs 4000/- plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus,

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260/-.

21(2) On and from 1-7-1993, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(a) 0.35% of 'pay' upto Rs. 4800/- plus,

(b) 0.29% of 'pay' above Rs. 4800/- to Rs. 7700/- plus,

(c) 0.17% of 'pay' above Rs. 7700/- to Rs. 8200/- plus,

(d) 0.09% of 'pay' above Rs. 8200/-.

Note : (i) 'Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for dearness allowance with effect from 1-11-1994.

5. In principal Regulations, for sub-regulation (1) and (2) of Regulation 22, the following may be substituted, namely

22(1) Where an officer is provided with residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and modation by the bank, on and from 1-11-1994, a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

22(2) Where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from 1-11-1992 for House Rent Allowance at the following rates :—

Column-I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	13% of the pay p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10 1/2% of the pay p.m.
(iv) Area III	9 1/2% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be 1 rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above whichever is lower.

Note : (i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments in terms of revised pay scales as on 1-7-1993.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for House Rent Allowance with effect from 1-11-1994.

6. In principal Regulations, for sub-regulation (i) of Regulation 23, the following may be substituted, namely :—

23(i) On and from 1-11-1993, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable.

Places	Rates
1	2
(a) Places in Area I and in the State of Goa.	4 1/2% of basic pay subject to a maximum of Rs. 335/- per month.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Cabitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3 1/2% of basic pay subject to a maximum of Rs. 230/- per month.

7. In principal Regulations, for Regulation 24, the following may be substituted, namely :—

24(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :—

(a) Medical Expenses

On and from 1-11-1994 reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :—

Table

Grade	Reimbursement limit p.a.
1	2
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 1500/-
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 2000/-

Note : (i) An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) For the year 1994 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e. November and December, 1994.

Explanation :

'Family' of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 1-11-1994, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital, i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1-11-1994, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 100% in case of an officer and 75% in the case of his family members :—

Cancer, Leukaemia, Thalsamea, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Leprosy, Kidney Ailment, Epilepsy, Parkinson's Disease, Psychiatric Disorder and Diabetes

Note : The cost of medicines etc. in respect of domiciliary treatment shall be reimbursed for the period stated in the Specialist's prescription. If no period is stated, the prescription for the purpose of reimbursement shall be valid for a period not exceeding 90 days.

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in sub-Regulation (1) above and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered from medical benefits (including hospitalisation, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the Bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation, etc.).

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.

8. In principal Regulations, for Regulation 25, the following may be substituted, namely :—

25. No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the bank. It shall, however, be open to the bank to provide residential accommodation on payment by the officer on and from 1-11-1994 a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less.

Provided that a further sum equal to 1% of basic pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the bank from an officer if furniture is provided at such residence.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

9. In principal Regulations, for sub-regulation (4) of Regulation 41, the following may be substituted, namely :—

41(4) On and from 1-6-1995 an officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof :

Grades/Scales of Officers	Daily Allowance (Rupees) Major 'A' Class Cities	Area I	Others Places
1	2		
Officers in Scale VI and above	250.00	200.00	175.00
Officers in Scale I/II/III .	200.00	175.00	150.00

Provided that

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :—

Boarding Charges (Rupees)

Grades/Scales of officers	Eligibility to stay	Major 'A' Class Cities	Area I	Other Places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4 *Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale IV & V	3 *Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale II & III	2 *Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150 00
Scale II	1 *Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00

(c) The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed in proviso (b) above in accordance with the guidelines of the Government.

(d) Where lodging is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where boarding is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.

(f) Where lodging and boarding are provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible. Where, however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.

(g) A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

10. In principal Regulations, for sub-regulation 2(i) of Regualtion 42, the following may be substituted, namely :—

42. (2) (i) On and from 1-7-1993 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4250/- p.m. to Rs. 6210/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 6211/- p.m. and above	Full Wagon	2000 kgs.

11. In principal Regulations, for Regulation 45, the following may be substituted, namely :—

45. Provident Fund and Pension

(1) Every officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the Bank, unless he is already a member of that Fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.

(2) The Provident Fund rules framed shall provide that on and from 1-11-1993—

(a) in case of an officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the bank.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(b) in case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the officer and a matching contribution by the bank shall be made at the rate of 10% of pay.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(3) Officers joining the bank's service on or after 29-9-1995 shall be governed by the Pension Scheme.

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme:

(a) an officer who was in service of the bank prior to 29-9-1995, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to bank's notice to that effect.

(b) an officer who is recruited on or after 29-9-1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

Note: 'Pay' for the purpose of Provident Fund shall mean basic pay including Stagnation Increments, Officiating Allowance, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personal Allowance.

12. In principal Regulations, for Regulation 46, the following may be substituted, namely :—

46. Gratuity :

(1) Every officer, shall be eligible for gratuity on :—

(a) retirement.

(b) death.

(c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank;

(d) resignation after completing ten years of continuous service; or

(e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

(2) The amount of gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay. Provident that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an officer who ceased to be in service during the period 1-7-1993 to 31-10-1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.

Note:

If the fraction of service beyond completed years of service is 6 months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

Foot Note:

The amendments carried out earlier in the above Regulations were gazetted vide Notification No. PER: TP: PCR: 1041: 91 dated 7-3-1991.

C. MAHADEVAN
General Manager
(Personnel)

EMPLOYEES, PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110066, The 7th January, 1997

No. CPFC(4)1DL(1372)/96/1.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the Provisions of the Employees' provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952). should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1,	DL/17053	M/s. Seema Fashions F-17, Udyog Nagar, Piragarhi, Delhi-110041.	1-6-95
2,	DL/16969	M/s. Deepak Enterprises. 170, R.P.S. Colony, OPP. Khanpur Depot, New Delhi-62.	1-4-94
3,	DL/16920	M/s. Rave Scans. A-27, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110028.	1-5-95
4,	DL/16929	M/s. S.R. Traders 23, Community Centre, Mayapuri Phase-I, New Delhi-110064.	1-4-95
5,	DL/16755	M/s. National Museum Institute of History of Art Conservation and Museology, C/o, National Museum. Janpath, New Delhi-110011,	1-4-92
6,	DL/16885	M/s. Interdecor. E-271, Naraina Vihar, New Delhi-110028.	1-4-95
7,	DL/16888	M/s. Tiexim Corporation C-53, Himalya House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.	1-4-95
8,	DL/9760	M/s, Indo Gulf Explosives Ltd., B-2/13, Afrika Avenue. Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.	1-11-88

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act. I., R.S. Kaushik, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)/KN(1385)/96/12—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the Provisions of the Employees, Provident Funds & Miscellaneous provisions Act. 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	KN/BN/18325	M/s, Royal Security Services & Private Investigators. 109. Rathnam Complex. 8th Main. 18th Cross Malleswaram, Bangalore-560 055.	1-11-1994
2.	KN/BN/18139	M/s. Shyam Chand Apparels 570, 4th 'E' Main. IInd Stage. 11th Cross. West of Chord Road, Bangalore-560 086.	31-10-1994
3.	KN/18878	M/s, Zed Detective Agency (p) Ltd., No. 112/2, 17th Main Road, 5th Block. K.H.B. Colony. Koramangala. Bangalore-560 095.	1-12-1994
4.	KN/BN/18376	M/s. Kaviraj Appliances Pvt, Ltd., Plot No. 245, 3rd phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-560 058.	1-2-1995
5.	KN/BN/18621	M/s. Sri Rama Enterprises. Door No. 122, Dasanapura, Dasanapura Post. Bangalore, North Taluk, Bangalore Distt.	1-10-1993
6.	KN/BN/18829	M/s. Sri Rama Nursing Home. No. 34 & 35, Sanjeevappa Lane, Cubbonpet. Bangalore-560 002.	1-6-1995
7.	KN/BN/18839	M/s. Rashme Enterprises, No. 47, 2nd Cross, Hegganahalli. Main Road, Peenya 2nd Stage, Bangalore-58.	1-7-1995
8.	KN/BN/18775	M/s. Balaji Engineering Co., Site No. 2A (Back Side), Bismilla Nagar, Tavarekere, Bannerghatt Road, Cross, Bangalore-560 029.	31-5-1995
9.	KN/BN/18885	M/s. Mascot Laboratory Services, 93, 3rd Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-560 058.	1-1-1995
10,	KN/BN/18748	M/s. Rego & Sons, 8/4, H.M.T. Main Road, Mathikere, Bangalore-560 054.	31-10-1994

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act. I, R.S. Kaushik, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)/PN(1392)/96/25—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following estabilshments have agreed that the provisions of the Employees, Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishment namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	PN/17276	M/s, Perfect Transmission Pvt. Ltd. D-23, Sports & Surgical Goods Complex, Kapurthala Road, Jalandhar City-144 002. (Punjab).	1-4-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act., I, R. S, KAUSHIK Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of thesaid Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of the said establishment.

R.S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)/KN(13994)/96/29—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees, Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1,	KN/BN/18886	M/s. Sushma Industries, No. 18-E, IInd Phase, Peenya Industrial Area, Peenya, Bangalore-560 058,	31-8-1995
2,	KN/BN/18749	M/s. L.V.B. Bakery, No, 274/4, New Guddadahalli, Mysore Road, Bangalore-560 026.	1-7-1995
3,	KN/BN/18820	M/s. Chaithanya Enterprises No. 1/A, 4th Main Road, Ramachandrapuram, Bangalore-560 021.	30-6-1995
4,	KN/BN/18863	M/s. Mookambika Metal Craft, 1941/1999, Sunkadakatte. Magadi Road, Bangalore-560 091.	30-6-1995
5,	KN/BN/18723	M/s, Bripranil Synthetic Industries (P) Ltd, 13-49/4, Sunkadakadde, Magadi Road, Bangalore-560 091.	31-12-1994
6.	KN/BN/18729	M/s, Airstream Systems Pvt. Ltd., Post Box No. 7962, No. 16, NHCS Layout, Cauverynagar, Vijaynagar North, Bangalore-560 079.	31-5-1995
7.	KN/BN/18735	M/s. Viskaan Associates, No. 180/E, 4th 'A' Main, 3rd Cross, 3rd Block, 3rd Stage, Basaveswara Nagar, Bangalore-560 079.	30-4-1995
8.	KN/BN/18561	M/s. Nethaji Security Services, No. 28, 7th Cross, Shakti Ganapathy Nagar, Basaveshwaranagar, Bangalore-560 079.	31-3-1995

1	2	3	4
9.	KN/BN/18641	M/s. Ravi Cleaning Management, Service No. 672/3, Maruthi Building, Near Govt. School, T. Dasarahalli, Bangalore-560 057.	1-2-1995
10.	KN/BN/18794	M/s. Premier Power Systems, No. 8/1, 1 'B, Cross, Sudhamanagar, Lalbagh Road, Cross, Bangalore-560 027.	1-4-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, 1, R.S. KAUSHIK Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments..

R.S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)DL(1398/9 6/42—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees/ Provident Funds & Miscellaneous Provisions, Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	DL/17337	M/s. Dibakar Nayak, Labour Contractor, C/o NBCC City Centre, Phase-II, Sansad Marg, New Delhi-110001.	18-2-1995
2.	DL/17336	M/s. Profic Organic Ltd., 54-A/A-10, Kalkaji Extension, New Delhi-110019.	1-5-1995
3.	DL/17324	M/s. Shruti Sharma, 10, Feroze Gandhi Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110 024.	1-10-1995
4.	DL/17305	M/s. Jai Jawan Security Pvt. Ltd., WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110 046.	1-6-1995
5.	DL/17309	M/s. D.S.P. Technology & Trade Ltd., 705-707, Arunachal Bhawan, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001.	1-10-1995
6.	DL/17470	M/s. Human Reproduction Research,Centre Indian Council of Medical Research, Deptt. of Obstetrics & Gynaecology, Safdarjung Hospital, New Delhi-110 029.	1-4-1995
7.	DL/17471	M/s. J.L. Sarna Exports, A-11-A, Green Park, New Delhi-110 016.	1-1-1996
8.	DL/17450	M/s. S.N.S. House Keeping & Consultancy Services, 66-B, GGI, MG Flats, Vikashpuri, New Delhi-110 018.	1-12-1995

1	2	3	4
9.	DL/17304	M/s. Maintwell Services, 47/3, Indra Park Extn., Uttam Nagar, New Delhi.	1-4-1995
10.	DL/17398	M/s. Air Force Canteen, Air Force Station, Race Course, New Delhi-110 003.	1-6-1995
11.	DL/17278	M/s Security-Cum-Investigation Agency, A-74/1, S.F.S. Marg, No. 3, Near Anupam Cinema, Saket, New Delhi-110 017.	1-6-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, R.S. Kaushik, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

Dated the 17 th January, 1997

No. C.P.F.C. 1(4)/DL(1399)/96/53 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1.	DL/17298	M/s. Kishor Chandra, Electrical Engineer & Contractor, B-65, Gali No. 3, West Vinod Nagar, Near Mayur Vihar Phase-II, New Delhi-110 092.	01-09-1995
2.	DL/17301	M/s. Commando Security Services, 3243, Sector-D, Pocket-3, Vasant Kunj, New Delhi-110 070.	01-04-1995
3.	DL/17348	M/s. Kohli & Sons, 2, Club Road, Civil Lines, Delhi-110 054	01-11-1995
4.	DL/16040	M/s. Sabic Marketing India (Pvt.) Ltd., C-5, Qutab Hotel, New Delhi-110 016.	01-04-1994
5.	DL/17292	M/s. Archana Airways Ltd., 41-A, Friends Colony East, Mathura Road, New Delhi-110 065	01-05-1995
6.	DL/17280	M/s. Anil Mandal & Co., H. No. 339, Ward No. 4, Mehrauli, New Delhi-110 030.	01-09-1995
7.	DL/17353	M/s. Marubeni Corporation Project Office, C/o Asia Brown Boveri Ltd., Som Dutt Chamber-I, 5- Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.	01-08-1995
8.	DL/17248	M/s. Fine Food Products, Khasra No. 70, Ranhola Village, New Delhi-110 041.	01-06-1995
9.	DL/17300	M/s. Gulati Builders & Publishers Pvt. Ltd., Gulati Mansion Bldg, No. 10, Block No. 4, Asif Ali Road, New Delhi-110 001.	01-04-1995

Now, therefore, in excercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, R.S. Kaushik,) Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.S. KAUSHIK
Central Privdent Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1 (4)/KN (1402)/96/ 65—Whereas it apperas to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1.	KN/12944	M/s. ADLABS KODAK EXPRESS, Plaza Towers Opp. K.M.C., Hampankatta, Mangalore-575 001	01-01-1995
2.	KN/BN/15411	M/s. Textiles Co-Operative Bank Ltd., Devanga Market, Jammu Masjid Road, Bangalore-560 002	01-01-1993
3.	KN/BN/18314	M/s. Trac Airconditioners Pvt. Ltd., No. 3 & 5, Connaught Road, Bangalore-560 052	01-12-1994
4.	KN/BN/18697	M/s. Sathyavathi Labour Contractor, Virgonagar Old Madras Road, Bangalore-560 049	01-06-1995
5.	KN/BN/18789	M/s. Nandi Hills Hotels & Resorts Ltd., Jansons Building, 75-76, Commercial Street, Bangalore-560 001	01-06-1995
6.	KN/BN/18831	M/s. San Soaps and Detergents 52/2B, Godavari Estate, Near Budigere Cross, off Old Madras Road, Bangalore-560 049	01-06-1995
7.	KN/16258	M/s. Manipal Hotels Ltd., Manipal Centre, 47, Dickenson Road, Bangalore-560 042	01-03-1993

Now, therefore, in excercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, R.S. Kaushik, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.S. KHUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 9th December 1996

No. UT/DBDM/RAZ/SPD-77/96-97.—The provisions of the Grandmaster Unit Scheme 1993 formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the meeting held on 16th March, 1993 and amended in the Executive Committee meetings held on 19th April, 1993, 16th June 1993, 22nd December 1993, 31st January 1994 and 26th June 1996 are published herebelow.

A. G. JOSHI,
General Manager,
Business Development & Marketing

GRANDMASTER UNIT SCHEME-1993

The unit scheme, Grandmaster Unit Scheme 1993, has been formulated under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), by the Board of Trustees of UTI.

HIGHLIGHTS

* Open ended growth scheme.
* Open to both resident and non resident adult individuals/minors/HUFs/Trusts/Partnership Firm/Societies/Bodies Corporate (including companies registered under the Companies Act, 1956/Overseas Corporate Bodies (OCBs)/FIIs.
* Repurchase at NAV based price.

Liquidity by way of listing on major stock exchanges

Risk Factors

* Investments in units of the Scheme are subject to market risks and the NAV of the Scheme may go up or down depending on the influence of market forces on the scheme's portfolio.
* Performance of the previous Schemes/Plans of the Trust is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the Scheme will be achieved.
* Grandmaster Unit Scheme-1993 is only the name of the Scheme and does not in any manner indicate the quality of the Scheme. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Scheme.

The detailed features of the scheme are as given below :

I. *Short Title and commencement* :

This scheme shall be called the Grandmaster Unit Scheme-1993 and shall come into force on [1][29th April, 1993.]

II. *Definitions* :

In this Scheme unless the context otherwise requires—

(a) The 'Act' means the Unit Trust of India Act, 1963.

(b) 'Applicant' means a person having application for the units under the scheme.

(c) 'Application' means the form of application prescribed for offer of units for all applicants and containing the terms and conditions for the purpose of unit subscription to the scheme for the investing public.

(d) 'Allotment' means allotment of units against a valid application in a manner determined by the Trust for the purpose.

[1][da 'Date of acceptance' or acceptance date with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or purchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same.]

1. Inserted on 19-04-93.

(e) 'Issue' means the total number of units offered and issued under the scheme for subscription under relevant application form as stated in (c) above.

(f) 'Listed' means the listing of units for the purpose of trading in a recognised Stock Exchange which is or for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(g) 'Grandmaster' means Units as hereafter defined and the share or units in the capital of 'Grandmaster Unit Scheme' or 'Grandmaster' as hereinafter defined.

(h) 'Grandmaster Unit Scheme' or 'Grandmaster' means units issued under Grandmaster Unit Scheme-1993.

[1](ha) 'Non Resident Indian (NRI)', means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grand parents, however, high in degree or ascent, whether of paternal side or material side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.]

(i) 'Number of units in issue' means the aggregate of the number of units sold and outstanding [2][ ].

(j) 'Offer of Units' means the full offer for sale of units made by the Trust under offer documents to investors to constitute the capital under the Scheme.

[3][ja) "Overseas Corporate Bodies (OCBs)" include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.]

(k) 'Person holding units or unitholder' means a person who holds units for the time being.

(l) 'Registrars' means a person appointed to act as the Registrar from time to time under the scheme.

(m) 'Regulations' means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(ma) [1]["SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, (15 of 1992).]

(n) 'Trading' means the dealing in by buying or selling units through any of the Stock Exchange after the first allotment of units.

(o) 'Unit' means one individual share of the face value of Rupees Ten.

(p) 'Unit Capital' means the aggregate of the face value of units issued and allotted under the Scheme.

(q) Words not defined in this Scheme shall have the meanings assigned to them under the Act.

(r) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

III. *Principal objective* :

This Scheme is made with a view to providing an opportunity for common investors to participate and share the growth of the corporate securities market. Long term capital appreciation would be the major goal of the scheme and the emphasis will therefore be on sharing of growth through rights and bonuses rather than through distribution of income by way of dividends.

1. Inserted on 26-06-96.

2. "after the issue is closed" deleted on 26-06-96.

IV. CATEGORIES OF INVESTORS

Application for units may be made by the following classes of persons :—

1. Resident Indian, being adult individuals either singly or jointly upto three individuals on joint basis.

2. [1][Non-Residents- [2][individuals, HUF and OCBs-] on both repatriable and non-repatriable basis [3][ ]. Non-Residents can invest on repatriable basis when remittance is in foreign currency either from FCNR A/c./NRE A/c. or directly.]

3. MINOR

On behalf of MINOR, father, mother or the lawful guardian shall be eligible to make the investment.

4. A Body Corporate shal mean and include the Company registered under the Companies Act, 1956, and Societies registered under the Societies Registration Act, 1860 or established under State or Central Law for the time being in force. Such Society being hereinafter referred to as "the Society".

5. Eligible Trust shall have the meaning assigned to it under clause (aaa) of Regulation 2.

6. Society shall mean and include societies as specified in the definition of a Body Corporate as above.

7. Partnership Firm :

A partnership firm shall have the meaning respectively assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 but the expression partner shall also include any person who being a minor has been admitted to the benefits of partnership firm.

8. Hindu Undivided Family.

[4][9. Foreign Institutional Investors (FIIs) registered with SEBI.

V. LIMITATION ON EXPENSES :

The following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average weekly Net Asset Value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :]

1. Substituted for "Non-Resident Indians on non-repatriatable basis on the same terms as above" on 19-04-1993.
2. Inserted on 26-06-96.
3. "and on the same terms as above" deleted on 26-06-96.
4. Inserted on 26-06-96.

[1][Expenses	%
Administrative Expenses	1.00
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.10
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Miscellaneous	0.80
Total	3.00

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However, the total expenses would be within the limit of 3% of the weekly average net asset value during any accounting year, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average NAV of the Scheme during the accounting year.

The fees, expenses and accounting policies will be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.]

[2][VI]. SALE OF UNITS :

(a) Units under this Scheme are offered to and open for subscription [3][to both residents and non-residents].

(b) An individual or individuals not exceeding three who are adults (on joint basis) may be permitted to apply for units.

(c) A parent, step parent or other lawful guardian may make an application on behalf of a minor.

(d) The face value of units will be Rs. 10/-. Applications shall only be made in the form precribed in multiples of hundred with a minimum of two hundred units. There is no maximum limit of investment.

(e) Duly completed forms of application accompanied by the payment for the units applied for shall be tendered at any of the offices of the Trust or at any authorised Collection Centre [4][ ]. [5][If payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre. If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date of issue of the draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 15 days from the date of issue of draft.] In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without any interest whatsoever.

1. Inserted on 26-06-96.
2. Clauses from "Sale of units" to "Exchange of unit certificate and procedure when the Certificate is mutilated, defaced, lost etc." renumbered from No. V to XXVIII to No. VI to XXIX on 26-06-96.
3. Substituted for "only by individuals". Companies/bodies corporate established in India on 26-06-96.
4. "during the period the offer for sale is open" deleted on 26-06-96.
5. Inserted on 26-06-96.

[1][(f) The sale of units under the scheme will be kept open throughout the year from 1st of August, 1996, except during the book closure period not exceeding 45 days in an accounting year.

The Trust reserves the right to suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like disruption of trading on Stock Exchanges, any other socio-economic threat etc. or by giving seven day's prior notice in leading newspapers or in such other manner as may be decided.]

[2][ ]

[3][ ]

VII. INVESTMEN OBJECTIVE :

It shall be the endeavour of the Scheme to invest the capital after defraying all initial, preoperative and operational expenses in securities issued by companies listed on the recognised Stock Exchange in India. Investments over a period will be made mainly in equities, convertible & non-convertible debentures of companies and other capital, & money market instruments. The portfolio composition of investments will be with a view to achieve as far as practicable long term growth by reinvesting capital gains if any and paying out only the current and ordinary income after defraying expenses and making provisions.

[4][Funds collected under the Scheme shall after providing for all initial issue expenses generally be invested consistent with the objective of the Scheme in the following manner :

(1) Atleast 80% funds of the scheme will be invested in equity and equity related instruments. The risk profile of equity investments will be medium to high.

(2) Upto 20% of the funds of the scheme will be invested in debt and money market instruments. The risk profile of investment will be low to medium.

Notwithstanding the aforesaid, the investment in money market instruments will be consistent with the guidelines of SEBI on the same.]

1. Substituted for "[5][Offer for sale of units shall be open for a period of 40 days for Non-Resident Indians and 38 days for other category of investors commencing from 29th day of April, 1993.] on 26-06-96.

2. "(g) The Trust shall not be obliged under any circumstances to offer for sale units after the offer period or if at its discretion the issue is closed earlier. Applications received after the close of business hours on [6][the last day of the sale of units i.e. 7th June, 1993 for Non-Resident Indians and 5th June, 1993 for the other category of investors] and subsequently at any of the authorised collection centres shall be deemed invalid and rejected." deleted on 26-06-96.

3. "(h) The Trust may at its discretion extend the period for sale units to such of the unit holders as may be decided" inserted on 16-06-1993 and deleted on 26-06-96.

4. Inserted on 26-06-96

5. Substituted for "Offer for sale units shall be open for a period of 31 days commencing from 29th April to 29th May 1993" on 16-06-93 which was earlier substituted for "Offer for sale of units shall be open for a period of——days commencing from the ————" on 19-04-1993.

6. Substituted for "29th May, 1993" on 16-06-1993 which was earlier inserted on 19-04-1993.

VIII. ALLOTMENT OF UNITS

(a) [1][ ]

(I) [2][The date of allotment shall be the date of acceptance of the application.] [3][ ]

IX. APPLICATION AND TRANSFER FORMS SIGNED BY ATTORNEYS

If an application or transfer form is signed by a person holding a valid Power of Attorney, the original Power of Attorney or a certified copy duly notarised thereof should be submitted with the application or the transfer form, as the case may be, unless the Power of Attorney has already been registered in the books maintained by the Registrars.

X. REGISTER OF UNITHOLDERS

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders :

(a) A register of unitholders shall be caused to be maintained by the Trust and these will be decided by the Trust. The register shall contain the following particulars :

(i) The names and addresses of the unitholders.

(ii) The distinctive number of unit certificate or certificates and the number of units held by every such holder; and

(iii) The date from which units are held in the name of the holder.

(b) *In the event of death of a holder*, any other person being entitled to the said units, upon recognition of the claim in such manner as the Trust may deem necessary such other person may be registered as a unitholder of units which shall always be in multiples of hundred.

(c) Where a unit certificate is held in the name of two or three persons such persons shall be deemed to hold the units on joint basis :

(i) In either case it shall be deemed that the first of such persons is the holder of the units and transfers or other dealings, if any, shall be competent only by the first of such persons.

(ii) All payments to the first holder and a receipt thereof shall be a valid discharge to the Scheme.

(iii) The Scheme shall for all practical purposes correspond only with the first holder and all communications with the first holder shall be deemed to be valid discharge by the Scheme of its obligations.

(iv) In the case of death of a joint holder, survivor/(s) shall be the only person recognised by the Scheme as having any title to or interest in units represented by a certificate.

Provided that the registration of units in the name of any person shall not affect or prejudice any right which any other person may have against a survivor/(s) in respect of the said units.

(d) Any change in the name and address of a unitholder shall be notified to the Registrars. The Registrars on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as may reasonably be required shall alter the register accordingly.

(e) Except when the register is closed as hereinafter provided, the register shall, during the business hours subject to such reasonable restrictions the Registrars may impose, but not less than two hours on each business day, shall be kept open for inspection by any unitholder.

(f) The register will be closed for such time and for such periods as the Trust may determine, so however, the register shall not remain closed for more than [1][45] days in any one year. In the event of a closure of the register for a period or periods, notice shall be given by advertisements in not less than two leading English and one vernacular newspapers.

(g) The Registrars and the Scheme shall not receive notice of any Trust expressed or implied, constructive nor shall they be bound to enter any such notice in respect of any unit in the register except when so directed by a Court of Competent Jurisdiction.

(h) In the event of death of a unitholder the Executors or Administrators or a holder of Succession Certificate issued under the Indian Succession Act, 1925, or a legal representative shall be the only persons who may be recognised by the Registrar as having any title to the units and shall offer for repurchase at such prices as may be decided by the Trust.

(i) A person becoming entitled to units in consequence of the death, insolvency or winding up of a sole holder or the survivor/(s) of joint holders upon producing evidence to the satisfaction of the Regis-

1. "Allotment of units on applications shall be at the Trust's sole discretion and as nearly as practicable in the manner stated hereunder :" Deleted on 26-06-96.

2. Substituted for "The allotment of units will be made on [4][1st August,] 1993 on 26-06-96.

3. "There shall be firm allotment of 5000 Grandmaster units (Rs. 50,000) and thereafter the allotment will be at the discretion of the Trust taking into account the overall subscription. The manner of and procedure for allotment shall be on such basis as the Trust may consider fair and equitable and the decision of the Trust in this behalf shall be final. [5][However, for Non-Resident Indians there shall be firm allotment irrespective of the amount invested.]

(b) Refund orders will be by bank instruments drawn in the name of the applicant in the case of a sole applicant or in the name of the first applicant in other cases." deleted on 26-06-96.

4. Inserted on 19-4-1993.

5. Inserted on 16-6-1993.

1. Substituted for "60" on 26-06-96 which was earlier substituted for "45" on 31-01-94.

trar shall be registered as the holder of the units or permitted to transfer the units as the case may be.

(j) Notwithstanding anything contained in Clause (g) above if a unitholder pledges the certificate with a Scheduled Bank the interest of the pledge shall be recorded in the register. If by enforcing the pledge the Scheduled Bank seeks to transfer the units and have it registered in its name, then the Registrar shall comply with the request and the register shall contain such particulars that the bank holds the certificate.

XI. TRANSFER OF UNITS SUBSEQUENT TO ISSUE

All units issued under the Scheme and outstanding are freely transferable after listing of the Scheme on major stock exchanges subject to the following terms :

(a) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause IV of the provisions of the scheme. The acceptance of the Transfer Deed and the admittance of the transferee as a unitholder under the scheme will be at the sole discretion of the Trust.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Scheme shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) All transfers shall be made using the share transfer form as prescribed by the Stock Exchanges and shall be for a minimum of two hundred units and in multiples of hundred thereafter.

(d) Transfer instruments with the relative unit certificates accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Scheme shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(e) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(f) Every instrument of transfer shall be signed by the transfer and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of holders by the Registrars.

(g) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(h) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(i) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(j) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate or certificates to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue of such a certificate or certificates.

(k) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(l) As soon as the Grandmaster Unit Scheme is listed with the recognised stock exchanges, the transfer/transmission formalities shall be under taken in accordance with the provisions of listing agreement and guidelines issued in this regard by stock exchanges and as stated in the scheme.

XII. NO NOMINATION BY UNITHOLDERS

There will be no provision for making any nomination under the scheme.

XIII. PUBLICATION OF ACCOUNTS

The Trust shall, as soon as may be after the 30th June each year cause to be published in such manner as the Fund may decide accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as on that date. The Trust shall on a request in writing from a unitholder, furnish him with a copy of the accounts so published.

[1][The fees, expenses and accounting policies will be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.]

[2][XIV. SCHEME OPEN ENDED FROM 01-08-1996

The scheme has been made open ended from the 1st of August 1996. Consequently all unitholders of the scheme can repurchase their unitholding freely at a NAV based repurchase price. The unitholders are however free to continue in the scheme.

Sale price will be NAV to be determined and annouced on a weekly basis.]

[3][XV. REPURCHASE OF FUNDS

(a) The unitholder shall be under obligation to offer his units for repurchase and he will be free to hold them as he desires during the currency of the Scheme.

(b) The Unit Trust shall, on request by the unitholder for repurchase, repurchase full or specified part of the units indicated in the unit certificate, as the case may be, being always in multiple of 100 units provided that no partial repurchase so made result in the unit holders holding less than 200 units. The unit certificate so received shall be retained by the Unit Trust for cancellation. The Unit Trust shall, in the case of repurchase of a part of the units indicate in the unit certificate, issue a new unit certificate for the balance of units held by the unit holder.

(c) The contract for repurchase shall be deemed to have beeen concluded on the acceptance date.

(d) Payments for units repurchased by the Unit Trust be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the applications. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.]

XVI. RESTRICTION ON SALE AND REPURCHASE OF UNITS

Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Scheme, the Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units.

(i) on such days as are not working days;

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of unitholders is closed in connection with the annual closing of the books and accounts; and

(iii) after the date termination of this Scheme is notified by the Trust.

Explanation

For the purposes of this Scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either.

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other State where Trust has offices or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the head office of the Trust will be closed

XVII. RIGHT OF TRUST TO ACCEPT OR REJECT APPLICATION :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept or applications for issue of units under the Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall be final.

XVIII. APPLICANT TO COMPLY WITH REQUIREMENTS UNDER THE SCHEME BEFORE BEING ISSUED UNITS :

Persons applying for units under the Scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application under the Scheme and to comply with all the requirements of the Trust. A person who holds units under a false declaration shall be liable to have the Unit Certificate cancelled and his name shall be deleted from the register of unitholders. The Trust shall have the right in such an event to repurchase/the units at par. The amount shall not carry any rate of interest irrespective of the period it takes the Trust to repurchase and remit the repurchase proceeds to the applicant.

---

1. Inserted on 26-06-96.

2. Substituted for "XIII. PERIOD OF HOLDING : The scheme will be for a period of seven years from the date of allotment with the option for investors either to redeem at the NAV based price or to continue if the Trust then decides to extend or to switch over to another scheme launched or operative at that time." on 26-06-96.

3. Substituted for "XIV. REPURCHASE OF UNITS : However, during the 4th, 5th, 6th & 7th years from the date of allotment (from [4][1st August, 1996]) while the units will continue to be listed in Stock Exchanges the Trust will be ready to repurchase units at the prevalent repurchase price from unitholders on a first come first served basis who offer the units for repurchase during such period or periods aggregating to not less than 60 days in a year. Provided that the Trust shall be at liberty to repurchase units upto such limit not exceeding 25% of the original issued capital of the Scheme during the said period(s) of offer for repurchase. The repurchases effected in such a manner will be subject to the following provisions.

(a) Repurchase will be effected only after lock in period on receipt of the Unit Certificate with a form on the reverse duly filed in for repurchase of all the units comprised in the Certificate on the date of repuchase. The Certificate will be retained by the Trust for cancellation.

(b) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(c) Where an application for repurchase of units from him has been accepted by the Trust, the Trust shall as soon thereafter a possible, send the applicant an acknowledgement therefor.

(d) Payment for the units repurchase by the Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in his application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant." on 26-06-96.

4. Inserted on 19-04-1993.

XIX. [1][SALE AND REPURCHASE PRICES :

(1) The price at which a unit will be sold by the Unit Trust (hereinafter referred to as "the sale price"), and the price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust (hereafter referred to as the "repurchase price") shall be declared on a weekly basis The sale price will be the NAV (historic). Repurchase price will be at a discount of 5% to the NAV (historic)

(2) The sale price or the repurchase price of a unit shall be arrived at on the basis of the material available with the Unit Trust on the day on which the sale price, or the repurchase price, as the case may be, arrived at.

The calculation of sale and repurchase prices and the spread between them shall be as per the recommendations of the Expert Committee set up by SEBI in this regard.]

XX. [2][PUBLICATION OF SALE AND REPURCHASE PRICES :

The Unit Trust shall, as early as possible after the determination of the sale and repurchase prices issue them to the press for publication.]

---

1. Substituted for "XVIII. REPURCHASE PRICE :

(1) The price at which a unit will be repurchased by the Trust, is hereinafter referred to as "the repurchase price".

(2) The repurchase price shall be arrived at by dividend the value (determined as hereinafter indicated) as at the close of business on the working day immediately preceding the day on which the repurchase price is determined, of the assets pertaining to this Scheme, reduced by, liabilities in respect of the unit capital including reserves, if any, as at the close of business on the said working day by the number of units in issue as at close of business on the said day, deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage, commission, taxes, if any stamp duties and other charges in relation to the realisation of investments by the Trust.

(3) The repurchase price of a unit shall be arrived at on the basis of the material available with the Trust on the day on which repurchase price is arrived at.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained hereinabove, when the Trust is stisfied that it is in the interest of the Trust and the unitholders to vary the repurchase price as arrived at in the manner detailed above it may to such extend as it may deem fit, as the case may be, in the event of a complete breakdown or dislocation of business in the financial market due to war, insurrection, civil commotion or any other serious or sustained political and industrial disturbance or if the whole present basis of stock exchange prices should undergo a substantive change through the occurrence of some catastrophic or similar event, it may vary the sale or repurchase price or both to such an extend as it may deem fit". on 26-06-96.

2. Substituted for "XIX. PUBLICATION OF REPURCHASE PRICE : The Trust shall, as early as possible after the repurchase price, publish in such manner as it may deem fit repurchase price of units." on 26-06-96.

XXI. DISTRIBUTION OF INCOME TO UNITHOLDERS:

(a) The Trust may or may not declare income distribution under the scheme depending upon the income received under the scheme and the expenses accrued thereunder.

(b) The Trust may decide to make such distribution of income as it considers necessary and transfer such sum or sums as it may deem fit out of the income not distributed to one or more reserve funds. The reserve funds which are not earmarked for application for any specific purpose shall be applied for or use only for the benefit of the unitholders.

(c) Income distribution to the unitholders shall be made as soon as may be, after the closing of the annual accounts of the Scheme as on 30th June each year.

[1][In case of declaration of dividend, the Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the dividend.]

(d) Such of the unitholders whose names appear in the register of unitholders as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the Scheme shall be entitled to receive and retain the income so distributed.

(e) In case the unitholder has transferred the units prior to the declaration of income distribution and the transfer has not taken effect, the transferee shall not be entitled to the income distribution subsequently unless the transferee has lodged the transfer documents with the Registrars 30 days before the closure of the registers preceding the declaration of the income distribution.

(f) The income distributed shall be paid by the Grandmaster Unit Scheme by cheque or warrant drawn on its bankers with appropriate payment facilities.

(g) It shall be lawful for a unitholder to receive any income distribution, declared by the Scheme in respect of units of which he is a holder notwithstanding that the units have already been transferred by him for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within 30 days of the date on which his income became due, lodged the certificate and all other documents relating to the transfer.

1. Inserted on 26-06-96

XXII. VALUATION OF ASSETS PERTAINING TO THE SCHEME :

1[(1) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of two months prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of two months prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(3) Unquoted equity and preference shares including those under lock-in-period are valued at cost.

(4) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity (YTM), as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(5) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(6) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion, if any, of such debentures and bonds is valued as in (4) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(7) Money Market instruments are taken at book value.

(8) Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing interest rates.

(9) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (8) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.]

XXIII. 1[COMPUTATION AND DISCLOSURE OF NET ASSET VALUE (NAV) :

The Net Asset Value of the units issued under the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication every week.]

2[Notwithstanding anything contained in these provisions the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.]

XXIV. TRADING OF UNITS :

(a) 3[The units are listed on the Stock Exchanges at Mumbai, New Delhi, Calcutta, Madras, Bangalore, Ahmedabad, Hyderabad, Kanpur and Jaipur.] The Trust will announce the net asset value determined on Thursday or the previous working day if it is a holiday and intimate the value to all the Stock Exchanges for the purpose of being quoted.

(b) A unitholder desirous of liquidating his holdings may trade the units through any of the Stock Exchanges.

(c) The Trust will not either directly or in any manner indicate the price or prices at which the units could be bought or sold through the market. However, the last prices at which units were bought or sold at the Stock Exchanges in a trading will be published in leading daily newspapers.

The Trust, however, retains the right to delist the units from the stock exchanges if in the interest of unitholders or the Trust it is deemed necessary to do so.

(d) The buyer of units through the market either by himself or through a recognised broker should submit the transfer deed and the relative units certificates to the Registrars of the Scheme giving effect to the transfer if found in order.

(e) The buying or selling of units through the market at whatever price shall be at the risk of a unitholder or a prospective unitholder. However, for the purpose of determining the stamp duty to be payable on transfer of units the average of the high and low prices that ruled on the date prior to the date of transfer shall be the basis for the charge.

4[XXIVA. BUY BACK OF UNITS :

Notwithstanding anything to the contrary in the provisions of the Scheme :

(a) The Trust may buy back units under the Scheme from the market at the ruling price whenever such units are quoted at 10% or more below its NAV.

(b) The Trust may buy back upto 25% of the units capital issued under the Scheme in any one financial year as an overall limit. The units which are bought back will be redeemed.

Explanation

(i) "Market" means any of the recognised Stock Exchanges on which the units under the Scheme are listed.

1. Substituted for "(a) Listed securities will be valued at closing prices on the Stock Exchange nearest to the principal place of business of the company whose securities are being valued and if such securities are listed on more than one Stock Exchange, then the Scheme may adopt the closing prices of the securities in the Stock Exchange nearest to the principal place of business of the company as being the fair value. If the securities have not been traded for more than six months prior to the date of valuation, then the Grandmaster Unit Scheme may value the security in the manner considered by it to be fair in consultation with its Auditors.

(b) Newly listed equity shares i.e. (the shares listed within the period of one year preceding the date of valuation) will be invariably valued at cost. A reduction or increase in the value of these equity shares will be based on the facts and circumstances which in the opinion of the Scheme appear to have a bearing or effect in such upward or downward valuation.

(c) Money market instruments and other fixed income bearing instruments including debentures which are not convertible will be valued on the basis of current yield and maturity value of comparable instruments.

(d) To the value determined as above shall be added the interest accrued in the case of fixed income securities and debentures and the dividend declared but not received in respect of equity shares.

(e) All other assets not capable of being valued as aforesaid shall be valued at their book value." on 26-06-96.

(ii) "Ruling Price" means the market price of units on the recognised Stock Exchanges ruling at the time units are bought back by the Trust.]

XXV. RESTRICTIONS ON INVESTMENT :

(a) Investment by the Trust of its investible funds under the Scheme in the securities issued by any one company shall not exceed 10% of the total funds or 15% of the securities issued and outstanding of such company whichever is less.

(b) Investment by the Trust of its investible funds under the Scheme in the securities of any new company shall not exceed 10% of the securities issued by such company and the aggregate of all such investments shall not exceed 30% of the investible funds.

Explanation :

A new company means a company whose shares have been listed on any Stock Exchange first within one year prior to investment in the shares by the fund.

5[(c) The scheme may invest in derivative investments as and when permitted by SEBI and available for investment by the scheme.]

(d) The Trust may for operational convenience or to seek changes in opportunities keep invested at any time not exceeding 20% of the total funds in any short term money market instrument, convertible or non-convertible debentures, bank deposits, bills rediscounted or similar other avenues.

---

1. Substituted for "PUBLICATION OF THE NET ASSET VALUE .

(a) The Net Asset Value of the Grandmaster Unit Scheme shall be calculated at Bombay in accordance with the provisions of Clause XIV hereinafter given at the close of business on each Thursday (on the previous working day if it is a holiday) after deducting from the said aggregate value the liabilities incurred for the said Grandmaster Unit Scheme and other expenses on a proportionate basis which in the opinion of the Grandmaster Unit Scheme is sufficient to cover the stamp duties, taxes and other expenses payable on a deemed realisation of the investment and shall be published in the leading daily newspapers in India.

Intimation will also be sent simultaneously to all the Stock Exchanges in India of the said value in a manner most suitable. Valuation so published shall be valid till the next publication of value.

(b) In the event of unforeseen circumstances, if the valuation is not so published for a given week or for one or more such weeks, the Trust shall not be deemed to have violated any of the terms of offer of units by it.

(c) Trading of units over Stock Exchanges shall always be deemed between intending buyers and sellers for genuine investment purposes and the Scheme shall have no control over such tradings". on 26-6-96.

2. Inserted on 26-06-1996.

3. Substituted for "The units will be listed in Stock Exchanges at such place/s as may be decided by the Trust after 6 months from the date of allotment." on 26-6-96.

4. Inserted on 22-12-93.

5. Inserted on 26-06-96.

Provided that till the Trust fully employs the funds of the scheme in securities, it may keep the funds not so employed invested in such securities as may be considered expedient including those referred to in Clause (d) above.

(e) The restrictions on investment prescribed shall be applied with reference to circumstances at the time the investments are made and shall not be deemed to have been exceeded, nowithstanding that by reason of fluctuation in the market price or investments, or by reason of issue of bonus shares or right shares by the company in whose securities investments have been made, the limit is in fact exceeded.

1[Any subscription received under the scheme from 01-08-96 shall be invested in conformity with the SEBI Regulations and regulatory framework for Unit Trust of India viz.

(1) All debt instruments in which investments are made by the Scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time : Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustee of the Trust shall be taken for investment.

(2) No term loans will be advanced by this Scheme.

(3) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 10% of the total assets of the Scheme.

(4) The Scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one Company's shares.

(5) Not more than 10% of the funds of all the Schemes of the Trust taken together including this Scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(6) Not more than 15% of the funds under all Schemes of the Trust including this Scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry :

Provided that provision shall not apply to a Sheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter.

(7) Transfer of investments from this Scheme to another Schtme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfer are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustee of the Trust.

(8) The Scheme shall not invest in or lend to another Scheme/Plan of the Trust, unless otherwise provided by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives.

(9) The Scheme shall not borrow funds to finance its investments, unless otherwise permitted by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives.]

---

1. Inserted on 26-06-96.

XXVI. FORM OF UNIT CERTIFICATE

1[The unitholders shall be issued certificates specifying the number of units allotted to them within 6 weeks from the date of acceptance of the application.]

Unit Certificates shall be in Form A annexed hereto or in such form as may be approved by the Trust for smooth operation of the scheme. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder. Certificate will be issued in marketable lot of 100 Grandmaster Units upto maximum number of 20 Grandmaster Certificates (i.e. Rs. 20,000/-). For any investment beyond Rs. 20,000/- one consolidated Certificate (21st Certificate) will be issued (i.e. more than 2000 Grandmaster Units). This cosolidated Certificate will be split, once free of cost, on request from investor and thereafter the split may be allowed on payment of charges as may be decided by the Trust. 2[For Non-Resident Indians the Certificates will be issued in marketable lot of 100 Units irrespective of the amount invested.]

XXVII. MANNER OF PREPARATION OF UNIT CERTIFICATE :

The Unit Certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either

be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Trust. Provided further that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate; the Trust may be a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XXVIII. TRUST NOT TO BE RECOGNISED REGARDING UNIT CERTIFICATES :

The person who is registered as the unitholder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such Unit Certificate and the Units which it represents; and the Trust may recognise such unitholder as the absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice of the execution of any trust or save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any Unit Certificate or the Units thereby represented.

XXIX. EXCHANGE OF UNIT CERTIFICATE AND PROCEDURE WHEN THE CERTIFICATE IS MUTILATED, DEFACED, LOST ETC. :

(1) Subject to the provisions of this scheme, every unitholder shall be entitled to exchange any or all of his Unit Certificates for one or more Unit Certificates in marketable lots, representing the same aggregate number of Units. While applying for such exchange, the unit holder shall surrender to the Trust the Unit Certificate or Certificates to be exchanged and shall pay to the Trust all monies (if any payable, thereunder) in respect of the issue of the new Unit Certificate or Certificates.

(2) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn or defaced, the Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn or defaced Unit Certificate.

In case any Unit Certificsate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Certificate in lieu thereof. No such new Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) Furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate.

(ii) Paid all expenses in connection with the investigation of the facts.

(iii) In case of mutilation or wearing out or defacement produced and surrendered to the Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) Furnished to the Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(3) Before issuing any Certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee One per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and depatch of such Certificate. Provided that no fee, stamp duty or postal registration charges shall be payable in respect of such issue of Unit Certificate in the following cases, viz.

(i) When a Unit Certificate issued to an applicant or issued under clause XI (j) to a transferee is tendered for the first time for sub-division.

(ii) When consolidation of Unit Certificates is suggested by the Trust and such a suggestion is accepted by the unitholder.

1XXX. *DEVELOPMENT RESERVE FUND (DRF) CONTRIBUTION*

0.10% of the weekly average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

XXXI. *STAFF WELFARE TRUST CONTRIBUTION*

0.10% of the weekly average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Trust of the Trust every year.]

2[XXXII]. *SCHEME TO BE BINDING ON UNITHOLDERS* :

The terms of this Scheme including any amendments thereof made from time to time (provided such amendments do not vary the basic character and the purpose of this Scheme seeks to achieve) shall be binding on each unitholder and any person or persons claiming through or under him as if/they had expressly agreed that they should be binding.

XXXIII. *COPY OF SCHEME TO BE MADE AVAILABLE* :

A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Registrars or of the Scheme (when established) at all times during its business hours and may be supplied upon payment of Rs. 5/- to a unitholder.

XXXIV. *ADDITIONS AND AMENDMENTS TO SCHEME*:

The Board may from time to time add to or otherwise amend or alter this Scheme and any amendment or alteration thereof will be notified in the Official Gazette. 1[In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained. Amendments to the provisions of the Scheme can be effected with prior approval of the Execution Committee and of SEBI.]

XXXV. *POWERS TO CONSTRUE PROVISIONS*

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme in so far as such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be final and conclusive.

XXXVI. *RELAXATION/ VARIATION/ MODIFICATION OF PROVISIONS*

Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and easy operation of the Scheme relax, vary or modify any of the provisions of the Scheme in case of any unitholder or class of unitholders upon such conditions as may be deemed expedient.

1. Inserted on 26-06-96.

RIGHTS OF UNITHOLDERS

1. Unitholders under the Scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend if any, declared by the Scheme.

2. The unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the members.

3. The members are entitled to have the dividend warrants sent to them within 42 days of the date of declaration of the dividend.

4. The members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

1. Inserted on 26-06-96.

2. Clauses from "Scheme to be binding on unitholders" to "Relaxation/Variation/Modification of provisions" renumbered from XXIX to No. XXXIII to No. XXXII to XXXVI on 26-06-96.

1. Inserted on 26-06-96.

2. Inserted on 16-06-1993

CUSTODIANS

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, W-wing, Nariman Point, Mumbai 400021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plants as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes Funds Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration.

The custodians shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, re-purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Coustodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

REGISTRARS

M/s. M. N. Dastur & Co. Ltd. have been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge their responsibilities with regard to processing of applications, despatch of certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints.

Processing of application and after sales services will be handled from four main branches of the Registrars :

Western Zone

Matulya Centre,
A Bldg., 249 Senapati Bapat Marg,
Lower Parel,

Mumbai-400013.
Tel : 493 1065

Northern Zone

Flat Nos. A-301-311,
3rd Floor, Somdatt
Chambers-1, 5, Bhikaji
Cama Place, R. K. Puram,
New Delhi-110066.
Tel : 616 6838

Eastern Zone

**Computer Centre,
52, Chowringhee Road,
(4th Floor)
Calcutta-700071
Tel : 242 5142

Southern Zone

**Engineering Centre,
480, Anna Salai,
Nandanam,
Madras-600 035
Tel : 434 2303

DOCUMENTS AVAILABLE FOR INSPECTION

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Womens University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020.

* The UTI Act
* The General Regulations
* The agreements with the Custodians and Registrars
* Copy of Provisions of Grandmaster 93.

GRANDMASTER UNIT SCHEME-1993
UNIT TRUST OF INDIA
13, SIR VITHALDAS THACKERSEY MARG,
(NEW MARINE LINES)
BOMABY-400 020

THIS IS TO CERTIFY that the person(s) named in this Certificate is/are the Registered Holder(s) of the within-mentioned Grandmaster bearing the distinctive number(s) herein specified in GRANDMASTER UNIT SCHEME-1993 subject to the provisions of the GRANDMASTER UNIT SCHEME-1993. The amount endorsed hereon has been paid up on each such Grandmaster.

GRANDMASTER EACH ON RUPEES 10/-
AMOUNT PAID UP PER GRANDMASTER RUPEES 10/-

Certificate No.
Name(s) of Holder(s) (1)————————
(2)————————
(3)————————
No. of units held ————————
Distinctive No. (s) ————————

Given on this ————————day of————————1[1]

GRANDMASTER UNIT SCHEME-1993
CHAIRMAN ;
TRUSTEE ;

1. "1993" deleted on 26-06-96.

Investor complaints data for the period

01-07-95 to 30-06-96

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	2230	2157	73	3.27%
CGGF	13927	13328	599	4.30%
CGS	22401	22259	142	0.63%
CGUS-91	4294	3463	831	19.35%
CRTS	144	135	9	6.25%
DIUP-93	489	465	24	4.91%
DIUP-95	52	34	18	34.62%
DIUS-90	4322	4034	288	6.66%
DIUS-91	3451	3049	402	11.65%
DIUS-92	2692	2626	66	2.45%
IISFUS	4	4	0	0.00%
GCGI	399	364	35	8.77%
Grandmaster-93	1171	1156	15	1.28%
GMIS-91	7646	7492	154	2.01%
GMIS-92	3748	3643	105	2.80%
GMIS-92(II)	1157	1139	18	1.56%
GMIS-B-92	507	484	23	4.54%
GMIS-B-92(II)	3798	3680	118	3.11%
Grihalakshmi U.P.94	1353	1305	48	3.55%
Housing U.S.	326	275	51	15.64%
MEP-91	6275	6170	105	1.67%
MEP-92	36041	35236	805	2.23%
MEP-93	18915	18660	255	1.35%
MEP-94	13657	12888	769	5.63%
MEP-95	32301	30589	1712	5.30%
MEP-96	58	51	7	12.07%
Mastergain-92	42709	41705	1004	2.35%
Mastergrowth-93	2782	2688	94	3.38%
MIP- 3	1925	1908	17	0.88%
MIP- 94(I)	4226	4154	72	1.70%
MIP-94(II)	4274	4221	53	1.24%
MIP-94(III)	9440	8998	442	4.68%
MIP-95	402	351	51	12.69%
MIP-95(II)	352	250	102	28.98%
MIP-95(III)	164	85	79	48.15%
MIP-96	11	6	5	45.45%
MIS-90(I)	479	348	131	27.35%
MIS-90(II)	3670	3598	72	1.96%
MIS-B-93	4318	4101	217	5.03%
MISG-91	3905	3824	81	2.07%
Masterplus-91	43259	4635	1624	3.75%
Mastershare-86	65438	55117	10321	15.77%

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
OMNI-PLAN	61	43	18	29.51%
PEF	683	547	136	19.91%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	204	122	82	40.20%
RAJLAKSHMI U.P.	8689	8493	196	2.26%
SENIOR CITIZEN U.P.	1523	1434	89	5.84%
UGS-2000	62274	60122	2152	3.46%
UGS-5000	14943	14107	836	5.59%
ULIP	10397	9243	1154	11.10%
US-64	593936	587033	6903	1.16%
US-92	15949	14943	1006	6.31%
US-95	4	4	0	0.00%
TOTAL	1077375	1043766	33609	3.12%

Reasons for pending complaints are ;

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to the investor/registrars to resolve the same All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned investors, Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre I, 28 th Floor
G.D. Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005
Tel : 2180172/2181600

NORTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell.
Herald House, 2nd floor
5A, Bahadurshah Zafar Marg.
New Delhi 110 002
Tel : 3329860

EASTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700 001
Tel : 2434581

SOUTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Madras-600 001
Tel ; 517101|Ext. 360/364

HISTORICAL DATA

Particulars		US 64			PEF		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
A. Gross Income		3622.78	3380.41	1748.52	—	2.39	14.78
B. Expenses (Including Provisions)		84.91	92.99	152.49	—	4.83	2.66
C. Net income (A—B)		3537.87	3287.42	1596.03	—	—2.44	12.12
D. Dividends		3128.07	3976.22	2733.78	—	—	—
E. NAV	Begining	—	—	—	—	—	9.95
	End	—	—	—	—	9.95	12.28
F. Repurchase	Begining	15.00	15.50*	15.00*	—	—	10.10***
	End	18.00@	18.05	16.25$	—	—	11.84
F. Expenses to Avg. Monthly Net Assets (%)		—	—	—	—	—	
G. Portfolio Turnover Rate		—	—	—	—	—	—
H. Mkt. Price (High/Low)		—	—	—	—	—	—
I. Sale price	Begining	16.00	16.50*	15.50*	—	—	10.25*
	End	19.30@	19.35	17.20$	—	—	12.44
J. No. of Units (In Lakhs) (At the end of the Period)		120146.09	152767.34	135094.59	—	1749.42	1819.79

*For the Period 1st July to 15th July of the Year.

@Notional for April' 94

*Notional the Month of May' 95

$ For the Period 1-5-96 to 15-5-96.

** For the Period 1-8-95 to 9-8-95

Mumbai, the 23rd December 1996

No. UT/DBDM/R173/SPD74-E/96-97.—Offer Document of the MASTER EQUITY PLAN 1997 formulated under section 19 (1) (B) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the Equity Linked Savings Scheme 1997 made under Section 21 of the said Act approved by the Executive Committee in the meeting held on 7-10-96, is published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

MASTER EQUITY PLAN 1997

OFFER DOCUMENT

OFFER OPEN FROM NOVEMBER 22, 1996 TO MARCH 31, 1997

The Master Equity Plan 1997 has been formulated under Section 19 (1) (B) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Equity Linked Savings Scheme 1997 made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

The Plan particulars have been prepared in accordance with the Government of India notification on ELSS schemes and also Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1993, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

The Plan formulated in accordance with Government Guidelines on Equity Linked Savings Scheme, aims at providing unitholders twin benefits of income-tax rebate on amount of investment as well as reasonable growth of the said amount over a period of time.

Highlights

A ten year Plan.

Open to resident adult individual/minors/HUFs/Association of Persons or Body of individuals consisting, in either case, only of husband and wife governed by the

system of community of property in force in the state of Goa and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

- Investment made in the Plan will qualify for Income tax rebate @ 20% on investment upto Rs. 10,000/- within overall limit of Rs. 60,000/- under Section 88 of the Income Tax Act 1961.
- Repurchase allowed after an initial lock-in-period of 3 years from the date of allotment.
- Scheme shall be listed on OTCEI after a 3 year lock-in-1-period.
- Investors will be paid compensation @ 4.5%, 3.5%, 2.5%, 1.5% and 1% on investments made in November, December, January, February and March respectively.
- Tax benefits U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on capital appreciation.

Risk Factors

* Investments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on the influence of market forces on the Plan's portfolio.
* Performance of the previous Schemes/Plans of UTI is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the Plan will be achieved.
* Master Equity Plan 1997 is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

Management's perception of Risk Factors

UTI has been in operation for over 32 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 56,800 crores from over 48 million investors.

Table below indicates performance of previous Master Equity Plans launched by the Trust :

	NAV-(High)	date	NAV-(Low)	date	NAV on 30-10-96
Master Equity Plan 1991	41.92	14-09-94	17.95	21-07-93	24.29
Master Equity Plan 1992	22.84	14-09-94	9.80	21-07-93	14.62
Master Equity Plan 1993	22.52	17-08-94	12.61	27-01-96	13.07
Master Equity Plan 1994	9.82	14-08-96	7.24	24-01-96	7.58
Master Equity Plan 1996	11.93	19-05-95	8.68	24-01-96	9.40
Master Equity Plan 1996	11.67	17-07-95	9.43	09-10-96	9.85

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to UTI from the acquisition, holding, management and disposal of securities. If started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of UTI are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1.	Shri Jagdish Capoor	Chairman, Unit Trust of India
2.	Dr. P.J. Nayak	Executive Trustee Unit Trust of India
3.	Shri R.V. Gupta	Deputy Governor, Reserve Bank of India
4.	Shri S.H. Khan	Chairman, Industrial Development Bank of India
5.	Shri N.S. Sekhasaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6.	Dr. Arvind Virmani	Advisor, Policy Planning, Govt. of India Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finanace
7	Shri P.R. Khanna	Chartered Accountant
8.	Shri N.M. Govardhan	Chairman, Life Insurance Corporation of India.
9	Shri P.G. Kakodkar	Chairman, S.B.I.
10.	Shri N. Vaghul	Chairman, ICICI, Ltd.
11.	Shri Rashid Jilani	Chairman & Managing Director, Punjab National Bank.

DETAILS OF THE EQUITY LINKED SAVINGS SCHEME 1997 (ELSS '97)

I. Short Title and Commencement :

(1) This scheme shall be called the Equity Linked Savings Scheme 1997 [ELSS '97].

(2) The scheme and the plan made thereunder shall be for a period of ten years i.e. from 1st April 1997 to 31st March, 2007.

(3) Units shall be on sale from 22nd November 1996 to 31st March, 1997.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspected the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

(4) The Plan has been drawn up pursuant to the guidelines issued by the Central Government as mentioned in the Equity Linked Savings Scheme 1992, and Section 88 of the Income Tax Act, 1961.

II. Definitions :

In this scheme and the plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or re-

purchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and the plan made thereunder *who is not a minor and makes an application under* Clause III of the Plan.

(d) "Listed" means the listing of Units for the purpose of trading on the Over the Counter Exchange of India (OTCEI).

(e) "Lock-in-period" shall be a period of 3 years from the date of allotment of units during which the applicant will be required to keep the units and not tender them for repurchase.

(f) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(g) "Recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation), Act, 1956 (42 of 1956).

(h) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the scheme from time to time.

(i) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(j) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. (15 of 1992).

(k) "Trading" means the dealing in, by buying or selling through OTCEI from 01-04-2000.

(l) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(m) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(n) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(o) all other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(p) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

DETAILS OF THE MASTER EQUITY PLAN 1997 (MEP'97) FORMULATED UNDER THE EQUITY LINKED SAVINGS SCHEME 1997 ARE GIVEN HEREBELOW.

I. Definitions:

The words not defined in the Plan and defined in the scheme and Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit:

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. Application for units:

(1) Application for units may be made by residents only viz.

(a) A resident adult individual singly or upto three individuals on joint basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor.

(c) Hindu Undivided Family.

(d) An Association of Persons or a Body of Individuals consisting, in either case, only of husband and wife governed by the system of community of property in force in the state of Goa and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman of the Trust.

IV. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of 50 units and therafter in multiples of 50 units. There will be no maximum limit.

In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

V. Limitation on expenses:

Initial issue expenses may not exceed 6% of tht funds raised under the Plan. Initial issue expenses of the Plan is estimated to be as under.

Expenses	%
Printing & Postage	0.30
Publicity & Marketing	1.50
Commission to agents	1.50
Bank Charges	0.30
*Others	2.40
Total	6.00

*Includes charges for Inwarding, Processing, Registrar Fees, Compensation payment, Stamp Duty and other Miscellaneout expenses.

Thus for every Rupee invtsted by an investor not less than 94 paise will be invested in the Plan. In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Plan on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average weekly net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under:

Expenses	%
Administrative Expenses	1.00
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.10
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
*Miscellaneous	8.80
Total	3.00

*Miscellaneous expenses includes all expenses which cannot be categorised under the given account heads.

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total initial issue expenses would be within the limit of 6% of the funds collected and 3% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to the Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average NAV of the plan during the accounting year.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

VI. *Mode of Payment*

(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at the branch offices of the Trust, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the branch office at which the application is tendered is situated. Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied for after deducting therefrom charges payable for bank draft e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-. Thus the draft can be prepared for Rs. 9,980/- (i.e. Rs. 10,000/- less Rs. 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the plan.

However, in case of application received alongwith local bank draft where UTI has its branch office, collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 15 days from the date of issue of the draft. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(2) (a) *Right of the Trust to accept or reject application* :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme and plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme and the plan made thereunder shall be final.

(b) *Incomplete Application liable for Rejection*

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) *Applicant bound to comply with requirements under the scheme and plan made thereunder before being issued units* :

Persons applying for units under the scheme and the plan made thereunder shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust, such as Birth Certificate in case of minor, Affidavit in case of AOP/HUF etc. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust. Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of unitholders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII. *Sale of Units* :

The offer of units under the Plan shall remain open from November 22nd, 1996 to March 31, 1997 (both days inclusive).

Applications received after the close of business hours of 31st March, 1997 and subsequently at any of the offices of UTI shall be deemed invalid and rejected

Sale price of units during the period of offer shall be at par. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Unit Certificates in marketable lots of 50 units each evidencing that he has been admitted as a unitholder in the scheme and the plan made thereunder. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Unit Certificates so sent. The Trust shall send the Unit Certificates within 10 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

VIII. *Compensation to investors* :

Depending on the date of joining the plan, investors will be paid compensation on the amount of investment as given below :

From	To	
22.11'96	30-11-96	45%
01-12-96	31-12-96	3 5%
01-01-97	31-01-97	2.5%
01-02-97	28-02-97	1.5%
01-03-97	31-03-97	1.0%

The amount of compensation will be paid by means of cheque which will e despatched alongwith the unit certificate. The compensation paid for early investments is not an incentive or any special benefit offered by UTI to investors. This compensation will be met within the "initial issue expenses" and also the income generated by the fund.

IX. *Allotment of Units*

Units will be allotted as on 31st March, 1997.

X. *Lock in period*

The investment made by a unitholder under the Plan will be required to be kept for a minimum period of 3 years from the date of allotment of units i.e. upto 31st March 2000. This three year period is called the Lock-in period.

There shall be no repurchase during these three years of the Plan. However, in the event of death of a unitholder, the legal heirs or the nominee registered in the books of of UTI under the Plan shall be able to offer the units for repurchase standing to the credit of the deceased only after the completion of one year from the date of allotment of units.

XI. *Repurchase of Units*

(1) The Trust shall announce the repurchase price one year after the date of allotment of units (i.e. from 1st April, 1998) and thereafter on a half yearly basis.

(2) After lock-in-period of 3 years from the date of allotment of units i.e. from 1st April 2000, when the repurchase of units shall commence the Trust shall declare a repurchase price every month or as frequently as may be decided by it.

(3) The repurchase price at which a unit will be repurchased will be NAV based (historic) declared from time to time. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 3% of the NAV of the unit under the Plan.

(4) Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate duly discharged.

(5) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(6) The unitholder shall be under no obligation to offer its units for repurchase as provided in sub-clause (1) above and he will be free to hold them as long as he desires during the currency of the Scheme.

(7) The repurchased units will not be reissued.

(8) Payments for units repurchased by the Unit Trust shall be made not later than 10 working days after the acceptance date. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant and shall form part of the annual recurring expenses only.

(9) The computation and disclosure of repurchase price shall be as per recommendations of the Expert Committee, as and when they are implemented.

XII. *Restrictions on repurchase of units*

Notwithstanding anything contained in any provision of the Plan, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of unitholders is closed in connection with the annual closing of the books and accounts.

Explanation

For the purpose of this scheme and the plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either :

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XIII. *Publication of repurchase price*

The Trust shall as early as possible after determing the repurchase price issue it to the press for publication.

XIV. *Listing*

The units issued under the Scheme shall be listed on OTCEI after the lock-in-period of 3 years from the date of allotment (i.e. from 1st April, 2000).

XV. *Form of Unit Certificate*

Unit Certificates shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder.

XVI. *Manner of preparation of Unit Certificate*

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method.. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XVII. *Procedure when the Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc.*

(1) Subject to the provisions of this Plan, every unitholder shall be entitled to exchange any or all of his Unit Certificates for one or more certificates of such denominations as he may require, representing the same aggregate number of units. While applying for such exchange, the unitholder shall surender to the Trust and Unit Certificate or Certificates to be exchanged and shall pay to the Trust all monies (if any payable thereunder) in respect of the issue of the new Unit Certificate or Certificates..

(2) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same number of units as the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have —

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the Original Unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such Unit Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(3) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover any charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Unit Certificate..

XVIII. Register of unitholders

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders—

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the unitholders :

(b) the number of the units held by every such person ; and

(c) the date on which such unitholder became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any unitholder shall be notified to the Trust which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any unitholder without charge and in connection with his own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XIX. Receipt by unitholder to discharge Trust

The receipt of the unitholder for any moneys paid to him in respect of the units represented by the scheme and the plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust

XX. Nomination by unitholder

(1) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto three. Applicants can nominate one person. Minors and Non-Resident Indians can also be nominated. Nomination facility will however not be available to the transferee in the event of transfer of a unit. Applicant can change the nomination at any time during the currency of the plan.

Provided further that persons applying on behalf of minors, Hindu Undivided Families, Association of Persons and Body of Individuals cannot nominate.

(2) The Registrars subject to such directions and provisions of the Plan may from time to time issue and subject to Sub-Clause (1) hereinabove, shall accept a nomination in the forms prescribed and register the same. They may also subject to such directions permit the variation, modification or changes in such nominations and have them registered.

Other provisions will be to the extent provided in the regulations.

XXI. Death of a unitholder

(1) In the case of death of the first holder in a joint holding of units the second named unitholder shall be recognised and in case of death of even the second named unitholder the third named unitholder shall be recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and plan made thereunder.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of the single unitholder under the Plan, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of the units standing to the credit of the deceased unitholder.

(3) In the absence of a valid nomination, the executor or administrators of the deceased unitholder or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only person recognised by the Trust as having any titled to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a unitholder(s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units standing to the credit of the deceased (after 1 year from the date of allotment of units) at the repurchase price ruling on the date on which all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

DETAILES OF THE EQUITY LINKED SAVINGS SCHEME 1997 (ELSS-97) CONTINUED

III.. Valuation of assets pertaining to this scheme :

1. Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of two months prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of two months prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

2. In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interst element, if any.

3. Unquoted equity and preference shares including those under lock-in period are valued at cost.

4. Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust.

5. Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the the value of warrants is taken as nil.

6. Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (4) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

7. Money Market instruments are taken at book value.

8. Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest Rates.

9. The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (8) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account..

10. Valuation of assets will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

IV. Determination of Net Asset Value (NAV)

The Net Asset value of the units issued under the scheme and the plan made thereunder shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the units under the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication at intervals not exceeding one month or at such intervals as may be approved by SEBI.

The computation and disclosure of NAV shall be as per the recommendations of the Expert Committee, as and when they are implemented.

V. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme and the plan made thereunder

The person who is registered as the unitholder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

VI Transfer/Pledge/Assignment of units

Transfer/Pledge/Assignment of units shall be allowed under the scheme after the lock in period of three years from the date of allotment of units. In the event of the division and/or disintegration of unitholding pertaining to HUF AOP, BOI during the lock-in-period or thereafter but before the termination of scheme, nothing contained

herein above shall be a bar to the applicability for the relevant law with respect to the said division or disintegration except otherwise specifically agreed to or stated and which are not contary to the said law, if any. The distribution of their income and the division of the unit among the members of HUF, AOP, BOI shall always be governed by the relevant law, if any, in force from time to time.

VII. Transfer of units subsequent to issue :

All units issued under the Scheme and outstanding are freely transferable after a period of 3 years from the date of allotment (i.e. from 1st April, 2000) subject to the following terms :

(a) The units certificate issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause III of the provisions of the plan.

The acceptance of the Transfer Deed and the admittance of the transferee as a unitholder under the scheme will be at the sole discretion of the Trust.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Scheme shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificate accompanies by such fee as may be prescribed from time to time by the Scheme shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of holders by the Registrars.

(f) The Registrar may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of transferor or his right to transfer units.

(g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispence with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the units certificate may be retained by the Registrars.

(i) The Registrars recognising ane registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate or certificates to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue of such a certificate or certificates.

(j) If a transferee becomes a holder of units is an official capacity, by operation of lay or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

VIII. Investment Objective and Policies :

(a) The funds collected under the Scheme shall be invested in equities, cumulative convertible preference shares and fully convertible debentures and bonds and warrants of companies. Investment may also be made in partly convertible issues of debentures and bonds including those issued on rights basis will be made subject to the condition that as far as possible the non-convertible portion of the debentures so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months.

(b) It shall be ensured that funds of Scheme shall remain invested to the extent of at least 80% in securities specified in clause (a). The Unit Trust shall strive to invest the funds in the manner stated above within a period of six months from the date of closure of sales of units. In exceptional circumstances, this requirement may be dispensed with by the Trust in order that the interest of the unitholders are protected.

(c) Pending investment of funds in the above required manner, the Trust shall invest the funds in short term money market instruments or other liquid instruments or both.

(d) After three years of the date of allotment of the units, the Trust may hold upto 20% of net assets of the Scheme in short term money market instruments and other liquid instruments to enable them to repurchase units of those unitholders who could be seeking to tender the units for repurchase.

(i) All bebt instruments in which investments are made by the Plan shall be rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time.

Provided that if the bebt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loan will be advanced by this Plan.

(iii) Investments by way of privately placed debentures, securitised bebts and other unquoted debt instruments shall not exceed 10% of the total assets of the Plan.

(iv) The Plan shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(v) Not more than 10% of the funds of all the Schemes/Plans of the Unit Trust taken together including this Plan shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(vi) Not more than 15% of the funds under all the Schemes/Plans of the Unit Trust including this plan shall be invested in the shares and debentures of any one industry.

Provided that provision shall not apply to a Plan which has been floated for investments in one or more specified industries and a declaration to that effect has been made in the offer letter.

(vii) Transfers of investment from this Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if

(a) Such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with investment objective of the Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(viii) The Plan shall not invest in or lend to another Scheme/Plan of the Trust unless otherwise permitted by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives.

(ix) The Plan shall not borrow funds to finance its investments, unless otherwise permitted by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives.

IX. Development Reserve Fund (DRF) contribution:

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Ressearch for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme and Human Resource Development efforts with long term effect and which may relate to the Trust's future activities.

X. Staff Welfare Trust Contribution:

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust.

The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

XI. Publication of Accounts:

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme and the plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the revenue accounts as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods.

The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, express and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

XIII. Additions and Amendments to the scheme and the plan made thereunder:

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and the plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

XIII. Termination of the scheme and the plan made thereunder:

(a) The scheme and the plan made thereunder shall stand finally terminated on 31-03-2007, i.e. at the close of the tenth year from the year in which the allotment of units is made under the Plan.

(b) If 90% or more of the units under the Plan are repurchased before completion of 10 years, the Trust may at its discretion terminate the Plan even before the stipulated period of ten years and redeem the outstanding units at the final repurchase price to be fixed by it.

Where the Plan is wound up in pursuance of Sub-clause (b) above the Trust shall given notice thereof to SEBI and in two daily newspapers having all India circulation and in a vernacular newspaper in Mumbai at least a week before the date of termination.

(c) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the Scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the Scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the Scheme.

(d) The Board of Trustees shall call a meeting of the unitholders to consider and pass necessary resolution by simple majority of the unitholders present and voting at the metting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(e) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the unitholders of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of Sub-clause (b) (i) above, shall in the first instance be utilised towards discharge of such liabiltles as are properly due under the

Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the unitholders in proportion to their respective interst in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(f) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the scheme.

(g) Notwithstanding anything contained herinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(h) After the receipt of the report referred to in clause XIII (f) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(i) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate duly discharged has been recived by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate duly discharged and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XIV. Power to construe provisions :

If any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the scheme and the plan made therunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the scheme and the plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and the plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final.

The provisions of the scheme formulated herein and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XV. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the scheme and the plan made thereunder, relax any of the provisions of the scheme and the plan made thereunder in case of any unitholder or class of unitholders upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the offer document shall be with prior approval of SEBI.

XVI. Scheme and plan made thereunder to be binding on unitholders :

The terms of this scheme and the plan made thereunder, including any amendments, changes thereto from time to time, shall be binding on each unitholder and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the scheme and plan made thereunder.

XVII. Benefits to the unitholders :

All benefits accruing under the scheme and the plan made thereunder in respect of capital, resrves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme and the plan made thereunder shall be available only to the unit holders who hold the units for the full term of the scheme and plan made thereunder till its closure.

XVIII. Tax laws applicability

Under Section 88 of the Income Tax Act, 1961 investment made in the units of MEP'97 will qualify for tax rebate of 20% of the amount invested (subject to a maximum of Rs. 10,000/-). In other words, 20% of the amount invested (subject to maximum ofRs.10,000/-) will be deductible from the tax payable, if any, by the investor.

Any other income or capital gain from the units will be chargeable to tax as per prevalent tax laws. Currently, income from units under all schemes of the Trust including MEP'97 will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 15,000/- under section 80L of Income Tax Act 1961 and long term capital gains arising out of the Plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of Income Tax Act 1961.

Value of investment in the scheme is fully exempt from Wealth Tax.

Deduction of Tax at Source, if any, will be as per the prevalent Tax laws.

XIX. Rights of unitholders :

1. Unitholders under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared, if any by the Plan.
2. The Unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Unitholders.
3. The Unitholders are entitled to have the dividend warrants sent to them within 42 days of the date of declaration of the dividend, if any.
4. Unitholders have the right to get the units transferred within a period of 30 days.
5. The Unitholders have the right to inspect all documents listed undtr the heading "Documents available for inspection".

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration.

The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s. Kalyaniwalla & Mistry, Maneckji Wadia Building, 127, Mahatma Gandhi Road, Mumbai have been appointed as the auditors by the IDDI. The auditors are subject to change from year to year.

Investor Complaints

The no. of complaints received and redressed schemewise for the period July 1995 to September 1996 are appended below :

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	2907	2820	87	2.99%
CGGF	19868	19212	656	3.30%
CGS-83	22480	22284	196	0.87%
CGUS-91	2904	2860	44	1.52%
CRTS	169	165	4	2.37%
DIUP-93	235	210	25	10.64%
DIUP-95	722	667	55	7.62%
DIUS-90	1339	1334	5	0.37%
DIUS-91	1559	1539	20	1.28%
DIUS-92	969	954	15	1.55%
IISFUS	5	5	0	0.00%
GCGI	5318	4655	663	12·47%
GRANDMASTER-93	310	290	20	6·45%
GMIS-91	2738	2575	163	5.95%
GMIS-92	1378	1301	77	5.59%
GMIS-92(II)	774	736	38	4.91%
GMIS-B-92	174	150	24	13.79%
GMIS-B-92(II)	739	731	8	1.08%
GRIHALAKSHMI U.P.-94	1927	1811	116	6.02%
HOUSING UNIT SCHEME	328	289	39	11.89%
MEP-91	5050	4625	425	8.42%
MEP-92	46836	46193	643	1.37%
MEP-93	2518	2478	40	1.59%
MEP-94	4389	4301	88	2.01%
MEP-95	27530	27466	64	0.23%
MEP-96	189	167	22	11.64%
MASTERGAIN-92	17553	15885	1668	9.50%
MASTER GROWTH-93	1623	1502	121	7.46%
MIP-93	1623	1604	19	1.17%
MIP-94	1147	1126	21	1.83%

Scheme Name	No. of Companies			Pending To Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
MIP-94(II)	1703	1659	44	2.58%
MIP-94(III)	605	582	23	3.80%
MIP-95	2808	2684	124	4.42%
MIP-95(II)	3851	3627	224	5.82%
MIP-95(III)	6693	6372	321	4.80%
MIP-96	896	777	119	13.28%
MIP-90(I)	510	374	136	26.67%
MIS-90(II)	1175	1080	95	8.09%
MIS-B-93	872	860	12	1.38%
MISG-91	1607	1517	90	5.60%
MASTERPLUS-91	5915	5709	206	3.48%
MASTERSHARE-86	29980	25693	4287	14.30%
OMNI-PLAN	75	63	12	16.00%
PEF-95	814	684	130	15.97%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	3870	3602	268	6.93%
RAJLAKSHMI U.P.	10438	10044	394	3.77%
SENIOR CITIZEN U.P.	1642	1553	89	5.42%
UGS-2000	60364	57268	3096	5.13%
UGS-5000	12664	10408	2256	17.81%
ULIP-71	15761	13690	2071	13.14%
US-64	628393	598040	30353	4.83%
US-92	407	405	2	0.49%
US-95	4	4	0	0.00%
TOTAL	966348	916630	49718	5.14%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non-compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to investor/bank/Registrars to resolve the same.

All investors could refer their grievance giving full particulars of investment to the concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre I, 28th Floor,
World Trade Centre, G D Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005
Tel : 2180172/2181600

EASTERN ZONE :
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta 700 001
Tel : 2434581.

SOUTHERN ZONE :
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Madras 600 001
Tel : 517101 Ext.360/364

NORTHERN ZONE :
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, 2nd floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi 110 002.
Tel : 332 9860

REGISTRARS

UTI Investors' Services Ltd. have been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, despatch of certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints. *Processing of applications and after sales services will be handled from four main branches of the Registrars* :

West Zone : Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai 400059.

East Zone : 2, Fairlie Place, 1st Floor, P.B. No. 60, Calcutta 700 001.

South Zone : Justice Basheer Ahmed Syed Building 45, Second Line Beach, Madras 600 001.

North Zone : Tej Building, 3rd Floor, 8, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110 002.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020

* The UTI Act
* The General Regulations
* The aggreements with the custodians registrars and collecting banks.
* Copy of Offer Document of MEP 97.

Details of Previous Master Equity Plans of UTI

Plan	MEP'91	MEP'92	MEP'93	MEP'94	MEP'95	MEP'96
Date of Commencement	01-04-1991	01-04-1992	01-04-1993	01-04-1994	01-04-1995	01-04-1996
Date of Termination	31-03-2001	31-03-2002	31-03-2003	31-03-2201	31-03-2005	31-03-2006
Amount Collected	Rs. 285 Cr.	Rs. 1297 Cr.	Rs. 392 Cr.	Rs. 735 Cr.	Rs. 1162Cr.	Rs. 190 Cr.
No. of Applications	3,85,836	17,96,031	5,59,224	9,85,511	14,72,918	2,33,867

(Rs. in Lacks)

Historical Statistics	1991-92		1992-93			1993-94			
	MEP' 91	MEP' 92	MEP' 91	MEP' 92	MEP' 93	MEP' 91	MEP' 92	MEP' 93	MEP' 94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(A) Gross Income	7,425.64	52,603.65	1,335.06	3,571.45	1,331.92	10,323.42	4,415.51	1,367.03	702.76
(B) Expenses (Including provisions for doubtful assets)	570.89	1,135.13	81.48	760.79	365.38	179.92	664.16	256.82	433.50
(C) Net Income	6,854.75	51,468.52	1,253.58	2,810.66	966.54	10,143.50	3,751.35	1,110.21	269.26
(D) Dividends	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(E) NAV (per unit) —at the beginning	10.59	—	24.95	11.97	—	19.06	10.66	10.31	—
—at the end of the year	24.95	11.97	19.06	10.66	10.31	37.87	21.54	19.64	10.98
(F) Expenses to average monthly net assets (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(G) Portfolio turnover rate	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(H) Market price —Highest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—Lowest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(I) Repurchase Price —Highest	—	—	—	—	—	34.35	—	—	—
—Lowest	—	—	—	—	—	33.10	—	—	—
(J) Sale Price —Highest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—Lowest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(K) No. of Units O/s at the end of the period (in lakh)	2,863.06	12,519.94	2,859.36	12,743.68	3,923.27	2,418.09	12,735.92	3,929.27	7,298.06

(Rs. in Lacs)

1994-95					1995-96					
MEP'91	MEP'92	MEP'93	MEP'94	MEP'95	MEP'91	MEP'92	MEP'93	MEP'94	MEP'95	MEP'96
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
19,111.21	10,761.23	1066.92	11,172.02	1,298.70	4,278.75	25133.60	4,919.38	9,943.99	8,447.17	402.38
412.08	1,219.02	237.03	14,614.10	5,861.06	155.82	1,591.58	491.88	387.14	607.58	144.58
18,699.13	9,542.21	829.89	—13,442.08	—4,562.35	4,122.93	23,542.02	4,427.50	9,556.85	7839.59	257.80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.87	21.54	19.64	10.98	—	28.01	15.44	14.48	8.21	9.61	—
28.01	15.44	14.48	8.21	9.61	30.26	17.59	16.50	9.51	11.57	12.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	14.25	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.00	—	—	—
39.80	15.95	—	—	—	29.45	21.90	—	—	—	—
25.35	14.30	—	—	—	17.00	12.45	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,658.30	11,709.20	3,927.90	7,372.90	11,597.10	1,447.02	9,254.14	3,492.94	7,370.25	11,577.96	1,966.27

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020, Tel. 206 8468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel. 218 1600. *Eastern Zone* : 2, Fairlie Place, 2nd Flr., Calcutta-700 001. Tel. 220 9391. *Southern Zone* : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517 101. *Northern Zone* : Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connought Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

Ahmedabad : B.J. House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahmedabad-380 009. Tel. : 642 3043. *Baroda* : 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda-390 015. Tel. : 332 481. *Bhopal* : 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462-001. Tel : 558 308. *Indore* : City Centre, 2nd Flr., 570, M.G. Mary, Indore-452 001, Tel. : 22796. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Gulmohor Cross Marg No. 9, Andheri (W) Mumbai-400 049. Tel. : 620 1995. *Mumbai* : (2) Persepolis Bldg., 3rd Flr., Above Aandhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel. : 7-672607. *Mumbai* : (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamashedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 285 0821. *Mumbai* : (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr., S.V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel : 802 0521. *Mumbai* : (5) Sagar Bonanza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel. : 516 2256. *Kolhapur* : Ayodhya Towers, C.S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001, Tel : 657 315. *Nagpur* . Shree Mohini Complex, 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel. : 536-893. *Nasik* : Sarda Sankul, 2nd Flr., M.G. Marg, Nasik-422 001. Tel. : 72166. *Panaji* : E.D.C. House, Ground Flr., Dr. A.B. Marg, Panaji, Goa, 403 001. Tel. : 222 472. *Pune* : Sadashiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel. : 325 954. *Rajkot* : Lallubhai Centre, 4th Flr., Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel. : 35112. *Surat* : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 0011. Tel. : 434 550 *Thane* : UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel. : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubneshwar : OCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24, Janpath, Khravela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel. : 410 995. *Calcutta* : 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. *Durgapur* : 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel : 4831. *Guwahati* : Jeevan Deep, M.L. Nehru Marg, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543131. *Jameshedpur* : 1-A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425 508. *Patna* : Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel. : 235 001. *Siliguri* : Jeevan Deep, Ground Flr., Gurunanak Sarani, Siliguri 734 401. Tel. : 24671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Marg, Bangalore-560 009. Tel. : 2263739. *Cochin* : Jeevan Prakash, 5th Flr., M.G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel. : 362 354. *Coimbatore* : Cheran Towers, 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel. : 214 973, *Hubli* : Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel. : 363 963. *Hyderabad* : 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel. : 511 095. *Madras* : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517 101. *Madurai* : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Tirupparakundram Marg, Maudrai-625 001. Tel. : 38186. *Mangalore* : Siddhartha Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel. : 426 258. *Thiruvanathapuram* : Swastik Centre, 3rd Flr., M.G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel. : 331415. Trichy : 104, Salai Marg, Woraiyur, Thiruchirapalli-620 003. Tel : 27060. *Trichur* : 28/876/77 West Pallithamam Bldg. Karunakaran Nambiar Marg Round North, Trichur-680 020. Tel : 331259. *Vijaywada* : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, *Vijaywada*-520 002. Tel. : 74434. *Vishakhapatnam* : Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/6. Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel. : 54408. *Allahabad* : United Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel. : 50521. *Amritsar* : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Flr., Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel. : 210367. *Chandigarh* : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel. : 543683. *Dehradun* : 2nd Flr., 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001. Tel. : 26720. *Faridabad* : B- 614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel. : 210010. *Ghaziabad* : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel. : 752040. *Jaipur* : Anand Bhavan, 3rd Flr., Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel. : 365212. *Kanpur* : 16/79-E, Civil Lines Kanpur-208 001. Tel. : 317278. *Lucknow* : Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel : 232501. *Ludhiana* : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel. : 400373. *New Delhi* : Gulab Bhavan, 2nd Flr., 6, Bahadurshah Jafar Marg, New Delhi-110 002. Tel. : 3318638. *Shimla* : 3, Mall Marg, 1st Flr., Above Jankidas & Co. Dept. Store, Shimla-171 002 Tel : 4203. *Varanasi* : 1st Flr., D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001 Tel. : 54306.

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th December 1996

No. U-16/53/94-Med.II(W.B.).—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation, at its meeting held on 25th April 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations 1950, I hereby extend the services of Dr. (Mrs.) Archana Roy (Bhattacharjee) of Serampore centre to function as medical authority for further one year (w.e.f. 1-1-97 to 31-12-97) or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Serampore centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons and the area to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (East Zone) Calcutta, for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certification to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 22nd December 1996

No. A-12 (11)-8/83-Estt. I(A).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2-A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948 as amended) and in partial modification of the ESI Corporation Director (Public Relations) Recruitment Regulations 1981, except in respect of things done or ommitted to be done before such modification, the Corporation hereby makes, with the approval of the Central Govt., the following Regulations regulating the method of Recruitment to the post of Director (Public Relations) in the ESI Corporation namely :—

1. Short title & Commencement :

(i) These regulations may be called the ESI Corporation Director (Public Relations) Recruitment (Amendment) Regulations, 1996.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Number of Posts, Classification & Scale of Pay :

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to these regulations.

3. The method of Recruitment, Age Limit, Qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in column 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification :

No Person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts, provided that the Director General of the Corporation, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to relax :

Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, after taking prior approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of person.

6. Residuary Matters :

Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and instructions laid down in E.S.I. Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 as amended from time to time, applicable to the corresponding category of officers in the Corporation, shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these regulations.

7. Savings :

Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBCs and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

S. K. SHARMA
Director General

THE SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualification reqd. for direct recruits	Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Director (Public relations)	01* (1995) ***SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORK-LOAD**	Group A	3700-125-4700-150-5000/-	Not applicable	Not exceeding 50 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Govt.) NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)	No	ESSENTIAL (i) Degree of a recognised University or equivalent and have studied Hindi and English upto Secondary School level. (ii) 8 years Experience in the field of Public Relations. NOTE: 1. Qualifications are relaaxble at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified. NOTE :2. The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. DESIRABLE Degree/Diploma in Mass Communication from a recognised Institution or equivalent.	Not applicable

(PUBLIC RELATIONS) IN E.S.I. CORPORATION

Period of probation if any	Method of Rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & % of the vacancy to be filled by various methods.	In case of Rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making rectt.
10	11	12	13	14
1 year for Direct Recruits.	Transfer on Deputation (including short-term contract)/Transfer failing which by Direct Recruitment. NOTE : The suitability of the existing regular incumbent of the post of Director (Public Relations) in the pre-revised scale of Rs. 1300—1700/- prior to upgradation of the post in the scale of Rs. 3000—5000/- (Revised) to the pay scale of Rs. 3700—5000/- will be initially assessed by the commission for appointment to the upgraded post. If assessed suitable, he shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'Not suitable' for appointment to the upgraded scale of pay, he shall continue to be in the scale of Rs 3000—5000/- and his case will be reviewed every year.	Transfer on Deputation (Including Short-Term Contract)/Tranfer Officers under the Central/State Govts./UTs/Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings : A (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With four years' regular service in posts in the scale of Rs. 3000—5000 or equivalent; OR (iii) With five years' regular service in posts in the scale of Rs. 3000—4500/- or equivalent; AND B. Possessing the Educational Qualifications and experience prescribed for Direct recruits under column 8. NOTE : Only Officers of the Central/State Govts./U.T. Administrations are eligible for transfer. [Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.]	Group 'A' DPC for considering Confirmation 1. Director General, ESIC : CHAIRMAN 2. Insurance Commissioner, ESIC : MEMBER NOTE : The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

CANTONMENT BOARD

Kanpur, the 25th September 1996

S.R.O. O.S./65.—WHEREAS, a notice of draft notification relating to the imposition of Conservancy Tax which the Cantonment Board, Kanpur proposes to impose in exercise of the powers conferred by Section 60 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), was published on 8th August, 1996, and a copy thereof affixed in a conspicuous part of the Cantonment Board, Kanpur as required by section 61 read with section 255 of the said Act, inviting objections and suggestions from all persons likely to be effected thereby till the expiry of thirty days from the date of publication of the said notice;

AND WHEREAS the objections received were considered by the Cantonment Board, Kanpur in its meeting held on 23rd September, 1996;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), the Cantonment Board, Kanpur with the previous sanction of the Central Government, hereby levy a tax to be known as Conservancy Tax at the rate of 1% (one per cent) per annum on the Annual Rental Value of a house, and or each tenament thereof, assessed for the purpose of house tax.

HARISH PRASAD
Cantonment Executive Officer,
Kanpur

Deolali, the 12th December 1996

S. R. O. 646/ADM/E. 1.—Whereas a Public Notice regarding Revision/Modification to the existing Schedule of Octroi rates within the limits of Deolali Cantonment was published locally, as required by section 61 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) on 18-09-1995 for inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas all the objections and suggestions received by Cantonment Board, Deolali within the stipulated period of thirty days have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the said Act, and in supersession of the Notification No. 646/ADM/E-1 dated 15 Nov. 1980, the Cantonment Board, Deolali with the previous approval of the Central Government hereby impose revised rates of Octroi Tax (Without Refund) on goods, animals and vehicles brought within the limits of the Deolali Cantonment for consumption, use or sale therein, at the rates specified in the Schedule annexed hereto :—

SCHEDULE OF NON REFUNDABLE OCTROI

S. No.	Description of Articles	Rate per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
CLASS I			
1. (A)	All grains such as; Corn (Indian Maka), Nachani, Vari Husked & unhusked, Satu/or Indian Barli, Mutki, Kulith, Rajgira and other similar grains & dals not specified elsewhere.	0.50	
(B)	Grains and dals such as Bajri, Jawari, gram & Gram Dal, Mung & Mug Dal, Rice husked and unhusked, Masur & Masur Dal, Peas, Poppy, seed Turi & Tur dal, Udit, Udit dal & Wheat.	0.50	
2.	Akhrot (with and without shell)		3.00
3.	Almond (with and without shell)		3.00
4.	Amsul		3.00
5.	Apple	2.00	
6.	Arrowroot		3.00
7.	Bacon		3.00
8.	Backing Powder		3.00
9.	Betul Nut (Supari)		3.00
10.	Ber	2.00	
11.	Betul Leaves (Pan)	3.00	

S. No.	Description of Articles	Rate Per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
12.	Bhusa of all Kinds	0.50	
13.	Biscuits		3.00
14.	Bournvita		3.00
15.	Butter Biscuits		3.00
16.	Butter (Loni)	20.00	
17.	Cakes		3.00
18.	Carbonic Acid Gas (Big and Small Cylinder)		3.00
19.	Castor Oil (Unperfumed)		3.00
20.	Chakka		3.00
21.	Charoli		3.00
22.	Cheeku	2.00	
23.	Cheese		3.00
24.	Cherries		3.00
25.	Chillies (green & dry)	1.00	
26.	China Grass	0.50	
27.	Chivada		3.00
28.	Chocolates		3.00
29.	Chuni of all kinds	1.00	
30.	Coconut green and coconut with shell	2.00 (for 100 Nos.)	
31.	Coconut oil (refined/unrefined) and other refined edible oils.		0.50
32.	Coffee seeds and powder		3.00
33.	Cold drinks of all kinds		3.00
34.	Confectionary of all kinds		2.00
35.	Coriander seeds (Dhania)		2.00
36.	Corne cobs (Indian)	2.00	
37.	Corn fle of Corn flour	1.00	
38.	Cotton seeds		2.00
39.	Curd		3.00
40.	Curry Powder		3.00
41.	Custard Powder		3.00
42.	Dalim (Pomegranate)	2.00	
43.	Date fresh (wet & dry) (Taja & Pend Khajur and kharik)		2.00
44.	Dried fruits of all sorts and their cakes		3.00
45.	Dron		3.00
46.	Eggs		2.00
47	Erandi oil (unrefined/refined)		2.00
48.	Essence of all kinds		3.00
49.	Fig dried		3.00
50.	Fig fresh	2.00	

S. No.	Description of Articles	Rate Per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
51.	Fish (iced/dry/fresh)	2.00	
52.	Fish Manure		3.00
53.	Flour of all kinds	1.00	
54	Gajar (carrot)	2.00	
55	Garlic (Lasun)		2.00
56.	Ghee	10.00	
57.	Ginger Fresh (Adrak)	5.00	
58.	Glucose		3.00
59.	Grass of all kinds/green fodder of all kinds.	0.50	
60.	Groundnut oil (refined/unrefined)		0.50
61.	Groundnut (with and without shell)	1.00	
62.	Guava	2.00	
63.	Ham		3.00
64.	Hamp seed		3.00
65.	Honey		3.00
66.	Horse food (not locally grown and not specified elsewhere)	1.00	
67.	Ice		2.00
68.	Ice Cream		3.00
69.	Jaggery (Gud)		1.00
70.	Juice of all kinds		3.00
71.	Kabdi	0.50	
72.	Kaju (fresh & dried)		2.00
73.	Kakdi	2.00	
74.	Kakwi		1.00
75.	Kardi oil (refined/unrefined)		0.50
76.	Kharbuja	2.00	
77.	Khobra (Kopra)		2.00
78.	Khawa		2.00
79.	Kismis		2.00
80.	Lahyas of all kinds	1.00	
81.	Leaf (Double Roti)		2.00
82.	Linseed oil (except boiled linseed oil)		3.00
83.	Macaroni		3.00
84.	Maida	1.00	
85.	Malai		3.00
86.	Mango green/grafted/desh (Kairi)	2.00	
87.	Manuka		2.00

S. No.	Description of Articles	Rate Per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
88.	Manure (Khat)		4.00
89.	Meat		2.00
90.	Methi seed		2.00
91.	Milk, condensed milk, cow & Gatem, Nespro/Milk powder.		2.00
92.	Murmuras and all kinds of parched grains	1.00	
93.	Murabbas		3.00
94.	Mustard oil		1.00
95.	Mustard seed		3.00
96.	Oats		2.00
97.	Ongan oil	2.00	
98.	Oils unrefined and unperfumed country except boiled linseed oil.		1.00
99.	Oil cakes of all kinds	1.00	
100.	Oil seeds of all kinds (not specified elsewhere)		2.00
101.	Onion dried	2.00	
102.	Orange	2.00	
103.	Papad khar		3.00
104.	Papad of all kinds		1.00
105.	Onion fresh	2.00	
106.	Patravali		3.00
107.	Peaces	2.00	
108.	Pears	2.00	
109.	Papermint		3.00
110.	Phutenas	1.00	
111.	Pickles of all kinds		2.00
112.	Provision of all kinds (not specified elsewhere)		2.00
113.	Potatoes	2.00	
114.	Pineaple	2.00	
115.	Pista seeds/pista with shells		2.00
116.	Plantains/bananas	2.00	
117.	Plantain leave and other leaves used for dining or eating.		3.00
118.	Ramphal	2.00	
119.	Rava	1.00	
120.	Saccharine		2.00
121.	Sago		2.00
122.	Sitaphal	2.00	
123.	Soyabin (spices of all sorts) (not specified elsewhere)		2.00
124.	Sugar, Sugar Candy, Sugar Khandsari		1.00
125.	Sugarcane	1.00	
126.	Sweet oil (refined/unrefined)		0.50
127.	Tallow (Charbi)		3.00
128.	Tamarind	1.00	
129.	Tea of all kinds incl. tea dust, leaves and stalk.		3.00
130.	Tinned food of all kinds		3.00
131.	Tinned fish/meat of all kinds		3.00
132.	Toffee		3.00
133.	Tomatoes	1.00	
134.	Vegetable ghee of all kinds	10.00	
135.	Vegetable of all kinds (not specified elsewhere)	1.00	
136.	Vineagar		3.00
137.	Zardaloo		2.00

S. No.	Description of Articles	Rate Per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
	CLASS II : ARTICLES USED FOR LIGHTING, WASHING & LUBRICANTS ETC.		
1.	Alum		3.00
2.	Aviation spirit and all kinds of spirit		3.00
3.	Bleaching powder		3.00
4.	Burshane and Natural gas and other similar gases for heating, cooking etc.		3.00
5.	Calcium Carbide		3.00
6.	Carbide Lamps		3.00
7.	Charcoal & coke		3.00
8.	Coal, Coal ash, coal dust		3.00
9.	Cooker and similar articles used for lighting, cooking & heating and their parts other than those worked with electricity.		3.00
10.	Fire Extinguishers		3.00
11.	Fire wood	1.00	
12.	Fire works incl. coloured matches & crackers		3.00
13.	Grease		3.00
14.	Gas lamps of all kinds		3.00
15.	Heater (Shegdi)		3.00
16.	Incandescent lamps and their parts		3.00
17.	Kerosene Oil		0.50
18.	Lamps, lamp wates and Lanterns		3.00
19.	Lubricating oil other than oils from seeds		3.00
20.	Petrol		2.00
21.	Petroleum Jelly & other petroleum products (not specified elsewhere)		3.00
22.	Sealing wax/wax/wax candles		3.00
23.	Soap chips/soap flakes (ordinary), soap medicated, soap powder washing soap.		3.00
24.	Toilet soaps of all kinds		3.00
25.	Starches of all kinds		3.00
26.	Stove, similar articles used for lighting, heating & their parts other than those worked with electricity.		3.00
27.	Shikakai		3.00
28.	Rita (Soap Nut)		3.00
29.	Vaseline of all kinds		3.00
30.	Vim/Washing Soda		3.00
	CLASS III		
1.	Articles made from coirmatting		3.00
2.	Articles made from Jute/Narial Jata		3.00
3.	Articles made from Tadpatri		3.00
4.	Asbestos, articles made therefrom.		3.00
5.	Asbestos sheets		3.00
6.	Asphalt		3.00
7.	Bamboo tatties and articles made thereof.		3.00
8.	Bamboo of all kinds		3.00
9.	Bangalore woolen carpets		3.00
10.	Beams of ordinary wood/mohagani/oak/teakwood		3.00
11.	Boiler Composition		3.00

S. No.	Description of Articles	Rate per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
12.	Bottles empty		3.00
13.	Buffing wheels		3.00
14.	Bitumen		3.00
15.	Building stones (ordinary)		3.00
16.	Brooms/brooms sindhi/brooms made from dead leaves		3.00
17.	Canes for chair, seats etc., canes split and articles made thereof, canes unsplit.		3.00
18.	Cement, cement blocks & tiles, sheets		3.00
19.	China clay, articles made from it, china wares, china pipes.		3.00
20.	Coaltar		3.00
21.	Coconut brooms/brushes/fibres/leaves		3.00
22.	Coloured earth of all kinds, colour dry of all sorts incl, colour tubes,		3.00
23.	Cotton waste		2.00
24	Country bricks (mud. burnt or unburnt)/country tiles.		3.00
25.	Crockery		3.00
26.	Cut stone for building purposes and other purpose.		3.00
27.	Distempers of all kinds		3.00
28.	Earthen ware & earthen ware pipes		3.00
29.	Emery clothes/powder/stone/wheels		3.00
30.	Enamel paints/enamel wares		3.00
31.	Fibres not specified elsewhere		3.00
32.	Fire clay/fire clay bricks/fire clay bricks crucible		3.00
33.	French Polish		3.00
34.	Furniture of all kinds & cabin glass ware of all kinds.		3.00
35.	Glass bangles/glass sheets & glass ware of all kinds		3.00
36.	Gunny bags/gunny clothes		3.00
37.	Habak		3.00
38.	Hemp		3.00
39.	Jungle wood rafters		3.00
40.	Lambi slacked and unslacked		3.00
41.	Lime stone		3.00
42.	Mangalore tiles		3.00
43.	Marbles stones and similar stones and articles made of such stonnes, marble chips and dust.		3.00
44.	Metal (road making)		3.00
45.	Mirrors		3.00
46.	Murum		3.00
47.	Paints of all kinds incl. Motor and rubber paints/painting oils of all kinds.		3.00
48.	Phenyle		3.00
49.	Plaster of all sorts and articles made, plaster of paris ware, plastic and plaster wares other than toys.		3.00
			3.00
50.	Plastic toys		3.00
51.	Plywood		3.00
52.	Polish of all kinds		3.00
53.	Roofing felt		3.00
54	Rope and articles made out of fibre not specified elsewhere		3.00
55.	Ropes made out of cotton		3.00
56.	Rubble stone		3.00
57.	Sand		3.00
58.	Sanitary wares		3.00

S. No.	Description of Articles	Rate per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
59.	Scientific glass equipments of all kinds		3.00
60.	Steel and zinc furniture		3.00
61.	Stone powder		3.00
62.	Shahabad stonnes		3.00
63.	Teakwood & teakwood articles of all kinds		3.00
64.	Turpentine/thinner of all sorts/warnish and paints		3.00
65.	Window with and without frame, window panel wooden, wooden door or handles, wooden box, wooden pegs, wooden photoframes, wooden packing boxes, wooden tubes.		3.00
66.	MS Tarstalls round bar and sanctions		3.00
CLASS IV :	MEDICINES, CHEMICALS, COLOURS, ORNAMENTS & TOILET GOODS ETC.		
1.	Agarbatti		3.00
2.	Abir		3.00
3.	Acid of all kinds (not specified elsewhere)		3.00
4.	Aluminium Posder		3.00
5.	Amonium Chloride/Oxide/Phosphate		3.00
6.	Aromatic Chemicals Scents		3.00
7.	Big Ilaichi (Cardamom)		2.00
8.	Benzoine (Ud)		3.00
9.	Borax		3.00
10.	Camphor (Kapur)		3.00
11.	Caustic Soda		3.00
12.	Chemical Fertilizers		3.00
13.	Chloride of Potash		3.00
14.	Cinemon (Dalchini)		2.00
15.	Cloves (Lavang)		2.00
16.	Cream of all kinds (except Milk Cream)		3.00
17.	Copper Sulphate		3.00
18.	DDT Liquid or Powder		3.00
19.	Distilled Water		3.00
20.	Essences of all kinds		3.00
21.	Gold		3.00
22.	Ginder dry (Sunth)		2.00
23.	Gripe water of all kinds		3.00
24.	Gums of all kinds		3.00
25.	Hing (Asafoetida)		2.00
26.	Haldi (Turmeric)		2.00
27.	Iron Sulphate		3.00
28.	Isabgol		3.00
29.	Jaypatri (Mace), Jayphal (Nutmeg)		2.00
30.	Katha (Catechu)		3.00
31.	Karanji Oil		1.00
32.	Lac/Lac bangles		3.00
33.	Lipstic & Nail Polish		3.00
34.	Liquid Parafin		3.00
35.	Medicated wines of all kinds		3.00
36.	Medicines of all kinds		3.00
37.	Mercury		4.00
38.	Musk (Kasturi)		4.00

S. No.	Description of Articles	Rate Per 100 Kgs. Rs.	Advalorem Rs.
39.	Methylatd or denatured spirit		3.00
40.	Pan Masala		3.00
41.	Perfumed hair remover of all kinds not specified elsewhere/perfumed oils of all kinds/perfumery of all kinds.		3.00
42.	Precious stones of all sorts		3.00
43.	Ral (Resin)		2.00
44.	Safron (Keshar)		3.00
45.	Shendur (Red Lead)		3.00
46.	Sandal Oil		3.00
47.	Sandal wood articles/chips		3.00
48.	Sahajira		2.00
49	Shaving cream/soap/stic		3.00
50	Shilras & Shilajit		3.00
51.	Silver/Silver wares/ornaments		3.00
52.	Talcum Powder of all kinds		3.00
53.	Toilet products of all kinds (not specified elsewhere)		3.00
54.	Tooth brushes of all kinds/tooth paste/tooth powder		3.00
55.	Ultramarine blue of all kinds		3.00
56.	Wala (Khaskhas)		2.00
	CLASS V : TOBACCO ARTICLES AND WINES.		
1	Ale not manufactured in India		3.00
2	Beer		3.00
3	Bidi leaves		3.00
4	Bidi tobacco		3.00
5	Cig/Cigaratte of all kinds		4.00
6	Country Bidi		3.00
7	Country Zarda		3.00
8	Liquor		3.00
9	Loose cigaratte tobacco/pipe tobacco of all kinds		4.00
10	Scented chewing tobacco		4.00
11	Scented Zarda of all kinds		4.00
12	Snuff of all kinds		3.00
13	Wines (not manufactured in India)		3.00
	CLASS VI : ANIMALS AND BIRDS.		
1	Buffallo	3.00 per head	
2	Camel	10.00 per head	
3	Cows	3.00 per head	
4	Donkey	3.00 per head	
5	Duck	0.50 per head	
6	Elephant	10.00 per head	
7	Fowls	0.50 per head	
8	Goat	1.00 per head	
9	Horse	3.00 per head	
10	Pigs & other quadrupeds (not specified elsewhere)	3.00 per head	
11	Sheep	1.00 per head	

S. No.	Description of Articles	Rate per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
	CLASS VII ; PIECE GOODS & TEXTILE FABRICS, APPARAL LEATHER AND ARTICLES MADE OF LEATHER, RUBBER AND GUTTAPARCHA, PLASTIC, CELLULOID, HABERDASHERY AND STATIONERY.		
1	Accounting machine		
2	Animal hair incl. bristle		
3	Art leather		
4	Articles made of Celluloid sheets		3.00
5	Guttaparcha, Mica sheets, Linolium & Plastic		
6	Articles of all kinds made of leather		
7	Artificial silk fabrics		2.0)
8	Babies cradles made of canvas or nawar fitas		3.00
9	Bags of paper		
10	Beads		
11	Boot polish of all kinds		
12	Book binding cloth		
13	Boot made of leather & rubber		
14	Brighteners		
15	Bromo papers		3.))
16	Buushes of all kinds		
17	Buttons		
18	Boots made of canvas		
19	Canvas belting		
20	Canvas or similar made cloth articles		
21	Caps of all kinds and their material		2.00
22	Chappals made of canvas		3.00
23	Cloth made of all kinds incl. dhoties and saries		2.00
24	Cloth made of celluloid sheets, Mica sheets, Guttaparcha, liuoleum & Plastic.		2.00
25	Course cotton carpet		2.00
26	Celluloid articles		
27	Celluloid sheets		
28	Chalk stics of canvas		
29	Chrome leather and articles made thereof		3.00
30	Combs of all kinds		
31	Corks/cork sheets		
32	Cotton cloth carpets and rags		2.00
33	Cotton yarn of high quality		2.00
34	Cotton yarn other than hand spun		2.00
35	Country carpet		2.00
36	Cut pieces and rags of cotton, silk, wool or woolen		2.00
37	Cotton goods (hand spun and hard wooven khadi exempted)		2.00
38	Cotton waste		2.00
39	Dress and equipments used for sports and games both indoor & outdoor, nets and guts for all games except those specified elsewhere.		2.00
40	Cutting of old tyres usable as tyres of vehicles or soles of shoes and chappals.		3.00
41	Barbells, Bard, Carrum Boards, Cricket mattings, iron dumbels, parallel board, sliding ladders, sisal ropes, sports, zula, screens, sisal strings, iron throw balls and similar heavy articles of sports and games incl. sorts of Indoor games.		3.00

S. No.	Description of Articles	Rate per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
42	Drumps empty		3.00
43	Duplicators		3.00
44	Darries		2.00
45	Embroidery of all kinds		2
46	Earthen country toys		3.00
47	Fancy goods of all sorts		3.00
48	Hair pins/hair belting		3.00
49	Hard board		3.00
50	Hats or felt, hats (cotton, silk or wool)		2.00
51	Holdals and bags except those mentioned elsewhere		2.00
52	Hose pipes		3.00
53	Hand woven and hand spun cloth out of hand spun yarn		2.00
54	Human hair incl. bristles		3.00
55	Hosiery goods of all kinds		2.00
56	Ivory/ivory articles		3.00
57	Leather boots or shoes/chappals/leather articles		3.00
58	Manufacture articles of cloth & dresses		2.00
59	Marbles		3.00
60	Military stores, military condemned articles & clothes such as boots, canvas chholdries, cotton, durries, ground sheets, leather scraps, sadlery, linen, tarpaulines, tents, woolen blankets and similar condemned articles, military equipments not in good condition if accompanied by a military auction or sale certificate.		3.00
61	Packing papers/papers of all kinds		3.00
62	Periodicals except daily newspapers and Government publications and school and college books.		3.00
63	Raw rubber/rexine cloth		3.00
64	Silk, silk fabrics, silk yarn, silkan incl. silk shawls.		2.00
65	Stationery of all kinds		2.00
66	Textile fabrics		2.00
67.	Toys of all kinds, except those specified elsewhere		3.00
68.	Typewriters and its parts		3.00
69.	Umbrellas		2.00
70.	Woollen yarn/cloth & all woolen cloth articles		2.00
71.	Saries of all kinds (imported/exported)		2.00
CLASS VIII :	METALS AND ARTICLES WHOLLY OR PARTLY OF METAL MACHINERY.		
1.	Angle, iron bars and rounds, beams flats, galvanised iron ingots, iron patties and slags, steel metal sheets and T iron except those specified elsewhere.		3.00
2.	Iron scraps		3.00

S. No.	Description of Articles	Rate per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
3.	All articles of galvanised iron, iron or steel such as; All machinery parts buckets, channels, iron utensils, karahi, tubes, ordinary country weighing scales, pipes, safes, springs, suitcases, tanks, tin containers, trunks, tube and wheels of all vehicles (except those specified elsewhere), axles, chasis, heavy iron chains, wire and wire ropes, hardwares, such as barbed wire, bolts, files, nuts, pipes, pillars, rivets, saws, screw, tool washer, wire nettings, wrench etc. (except articles of case iron and those mentioned elsewhere).		3.00
4.	Bars, ingots, round and sheets of other metal like bell metal, brass, bronze, copper, german, silver, gun metal, ranga, zinc etc. incl. unserviceable old utensils (except iron utensils, chanda, pieces of other alloys than iron, and scrap except those specified elsewhere and new type case iron and articles made thereof.		3.00
5.	Lead, old types and zinc		3.00
6.	All articles of case iron and wrought iron incl. utensils made thereof and pipes and weights (except those mentioned elsewhere).		3.00
7.	Aluminium and its wares incl. wires.		3.00
8.	Articles of utensils bell of metal, brass, copper, german silver and gilt including Moradabadi utensils, tubes and weights (not specified elsewhere) brass and copper wire non electrical.		
9.	All fancy articles made of alloy or metals such as bowls, ice cream cups, powder case tea sets etc. (except in aluminium, gold and silver) incl. articles of cutlery & EPS, EPNS, steel wares and stainless ornaments made of brass, german silver, gilt or any other alloy (excluding gold and silver).		3.00
10.	Bearing of all discriptios		3.60
11.	All kinks of machinery (not specified elsewhere)		3.00
12.	Ice cream freezers and its parts incl. ice boxes (non electrical).		
13.	Sewing machines and their parts.		
14.	Vehicles :		
	(a) All kinds of Auto Cycles, Lambretas, Motor cycles, Rickshaws and their parts.		
	(b) All parts and accessories of Motor Cars, Motor trucks or similar Conveyance except axles, chasis, rubber solution, springs, tubes, tyres and wheels		3.00
	(c) Cycles, Cycle-rickshaws, tri-cycles and their parts.		
	(d) Bullock carts, Ekka, Bharry, Thela in units, Tonga and Victoria.		
	(e) Hand carts (Hath Gadi)		
	(f) Motor -cars, lorries, trucks imported in units or unassembled condition comprising to form complete unit and their parts not speciafied elsewhere.		
	(g) Spare parts of bullock carts, Tongas, .wheels and other accessories except axles and channels.		
	(h) Spare parts of all other vehicles not specified elsewhere		

S. No.	Description of Articles	Rate per 100 Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
15	All kinds of apparatus equiornents and instruments relating to photography (except chemicals incl. cinematographic machinery and their parts).		3.00
16	All kinds of oils, Crude oil, diesel oil, furnace oil, lubricating oil, mineral oils of sorts, motor oil, power oil, spindle oil, white oil and all other oils not specified elsewhere in this sechedule.		2.00
17	All kinds of scientific apparatus, Dentistry and Surgical instrument equipments, machinery and their accessories, Optical (except glass tubes and jars and those specified elsewhrere (inlc. Thermometers.		3.00
18	All musical instruments and their parts (except electrical instruments and those mentioned elsewhere).		3.00
19	Cinema Carbon		3.00
20	Cinematograph and its accessories		3.00
21	Cinematographic exposed films		3.00 per 1000Mtrs.
22	Cinemotographic exposed films for exhibition		30.00 per 1000 Mtrs
23	Clocks and watches (ordinary or electrical watches), chains, watch glasses and their accessories and parts incl. straps etc.		3.00
24	Gramophones, thier parts, pins and records.		3.00
25	Hardwar tools and implements of all kinds not specified elsewhaere elsewhere.		3.00
26	Metal alloys and article thereof antimony blocks and types, metal for type, white metal etc.		3.00
27	Photographic goods and chemicals and photographs.		3.00
28	Gold and silver articles and toys (except ornaments and not specified elsewhere).		3.00
CLASS IX ;	ELECTRICAL GOODS AND ARTICLES BASED ON ELECTRICITY.		
1	All kinds of batteries and their parts and cells		3.00
2	Wooden capping and casing incl. blocks and gullies, cleats conduct pipes, counter weights, earthen porcelain insulators, stray rods, stray swivels and pads, clamps & similar lining materials and anodes, cathodes, electrodes and iron.		
3	Dry cells excepting torch and batteries		3.00
4	Electric bulbs, Flourescent tubelights, mercury lamps, tubes, vapour lights, and their accessories		
5	Electric Air Conditioning machines, Lift cages, Refrigerators, Telephone or television instruments, X-Ray machines or similar machines and their parts and accessories.		3.00
6	Electric alternators, electric motors, generators and transformers.		3.00
7	Radio & Radio-grams, Amplifiers, Loudspeakers and other sound machin s, instruments and apparatus such as Tape recorders, Electrical Gramophones etc. their parts and accessories (excluding batteries and not specified elsewhere).		3.00
8	All kinds of electric goods such as Adaptor, Aresters, Belets, Brasslets, Cables both insulated or otherwise, Carbons, Chandliers, Cooking appliances, control gears, converters, cutouts, drills		3.00

S. No.	Description of Articles	Rate per 100Kgs. Rs.	Rate Advalorem Rs.
	(electric). Heating appliances, electric irons, electric soldering iron, electric tools, fans, flash lights, flood lights, fuse wire etc. Lighting conductors, measuring instruments, Press Palm Papers, pushes, reflectors, shades, sackets, starters, switches, table lamps, time switches, addhesives, empire cloth, empire tapes, soldering paste etc. incl. parts thereof except those specified elsewhere, holders, indicators, materials etc.		
CLASS X ; MISCELLANEOUS GOODS			
1	All other articles not otherwisse expected and not chargeable under any other head		3.00

EXEMPTIONS :

No Octroi shall be levied on ;

1 Common Salt
2 Bonafide personal luggage of passengers arriving by roads or on foot and articles intendes for private and personal use which is already have been in use before being brought within the limits of Deolali Cantonment including furniture and goods.
3 Head loads of Kadbi grass, straw and bhusa.
4 Head loads of fire wood, thatching grass cowdung cakes.
5 Head loads of vegetables or fresh fruits of all kinds.
6 Gold or Silver bullion and Coins, Currency notes, Ornaments of Gold or Silver and jewellery brought for personal use.
7 Printed text books, Govt. publications incl. newspapers.
8 Hand woven and hand spun cloth out of hand spun yarn.
9 Hand spun yarn.
10 Goods which are the property of the Red Cross Society.
11 Exercise note books for students in concessional rates (Govt. approved).
12 Arms and ammunitions imparted in the Cantonment by Military authorities for Govt. use.
13 Goods vested in such public authorities, if accomopanied at the time they passed the Octroi limits by a certificate from a responsible officer authoriesed in this behalf by the Head of the Department to the effect that they are the property of the Public Authority and are not imparted for the private use and sale.

Explanation : This clause does not apply to materials ordered from Contractors/suppliers.

14 Goods taken out ofthe Cantonment under special export pass issued by the Executive Officer or by the person appointed by him and brought back within three months of the date of export.
15 Canteen Stores Department (CSD) goods.
16 Ration articles on Defence forces.

NOTE ; This notification supersedes previous Notifications, No. 1980(a) dated 7th June 1925 and S.R.O. 646/ADM/E-1 dated 15th November, 1980 published in this regard.

N. SRINIVASA REDDY
Cantonment Executive Officer
Deolali Cantonment

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1997